पंचम माला, खंड 3, अंक 19
Fifth Series, Vol. III, No. 19

गुरुवार, 17 जून, 1971/27 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Thursday, June 17, 1971/Jyaistha 27, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

सत्यमेव जयते

64(11)
17/11/71

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक-19, गुरुवार, 17 जून, 1971/27 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 19, Thursday, June 17, 1971/Jyaistha 27, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक ऊत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
541. मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of foodgrains in Madhya Pradesh	1—3
542. केन्द्रीय मजदूर संघों के संगठनों की सहायता का सत्यापन	Verification of Membership of Central Trade Union Organisations	3—7
543. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में उत्पादन	Production in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	7—9
544. उत्तर प्रदेश के छः चीनी कारखानों की नीलामी	Auctioning of six sugar factories in U.P.	10—11
545. भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से सात करोड़ रुपये के मूल्य के खाद्यन्नों की चोरी	Pilferage of seven crores worth of foodgrains from the godown of Food Corporation of India	11—12
546. पूर्व बंगाल के संघर्ष के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने की योजना	Scheme for Employment to people of border areas rendered jobless due to East Bengal Conflict	12—14
547. गन्ने के मूल्य निर्धारित करना	Fixation of the prices of sugarcane	14—18
549. राजस्थान विधान सभा में भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Charges levelled against Food Corporation of India in Rajasthan Assembly	18—21
551. कटाई के समय वर्षा के कारण होने वाली तबाही को रोकने के लिए गेहूँ के स्थान पर मक्का की खेती	Cultivation of Maize instead of Wheat to avoid destruction by rain at harvest time	21—22

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या **S. Q. No.**		
548. बोकारो इस्पात कारखाने की लागत के संशोधित अनुमान	Revised cost estimates of Bokaro Steel Plant	22—23
550. चावल उत्पादन में असाधारण वृद्धि	Breakthrough in rice production	23—24
552. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भाग लेना	India's Delegation to I.L.O. Conference	24—26
553. खान मंत्रालय के एक प्रतिनिधि मंडल का रूस का दौरा	Visit of Ministerial Delegation of Mines to Russia	26—27
554. कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन पद्धति के अधीन श्रमिकों की सेवा शर्तें	Condition of Service of Workers under Coalfield Recruiting Organisation	27
555. कृषि अनुसन्धान के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार की गई नई योजना	New Scheme of Agricultural Research evolved by Indian Council of Agricultural Research...	27—28
556. ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की सेवा की शर्तें	Service conditions of contract labour	28—29
557. बिहार के संकटग्रस्त चीनी कारखाने	Sick Sugar Factories in Bihar State	29
558. गन्ना उत्पादक एसोसिएशन का चीनी उद्योग सम्बन्धी जांच में प्रतिनिधित्व	Cane Growers Association and its Representation in the Enquiry Committee on Sugar Industry	30
559. पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ रेलवे बोर्ड, कोयला उद्योग के संगठनों और अन्य हितों के प्रतिनिधियों की बैठक में की गई सिफारिशें	Recommendations made at the Meeting of the Representatives of Railway Board, Organisations of Coal Industry and other interests with Chief Minister, West Bengal... ...	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
560. मोटे अनाज के व्यापार के लिए लायसेंस प्रणाली को समाप्त करना	Abolition of Licencing System in Coarse Grains	30—31
561. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची का कार्यकरण	Functioning of Heavy Engineering Corporation, Ranchi ...	31
562. दिल्ली में इस्पात का वितरण	Distribution of Steel in Delhi ...	31—32
563. मध्य प्रदेश की कोयला खानों में कोयले के भण्डारों का जमा होना	Accumulation of Coal Stocks in Coal Mines in Madhya Pradesh	32
564. बर्मा से स्वदेश वापस लौटने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Burma Repatriates	32—33
565. बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के निर्णयों की क्रियान्विति	Implementation of Decisions of Industrial Committee on Plantation	33
566. रूरकेला इस्पात संयन्त्र में एक समिति का गठन	Formation of a Committee in Rourkela Steel Plant	34
567. स्वचलनकरण सम्बंधी समिति	Committee on Automation ...	34—35
568. बाघ और चीते के शिकार पर लगे प्रतिबन्ध को लागू करना	Enforcement of Ban on Hunting of Tigers and Leopards ...	35
569. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा घटिया किस्म के संकर बीजों की सप्लाई	Supply of sub- Standard Hybrid variety of Seeds by National Seeds Corporation	35—36
570. आसाम में धान का वसूली मूल्य	Procurement Price of Paddy in Assam	36—37
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
2374. मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में नयी वनस्पति तेल मिलों का स्थापित किया जाना	Setting up of new Vanaspati Mills in Public Sector in Madhya Pradesh	38
2375. मध्य प्रदेश में अकाल के दौरान आरम्भ की गई सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित राशि	Allocation of Funds for the Construction of roads in Madhya Pradesh undertaken during Famine ...	38—39

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2376.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय बिजली मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of Central Electricity Wage Board in Madhya Pradesh	39
2377.	मध्य प्रदेश में सोयबीन की सरकार द्वारा खरीद	Procurement of Soyabean from Madhya Pradesh	39—40
2378.	मध्य प्रदेश में हर्दा और तिमत्तानी के छोटी जोत वाले किसानों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Small Farmers of Harda and Timattani, Madhya Pradesh	40
2379.	भारत में, विशेषकर, गुजरात के जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र	Draught areas in India and particularly in the District of Gujarat	40—41
2380.	राज्यों में आयातित्त उर्वरक का आरक्षित भंडार स्थापित करना	Buffer Stock of imported fertilizers in States	41
2381.	श्रमिकों को अधिक उत्पादकता के लाभ देना	Sharing fruits of increased productivity to workers	41—42
2382.	नौ योर फैमिली पेन्शन स्कीम पुस्तिका	"Know Your Family Pension Scheme" Brochure	42—43
2383.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची का अनियमित कार्यकरण	Irregular working of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	43
2384.	मालिकों द्वारा रोजगार कार्यालयों के जरिए भर्ती	Recruitment through Employment Exchanges by Employers	43—44
2385.	दिल्ली में फैक्ट्रियों का बन्द होना	Closure of Factories in Delhi ...	44
2386.	दिल्ली में पादप प्रजनन पाठयक्रम	Plant Breeding Course at Delhi	44—45
2387.	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	45—46

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2388.	हरियाणा और तमिल नाडु के किसानों को कृषि सम्बन्धी ऋण के विस्तार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता	Aid from International Development Association for expansion of Agricultural Credit to farmers of Haryana and Tamil Nadu	46—47
2389.	अमरीका को चीनी का निर्यात	Export of Sugar to U. S. A. ...	47
2390.	ग्रामीण रोजगार के लिए मैसूर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में भू-सेना बनाना	Creation of land army in scarcity areas of Mysore for rural employment	47—48
2391.	जर्मन जेनवादी गणराज्य के ट्रेक्टरों के सप्लायरों द्वारा वारंटी का अस्वीकार किया जाना	Rejection of warranty claims by G. D. R. Supplier of Tractor	48
2392.	हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूँ के कम वसूली मूल्य	Low procurement price of wheat in Haryana, Punjab and U. P. ...	48—49
2393.	मरमागाओं वाटरफ्रन्ट कर्मचारी संघ गोआ की मांगें	Demands of Mormugao Water-Front Workers' Union Goa...	49—50
2394.	मेसर्स सोममुन्दरम मिल्ज़ प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर में कर्मचारी राज्य बीमे के अंशदानों का गबन	Misappropriation of ESI contributions in M/S Somasundaram Mills Private Limited, Coimbatore	50
2395.	राष्ट्रीय ईंधन नीति सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष का त्यागपत्र	Resignation by Chairman of Committee on National Fuel Policy	50—51
2396.	मनीपुर में भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey in Manipur	51
2397.	कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों के माध्यम से पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधाओं का दिया जाना	Extension of Medical Facilities to Pensioners through Employees State Insurance Hospitals	51—52
2398.	खनिज संसाधनों के बारे में भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey *Re* : Mineral Resources	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2399.	अन्तर्राष्ट्रीय टीन समझौता	International Tin Agreement ...	52—53
2400.	उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई	Supply of Rice from Orissa to West Bengal	53
2401.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा घना से बिना तराशे हुए हरों की खरीद	Purchase of rough Diamonds from Ghana by National Mineral Development Corporation ...	53—54
2402.	राज्यों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Irrigated Land in States	54
2403.	मनीपुर में चावल मिलें और उनके स्थापना स्थल	Rice Mills and their Location in Manipur	54—55
2404.	राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भू-स्खलन	Soil erosion in Rajasthan Canal Project area	55—56
2405.	त्रिपुरा में आदिवासियों से अन्य व्यक्तियों को भूमि का हस्तांतरण	Transfer of land from Tribals to non-tribals in Tripura ...	56
2406.	भारत के चीनी सम्बन्धी हित	India's Sugar Interests ...	56—57
2407.	ग्रामीण विकास तथा रोजगार योजना के पुनरीक्षण के लिए समिति	Committee for review of rural development and Employment Schemes	57—58
2408.	राजस्थान में भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए गए ऋण	Loans given by Land Development Banks in Rajasthan ...	59
2409.	चण्डीगढ़ के निष्कासितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Chandigarh Oustees	60
2410.	कर्मचारी पेंनशन योजना, 1971	Employees Pension Scheme, 1971	60—61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2411.	हीरा मिल्ज कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड उज्जैन के नाम कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धन राशि	E. P. F. Arrears with Heera Mills Company (Private) Limited, Ujjain	61
2412.	कृषि क्रांति का कृषि उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Green Revolution on Agriculture	62—63
2413.	नियंत्रण हटाने के बाद चीनी के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Price after decontrol of sugar	63
2414.	गुआ क्षेत्र की लोहे की खानों में मरे श्रमिकों के परिवारों को भविष्य निधि का भुगतान	Payment of Provident Fund to Families of deceased Workers in Iron Mines of Gua Area ...	63—64
2415.	जर्मन जनवादी गणराज्य द्वारा सप्लाई किए गए ट्रैक्टरों में त्रुटियों के कारण उत्तर प्रदेश के किसानों को कठिनाइयां	Difficulties of Farmers of U. P. due to defects in Tractors supplied by G. D. R.	64
2416.	कोयला भर्ती संगठन पद्धति	Coalfields Recruiting Organisation system	64—65
2417.	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि-हीन आदिवासियों को खेती योग्य भूमि अलाट करने के बारे में केन्द्रीय निदेश	Central Directive regarding Allotment of cultivable land to Landless Tribals for increased Agricultural Production ...	65
2418.	दूध का औसत उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता	Average Milk Production and its per Capita Average Availability	65—66
2419.	दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नाम	Registration with Employment Exchanges in Delhi	66—67
2420.	बोरों की कमी तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम मूल्य पर खरीदे गये गेहूँ के कारण किसानों को हो रही कठिनाइयां	Difficulties faced by Farmers due to shortage of sacks and price paid by F. C. I. for wheat purchases	67—68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2421.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को हुई हानि	Loss incurred in Durgapur Steel Plant	68
2422.	परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए परीक्षण	Test for converting Fallow Land into Cultivable Land	68—69
2423.	राजस्थान में रेगिस्तान के बढ़ने को रोकने के लिए परीक्षण केन्द्र	Testing Centres to check spread of Desert in Rajasthan ...	69
2424.	यूरिया-डी, अमोनियम और पोटास उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Price of Urea, Di-Ammonium and Potash Fertilizers	69—70
2425.	राजस्थान के कोटा जिले में गेहूँ की खरीद	Purchase of wheat in Kotah, Rajasthan ...	70
2426.	चौथी योजना के दौरान तिलहनों सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य में समन्वय	Coordination of Research in Oilseeds During Fourth Plan	70—71
2427.	बंगला देश से आये मणिपुरी शरणार्थी	Refugee Manipuris from Bangla Desh	71
2428.	मणिपुर में सामुहिक कृषि सहकारी समितियों के लिए केन्द्रीय सहायता	Central assistance for collective Farming Cooperative Societies in Manipur ...	71—72
2429.	मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों की अत्यधिक कमी	Scarcity of corrugated Iron Sheets in Manipur	72
2430.	कोयला खानों द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजूरी की अदायगी	Payment of wages as per Wage Board recommendations by Collieries	73
2431.	शीघ्र फसल कटाई के लिए गेहूँ की एक नई किस्म का विकास	Development of a new variety of wheat for early harvesting	73—74
2432.	थ्रेशरों का निर्माण	Manufacture of Thrashers	74
2433.	5 एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों को ऋण देने की नीति	Policy for giving loans to Farmers having less than 5 Acres of Land	74—75

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2434.	दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Alloy Steels Plant Durgapur	75
2435.	हिन्द महासागर के मछली भन्डार से मछलियों का पकड़ा जाना	Exploitation of potential of fisheries on Indian Ocean ...	75—77
2436.	केरल तथा पश्चिम बंगाल भूमि सुधार नियमों को अन्य राज्यों में लागू करना	Extension of Kerala and West Bengal Land Reforms laws to other States ...	77
2437.	मध्य प्रदेश में चीते और तेंदुए के शिकार पर लगे प्रतिबन्ध का लागू किया जाना	Enforcement of Ban on Tiger and Panther Hunting in Madhya Pradesh	77—79
2438.	फसल नासक कीटाणुओं और रोगों के उन्मूलन के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank Aid for eradication of Pests and Diseases of Crops	79—80
2439.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को और कोयला खान भविष्य निधि की बकाया राशि	Coal Mines Provident Fund Arrears against National Coal Development Corporation ...	80—81
2440.	कर्मचारी पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत उत्तराधिकारियों के दावों के भुगतान के लिये व्यवस्था	Provision for Payment of claims to Heirs under Employees Pension Scheme, 1971 ...	81
2441.	गैर-सरकारी कालेजों तथा संस्थानों में भविष्य निधि अधिनियम का लागू किया जाना	Extension of Provident Fund Act to Privately run Colleges and Institutions	81—82
2442.	कोयला खानों में बोनस अधिनियम का क्रियान्वयन	Implementation of Bonus Act in Collieries	82
2443.	भूमि सुधार विधेयक पर राज्यों की राय	Views of States on Land Reforms Bill	83
2445.	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel ...	83—84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2446.	पश्चिम बंगाल में कपास की खेती	Cotton cultivation in West Bengal	84
2447.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहायता	Central assistance for cooperative societies in States and Union Territories	85—86
2448.	सामान की खरीद	Purchase of stores	86—87
2449.	कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश	Investment of Employees Provident Fund ...	87
2450.	मध्य प्रदेश में गेहूँ की वसूली	Wheat procurement in Madhya Pradesh	87—88
2451.	कर्मचारी भविष्य निधि तथा न्यास योजना	Employees, Provident Fund and Trustee Scheme	88—89
2452.	मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले गन्ने की किस्म	Quality of sugarcane produced in Madhya Pradesh	89
2453.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को भूमि का वितरण करने के सम्बन्ध में समान नियम	Uniform rules for distribution of land to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	89—90
2454.	मध्य प्रदेश में गेहूँ का समाहार	Procurement of wheat in Madhya Pradesh	90
2455.	चीनी मिलों द्वारा खरीदा गया गन्ना	Sugarcane Purchased by Sugar Mills	91
2456.	भूमि सुधार की क्रियान्विति के लिये समय-सीमा	Time-Limit for Implementation of land reforms ...	92
2457.	गहन खाद योजना	Intensive Manuring Scheme ...	92
2458.	मैसूर में लोहे तथा इस्पात का वितरण	Distribution of Iron and Steel in Mysore	93
2459.	कोयला खानों से छंटनी किए गए श्रमिकों को उपदान	Gratuity for Retrenched Colliery Workers	93

अता०प्र०संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
2460.	रासायनिक उर्वरकों की खपत	Consumption of Chemical Fertiliser	93—96
2461.	जलरहित क्षेत्रों में बारानी-खेती की तकनीक	Dry-Farming Techniques in Arid Regions	96—97
2462.	दूध की कमी को दूर करने के लिए पशुओं की नसल सुधारने तथा पशुधन को समृद्ध करने के बारे में योजनायें	Schemes to Improve Breeds and Cattle-Wealth to remove Milk Scarcity	97—99
2463.	बिहार और पश्चिम बंगाल में कोयला खानों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	E.P.F. Arrears with Collieries in Bihar and West Bengal ..	99
2464.	हरियाणा में भूमि की अधिकतम सीमा	Ceiling on Land Holdings in Haryana	100
2465.	मेरठ और सहारनपुर जिलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया गेहूं	Wheat Purchased by Food Corporation of India in the Districts of Meerut and Saharanpur	100
2466.	हरियाणा में हिसार में कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना	Setting up of Pig Iron Plant at Hissar in Haryana	101
2467.	केन्द्रीय मुर्गीपालन फार्मों का कार्यकरण	Working of Central Poultry Farms	101
2468.	बंगला देश के शरणार्थियों की भारत में रहने की इच्छा	Bangla Desh Refugees desire to live in India	102
2469.	पश्चिम बंगाल और बिहार में मजदूरों को कम मजदूरी देना	Under-Payment to Workers by Collieries in West Rengal and Bihar	102
2470.	कोयला खानों में भूतल के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की स्वीकृति का ढंग	Mode of Granting Earned leave to Underground Workers in Collieries	102—103

अता०प्र०संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2471.	राउरकेला इस्पात संयंत्र में तैरने का तालाब	Swimming Pool in Rourkela Steel Plant	103
2472.	देवली शिविर में शरणार्थियों की मृत्यु	Death of Refugees in Deoli Camp	104
2473.	चीनी पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Sugar	104—105
2474.	एम्पलाईज पेंशन योजना, 1971 के प्रति कर्मचारियों की प्रतिक्रिया	Workers' Response to Employees Pension Scheme, 1971 ...	105
2475.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा आसाम में धान की वसूली	Procurement of Paddy in Assam by FCI	106
2476.	बड़े पैमाने पर गोबर के जलाये जाने पर रोक	Check on Large-scale burning of Cow dung	106—107
2477.	अतिरिक्त और घटिया दूध का उपयोग	Utilisation of Surplus and Sub-standard milk	107—108
2478.	किसानों के लिए उत्पादन प्रधान रोजगार के अवसर की योजना	Scheme for production oriented employment opportunities for Farmers	108—110
2479.	उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कमी की स्थिति	Scarcity conditions in UP, Bihar and Madhya Pradesh	110
2480.	खान तथा तत्सम्बन्धी मशीनरी निगम, दुर्गापुर को हुई हानि	Loss incurred by Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur	111
2481.	एलाव इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर में कमियां	Deficiencies in Alloy Steels Plant, Durgapur	112
2482.	बड़े उद्योगों के लिए इस्पात का परमिट जारी करना	Issue of Permits of Steel to Big Industrialists	112
2483.	1970 से पहले पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों का पुनः बसाया जाना	Rehabilitation of Displaced Persons from East Bengal before 1970	113—114

अता०प्र०संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
2484.	आयातित ट्रेक्टरों का राज्यों को वितरण और उनका मूल्य	Distribution of Imported Tractors to States and their Price ...	114—116
2485.	सरकारी क्षेत्र में हानि को रोकने के लिए पांच वर्ष की हड़ताल-रहित अवधि	Five-Year Strike-free period to check Losses in Public Sector	116—117
2486.	उर्वरकों की खपत के सम्बन्ध में समन्वय मंत्रणा एककों की स्थापना	Setting up of Co-ordination Advisory Units on utilisation Rate of Fertillser	117—118
2487.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का प्रकाशन	Publication of National Mineral Development Corporation ...	118
2488.	खुले बाजार में नियंत्रित चीनी का बेचा जाना	Sale of Controlled Sugar in Open Market	118—119
2489.	कोयना और कोरबा में अलुमिनियम कारखानों की स्थापना	Setting up of Aluminium Factories at Koyna and Korba ...	119—120
2490.	उत्तर प्रदेश में एक अलुमिनियम कारखाने की स्थापना	Setting up of an Aluminium Factory in UP	120
2491.	पश्चिम बंगाल के उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials for Industries in West Bengal ...	120—121
2492.	बर्मा से वापिस आए लोगों को मकानों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन	Allotment of Land and Construction ofHouses for Burma Repatriates	121
2493.	त्रिपुरा में सीमित आय वाले किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए योजना	Scheme for marginal Farmers and Agricultural Labourers in Tripura	122
2494.	त्रिपुरा में धान की अधिक उपज वाली किस्म के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for high yielding variety of Paddy in Tripura	122
2495.	त्रिपुरा में ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Rural Employment in Tripura ...	123

अता०प्र०संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2496.	सहकारी समितियों का परिसमापन	Liquidation of Cooperative Societies	123—124
2497.	केरल में कृषि योग्य भूमि की सिचाई के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Irrigation of Cultivable land in Kerala ...	125
2498.	अमरीका से आयात की गई भेड़ों का वितरण	Distribution of Sheep Imported from USA	125—126
2499.	कृषि विकास के असंतुलन को दूर करने सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Team to suggest for removal of Imbalance in Agricultural Growth	126
2500.	बंगला देश सहायता समिति	Bangla Desh Assistance Committee	126—127
2501.	आंध्र प्रदेश में वर्षा के कारण आम की फसल को नुकसान	Damage to Mango Crop of Andhra Pradesh due to Rains	127—128
2502.	दिल्ली ग्राम्य क्षेत्रों की निष्क्रांत सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occupation of Evacuee Rural Property in Delhi	128
2503.	बहुद्देशीय सहकारी समितियां	Multi-purpose Cooperative Societies	129
2504.	राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of the Employees of National Seeds Corporation ...	129—130
2505.	राजस्थान भूगर्भीय सर्वेक्षण	Geological Survey in Rajasthan	130
2506.	मध्य प्रदेश को उर्वरक के सुरक्षित भंडार के लिए धन	Funds to Madhya Pradesh for building up stock of Fertilizers	131
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	131
	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ अधिकारियों द्वारा पचास लाख रुपये की राशि का गोलमाल किये जाने से सम्बन्धित आपराधिक षडयन्त्र का समाचार	Reported criminal conspiracy by some officials of ONGC involving fifty lakhs of rupees ...	131
	श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhusan...	131
	श्री पी० सी० सेठी	Shri P. C. Sethi	131—138

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	... 138—139
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प, और	Statutory Resolution *re*: Maintenance of Internal Security Ordinance, and	140
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी विधेयक	Maintenance of Internal Security Bill	140
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	140
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	140—141
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	141—143
श्री एस० ए० शमीम	Shri S.A. Shamim	143—144
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	Shri A.P. Sharma ...	144
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R.D. Bhandare... ...	144—145
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	145—146
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha ...	146
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran ...	147—148
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	148—149
श्री वी० के० कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon ...	149—151
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony ...	151—153
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	153—155
श्री सोम नाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee ...	155—156
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	156—157
श्री रामदेव सिंह	Shri Ram Deo Singh ...	157—159
श्री के० बालाकृष्णन	Shri K. Balakishnan	160
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	160—162
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant ...	162—168

लोक–सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 17 जून, 1971/27 ज्येष्ठ 1893 (शक)

Thursday, June 17, 1971/Jyaistha 27, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

***Increase in Price of Foodgrains in Madhya Pradesh**

* 541. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :
SHRI JAGANNATHRAO JOSHI :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether prices of foodgrains have increased in Madhya Pradesh after January, 1971 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether the State Government have sought assistance from the Central Government in order to bring down the prices ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जनवरी से जून, 1971 तक की अवधि में मक्का के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है। चावल और ज्वार के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है, जबकि उक्त अवधि में गेहूँ, चना और बाजरे के मूल्यों में गिरावट आई है।

(ख) मक्का के मूल्य में यह वृद्धि मौसमी है।

(ग) जी, नहीं।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : It has been stated that the rise in prices of rice and wheat have shown a mixed tendency. Foodgrains are purchased at much cheaper rates from the producer but when they are sold to the consumer, heavy prices are charged for them. May I know from the hon. Minister whether he is awarte of the fact that prices have gone up by 10 to 15 rupees per quintal in the market ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कहना सही नहीं कि खाद्यान्नों के मूल्य में सामान्यत: वृद्धि हुई है वस्तुत: पिछले वर्ष की तुलना में समस्त देश में मध्य प्रदेश सहित, खाद्यान्नों के मूल्य में 5 प्रतिशत की कमी हुई है। अत: यह कोई चिन्ता का विषय नहीं है। कुछ क्षेत्रों में निस्संदेह हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, देश के कुछ भागों में मक्का के मूल्यों में वृद्धि हुई है किन्तु यह वृद्धि कुछ ही भागों में हुई है, सारे देश में नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने इतना मक्का प्राप्त कर लिया है कि अब उसे बेचने के लिए मार्किट नहीं मिल रही है। अत: माननीय सदस्य की चिन्ता निराधार है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The hon. Minister has just said that there has been a rise in the price of maize and the Food Corporation of India has procured so much maize that they are not finding any market for it. I wish to know what arrangements have been made by the Government to make the maize available to common man at fair price, when the prices have risen so much in the season ? What steps have been taken by the Government to check the seasonal increase in prices ?

The prices rise in the market but the producer does not get any benefit of it as either the Government or the foodgrains trader purchases foodgrains at less than the procurement price. What steps have they taken to ensure that the foodgrains are purchased only at the procurement price ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसाकि मैंने पहले कहा है, पिछले वर्ष की तुलना में मक्का के मूल्यों में 21 प्रतिशत की कमी हुई है किन्तु हमें सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश के एक केन्द्र तथा बिहार के एक केन्द्र में मक्का के बाजार मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है। इस मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु हम भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहां कुछ मक्का भिजवाने की बात सोच रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य की इस शिकायत का सवाल है कि उत्पादकों को मक्का का बहुत कम मूल्य दिया जाता है अर्थात् उनसे मक्का सस्ती कीमत पर खरीदा जाता है, ऐसा कहना सही नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने देश के किसानों को यह आश्वासन दिया है कि उनसे गेहूं, चावल इत्यादि निर्धारित मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। यह प्रसन्नता

की बात है कि जहां तक खाद्यान्नों की खरीद का सम्बन्ध है भारतीय खाद्य निगम भारतीय मंडी में प्रभुत्त्व की स्थिति में है।

श्री० के० मालन्ना : खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। जमाखोर तथा काले बाज़ार का धन्धा करने वाले अपने काले धन से फसल की कटाई के दौरान सस्ते मूल्यों पर अनाज खरीद कर जमा कर लेते हैं तथा बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन लोगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं यह नहीं कहता कि खाद्यान्नों की खरीद पर काला धन नहीं लगाया जाता, किन्तु हाल ही में मैंने स्थिति की जांच की है तथा मुझे पता लगा है कि पंजाब में बाज़ार में आने वाले कुल गेहूँ का 95 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद लिया जाता है तथा बहुत कम मात्रा में गेहूँ खाद्यान्नों के व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है। यही कारण है कि सट्टेबाजी प्रतिदिन कम होती जा रही है। पुराने समय में फसल के बाद कीमतें गिर जाती थीं तथा फसल से पहले कीमतें बढ़ जाती थीं और सट्टेबाज लोग इससे मुनाफा कमाते थे। किन्तु अब भारतीय खाद्य निगम द्वारा सारा अनाज प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप इस सट्टेबाज़ी की प्रवृति में काफी कमी आ गई है और मेरे विचार में माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता आज की स्थिति के अनुरूप नहीं।

श्री० एस० बी० गिरि : मंत्री महोदय का कहंना है कि मक्का के मूल्य में कमी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस भाग के किसानों को मुआवज़ा देने के लिए तैयार है जहाँ कि मक्का के मूल्य गिरे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम निर्धारित मूल्य पर अनाज खरीद रहे हैं। सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं हुई है। इसके बिपरीत मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में गिरे हैं।

केन्द्रीय मजदूर संघों के संगठनों की सदस्यता का सत्यापन

*542. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष केन्द्रीय मज़दूर संघों के संगठनों की सदस्यता का सत्यापन करने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मान्यता प्राप्त केन्द्रीय मज़दूर संघ संगठनों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार सत्यापन सम्बन्धी कार्यक्रम को कुछ समय के लिये स्थगित करने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हाँ। 1958 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 16वें अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में स्वीकृत सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार चार केन्द्रीय मज़दूर काँग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस, हिन्द मज़दूर सभा और संयुक्त मज़दूर सघ कांग्रेस से सम्बद्ध मजदूर यूनियनों की सदस्यता की जाँच दो वर्ष में एक बार की जाती है। चूंकि पिछला सत्यापन 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में था, अतएव 31 दिसम्बर, 1970 को सदस्यता का सत्यापन करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ख) कुछ केन्द्रीय मज़दूर संघ संघटनों ने 31-12-1971 तक के सत्यापन को मुलत्वी करने की प्रार्थना की है।

(ग) और (घ), इस मामले की जांच की जा रही है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सच नहीं कि सत्यापन की वर्तमान पद्धति इतनी दोष-पूर्ण है कि इससे इनकी जो चहेती यूनियनें हैं उनके लिए अपनी सदस्य-संख्या बढ़ा-चढ़ा कर बताने की गुंजाइश रहती है जैसाकि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की मान्यता प्राप्त यूनियन के मामले में हुआ जिसके केवल 2000 सदस्य ही हैं लेकिन कहा यह जाता है कि इसके 22,000 सदस्य हैं ? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार विभिन्न केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों की सिफारिश के अनुसार वर्तमान सत्यापन पद्धति में आमूलभूत परिवर्तन करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री० आर० के खाडिलकर : इस विषय पर काफी मतभेद है कि वर्तमान सत्यापन पद्धति को जारी रखा जाए अथवा बैलट पद्धति को अपना लिया जाए। मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के पिछले सम्मेलन में इस मामले को उठाया गया था तथा तीनों श्रम संगठनों के नेताओं ने इसके समाधान हेतु एक बैठक बुलाई है किन्तु अन्ततः यदि इस सत्यापन पद्धति को बदलना ही है तो यह कार्य केवल त्रिपक्षीय निकाय द्वारा ही किया जा सकता है जिसकी बैठक आगामी अगस्त में होने की संभावना है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि बैलट प्रक्रिया को अपनाया जाय तथा जिस संघ के सबसे अधिक सदस्य हों उसे मान्यता प्रदान की जाए और उसकी कार्यपालिका में केवल

उसी संघ के प्रतिनिधियों को लिया जाए, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव रखा गया है तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इसका फैसला भी त्रिपक्षीय निकाय ही करेगा ।

श्री ए० पी० शर्मा : प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि मामला विचाराधीन है और विशेषतया अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि मामले पर तीनों केन्द्रीय श्रम संगठन विचार कर रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक मजदूर संघ की सदस्य-संख्या की जाँच दो वर्ष में एक बार की जाएगी, मैं यह जानना चाहता हूँ इस वर्ष सत्यापन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : पिछले सामान्य चुनावों में मजदूर संघों के नेताओं द्वारा प्रायः यह अनुरोध किया जाता रहा है कि उन्हें कुछ और अधिक समय दिया जाए क्योंकि वे लोग उन दिनों चुनाव-कार्यों में संलग्न होते हैं । इस बार भी ऐसा अनुरोध किया गया था और हमने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कुछ और समय उन्हें प्रदान किया था । सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है । अब हम अग्रेतर समय बढ़ाने के उनके अनुरोध पर विचार कर रहे हैं ।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या यह सच नहीं है कि उन संगठनों में जिन्होंने कुछ अधिक समय माँगा है मतभेद हैं अतः वह चाहते हैं कि सत्यापन बिल्कुल न किया जाए ।

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसाकि मैंने पहले बताया है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस सत्यापन की वर्तमान पद्धति से सहमत नहीं है । वह उसमें परिवर्तन चाहती है । इस कारण सत्यापन की इस समस्या पर पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है । पुनर्विचार इसलिये किया जा रहा है कि गत चुनाव वर्ष में सत्यापन के लिए सामान्यतः कुछ समय दिया गया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, सी०आई०टी०यू० और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस ने मिलकर एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया है, जिसे मंत्री महोदय को प्रेषित किया गया है, कि पहली प्राथमिकता बैलट को दी जाए और बाद में सत्यापन किया जाए । इसी प्रस्ताव को मजदूर संघों की श्रम मंत्री के साथ हुई बैठक में दस्तावेज़ के रूप में पेश किया गया था । सत्यापन को प्रायः सभी ने अस्वीकार किया है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस की सदस्य-संख्या बिना किसी वजह के बढ़ाई गई है···**(व्यवधान)**

श्री ए० पी० शर्मा : यह काम उन्होंने किया है जो अल्पसंख्यक हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : वह बैलेट से क्यों घबराते हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : हम जाली सदस्यता से डरते हैं···**(व्यवधान)**

श्री पीलू मोदी : दोनों ही तरफ जाली सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि बेकार की चर्चा में उलझ रहे हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, सी०आई०टी०यू०, हिन्द मजदूर सभा तथा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस ने मिलकर एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया है तथा सरकार को इसलिए प्रेषित किया है कि वह बैलेट को पहली प्राथमिकता दे तथा उसे स्वीकृत करे और बाद में सत्यापन को किसी अन्य पद्धति के रूप में लिया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ... (**व्यवधान**)

श्री आर० के खाडिलकर : सत्यापन के सम्बन्ध में मतभेदों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सत्यापन पद्धति पर चला जाए अथवा बैलट पद्धति अपनाई जाए ... (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी : गुप्त बैलट।

श्री ए० पी० शर्मा : महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था के प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ ...

श्री आर० के० खाडिलकर : श्रम आयोग की सिफारिश तथा मजदूर संघों के विचारों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने कहा कि इस मामले पर त्रिपक्षीय निकाय विचार करेगा।

श्री पीलू मोदी : आपको गुप्त मतदान अवश्य कराना चाहिए।

श्री दामोदर पांडे : मजदूर संघ का सत्यापन उसके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि सरकार की विभिन्न समितियों और राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधित्व का निर्णय किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री दामोदर पांडे : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि श्रम मंत्रालय द्वारा विभिन्न समितियों को प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में अपनाए गए ढीले रवैये को ध्यान में रखते हुए क्या भविष्य में सत्यापन किसी उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा ?

श्री आर० के० खाडिलकर : फिलहाल घोषित सत्यापन के आधार पर चार केन्द्रीय संगठनों को मान्यता प्रदान की गई है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केवल चार केन्द्रीय संगठनों को ही सत्यापन पर सहमति प्रकट करने के लिए कहा जा रहा है और अन्य संगठनों जैसे सी० आई० टी० यू० से परामर्श क्यों नहीं लिया जा रहा ? क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि सी० आई० टी० यू० सत्यापन के लिए तैयार है क्योंकि इसके अधीन कई श्रमिक संघ हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सी० आई० टी० यू० को भी सत्यापन के लिए कहा जाएगा और क्या सरकार ने अब तक सी० आई० टी० यू० को इस सत्यापन के लिए सूचना नहीं दी है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसाकि मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सत्यापन-प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक सिफारिश की है और बताया है कि मान्यता किसे प्रदान की जाए । उन्होंने कहा है कि पंजीकृत सदस्यों में से 10 प्रतिशत के सत्यापन पर विचार किया जाए । यदि हम इस सिफारिश को स्वीकार कर लेते हैं तो त्रिपक्षीय निकाय को इसे स्वीकार करना होगा और उसके बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री एस० बी० गिरि : ऐसा कौन-सा केन्द्रीय संगठन है जो गुप्त मतदान को बराबर अस्वीकार कर रहा है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : संगठन इसे अस्वीकार नहीं कर रहा । उनका कहना है कि वर्तमान पद्धति को ही अपनाया जाए । यह पद्धति अच्छी है या बुरी इसका यहां प्रश्न नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में उत्पादन

*543 **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में उत्पादन बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत; और

(ग) वर्ष 1969-70 की तुलना में यह कितना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से ग. एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 1970-71 का कुल उत्पादन 1969-70 के उत्पादन से अधिक था।

(ख) और (ग). कम्पनी के तीनों कारखानों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता तथा 1969-70 और 1970-71 का उत्पादन निम्नलिखित है :—

कारखाने का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	1969-70 में उत्पादन	क्षमता का प्रतिशत	1970-71 में उत्पादन	क्षमता का प्रतिशत
भारी मशीनें बनाने का कारखाना					
(1) यांत्रिक उपकरण	80,000 टन	10,357 टन	12.9	15,760.9 टन	19.7
(2) संरचनात्मक	25,000 टन	14,105 टन	56.4	7,205.2 टन	28.8
फाउन्ड्री फोर्ज प्लाण्ट	133,460 टन	28,151.64 टन	21	39,089.6 टन	29.3
भारी उपयंत्र बनाने का कारखाना	278 यूनिट	27 यूनिट	9.7	28 यूनिट	10

श्री एस० एम० बनर्जी : उत्पादन में कुछ सुधार हुआ है, मुझे इस बात की खुशी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि विभिन्न मजदूर संघों के विचारों पर ध्यान देते हुए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मामले में भी क्या कोई ऐसा निर्णय लिया जायेगा और क्या वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को निदेशकों के बोर्ड में लिया जाये ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड में कर्मचारी-प्रतिनिधियों को स्थान देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। प्रश्न यह है कि इसमें यथासम्भव सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जहां तक हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन का सम्बन्ध है, हम इसमें भी शीघ्रातिशीघ्र इस बात को पूरा करने में सफल होंगे क्योंकि यह भी एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि किसी व्यक्ति विशेष का चयन या निर्वाचन करना कठिन हो तो किसी विशेष संघ के प्रतिनिधि का निर्णय करने के लिये चुनाव की प्रणाली अपनायी जायेगी ? इससे यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि वह संघ प्रतिनिधित्व करता है और कोई झगड़ा नहीं रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस को कोई शिकायत भी नहीं होगी।

श्री मोहन कुमारमंगलम् : कर्मचारियों के प्रतिनिधि के चयन की कठिनाइयों से माननीय सदस्य परिचित हैं। यह प्रश्न विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं से सम्बद्ध संघों में मतभेदों का ही नहीं है बल्कि यह एक ऐसी समस्या भी है जो शिल्पी संघों से सम्बन्धित है। अतः यह मामला जेटिल है और मेरे विचार में माननीय सदस्य इसके लिये मुझ पर अधिक दबाव नहीं डालेंगे।

श्री कार्तिक उरांव : दुर्भाग्यवश मिलकर काम करने तथा निष्ठा पैदा करने के लिये कुछ नहीं किया गया है। उच्च पदों पर आसीन कोई भी व्यक्ति प्रांतीयता, पक्षपात, भाई-भतीजावाद तथा अन्य बातों से मुक्त नहीं है। इसका अर्थ अब एक ऐसी उन्नति की योजना है जिसके द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों को रोजगार दिया जाता है। इसके बारे में सचेत होना चाहिये। हाल ही में जिन सहायक इंजीनियरों की तरक्की हुई है उनमें से 75 प्रतिशत एक ही राज्य के हैं। मैं सरकार तथा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि भारी मशीनें बनाने के कारखाने, फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, भारी मशीनी औजार बनाने के कारखाने की 1969-70 तथा 1970-71 की कितनी अधिष्ठापित क्षमता थी तथा उनमें कितना वास्तविक उत्पादन हुआ।

श्री मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य सभा-पटल पर रखे विवरण को देखें, जिसमें ये सारे आंकड़े हैं।

श्री जगन्नाथ राव : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि प्रगति की इस दर से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में कब तक निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन होने लगेगा।

श्री पीलू मोदी : कभी नहीं।

श्री मोहन कुमारमंगलम् : सरकार प्रगति तथा सुधार की दर से संतुष्ट नहीं है। माननीय सदस्य श्री एस० एम० बनर्जी ने कहा है कि कुछ सुधार हुआ है। वे संतुष्ट प्रतीत होते हैं लेकिन मैं नहीं। सभा-पटल पर रखे गये विवरण से स्पष्ट है कि हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन को तेज प्रगति करने के लिए अभी और प्रयत्न करने पड़ेंगे। हमने भारी मशीनें बनाने के कारखाने का लक्ष्य 23000 टन से बढ़ाकर 34000 टन कर दिया है लेकिन मुझे आशा है कि जो प्रयत्न हम कर रहे हैं उससे हम लक्ष्य से भी आगे बढ़ेंगे। सदन के सामने निश्चित लक्ष्य रखना उचित भी नहीं। यद्यपि यह एक असंतोषजनक तथा छोटा लक्ष्य है फिर भी हम देखेंगे कि हम क्या प्रगति करते हैं।

उत्तर प्रदेश के छः चीनी कारखानों की नीलामी

*544. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के वे छः चीनी कारखाने, जिन्होंने किसानों को उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया है, नीलाम किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो जब सरकार वचन दे चुकी है तो इनको सरकारी अधिकार क्षेत्र में न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां । सम्बन्धित कलक्टरों ने उन 6 चीनी मिलों को नीलाम करने के पग उठाए हैं जिन्होंने गन्ने के मूल्य, गन्ना उपकर तथा खरीद कर की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है ।

(ख) अचल सम्पत्ति की नीलामी द्वारा बिक्री कर बकायों को वसूल करना एक सख्त कार्यवाही है जैसाकि भूराजस्व के बकायों की वसूली के मामले में की जाती है । कलक्टरों ने 6 ऐसे मामलों में इस प्रकार की कार्यवाही करना आवश्यक समझा । यह मामला इन मिलों को अथवा अन्य मिलों को अपने हाथ में लेने के प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है और यह उससे अलग है ।

श्री राजदेव सिंह : क्या इन कारखानों का काम इतना है कि इन्हें इतनी आय भी नहीं होती कि गन्ने के मूल्य तथा सरकार के करों का भुगतान कर सकें ?

श्री शेर सिंह : उस बात का मुझे कोई ज्ञान नहीं । इन कारखानों की नीलामी के बाद ही उस बात का पता लग पायेगा ।

कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है । कारखानों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. मैसर्ज पन्नीजी शूगर मिल्ज, बुलन्दशहर ।
2. मैसर्ज रामचन्द एण्ड सन्ज शूगर मिल्ज, बाराबांकी ।
3. मैसर्ज बड़वाल शूगर मिल्ज, बड़वाल, जिला बड़ा-बांकी ।
4. मैसर्ज कमलापत्त मोतीलाल शूगर मिल्ज, बुटनी, जिला देवरिया ।
5. मैम्रर्ज महेश्वरी खेतन शूगर मिल्ज, रामकोला, जिला देवरिया; और
6. मैसर्ज कुंदन शूगर मिल्ज, अमरोहा, जिला मुरादाबाद ।

श्री विश्वनाथ राय : यदि अनेकों कारखानों द्वारा करोड़ों रुपये के गन्ने के मूल्य का भुगतान बकाया है तो शेष को छोड़कर केवल छः कारखानों को क्यों निलाम किया जा रहा है ?

श्री शेर सिंह : जैसाकि मैंने कहा, यह निर्णय सम्बन्धित कलेक्टरों ने लिया था क्योंकि उनके जिम्मे जो बकाया था वह बहुत पुराना था और 1970-71 से तीन वर्ष पहले का था और कलेक्टर ने निलाम करना उचित समझा ।

श्री विश्वनाथ राय : अन्य कारखानों को छोड़ने का क्या कारण है ?

SHRI ISHAQ SAMBHALI : Will the Government state the difficulties in nationalising the 6 sugar mills which have not been able to pay the dues, so that they are not closed down and the labourers could get work ? Who will purchase them in auction ? The Government's policy is to bring them under Public Sector, then why don't they nationalise them ?

SHRI SHER SINGH : I have already stated that the matter of nationalisation is under consideration and will be decided on receiving the report of the commission and the law allows the State Government to take them over if so desired.

SHRI B. P. MAURYA : Whether they should be nationalized or not, this matter is under the consideration of the hon. Minister and this is the only reason for the auction ? I want to know the decision of the Government as to whether sugar mills will be nationalised or not in order to remove this difficulty once for all, because, as you stated, the auction will not fetch the amount sufficient for paying all the dues. The number of mills to be auctioned will increase day by day. In view of this, why don't they take a definite decision about nationalisation or otherwise ?

SHRI SHER SINGH : As already stated, a commission is looking into the matter and the matter will be decided on receipt of report from the commission. It cannot be decided now.

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से सात करोड़ रुपये के मूल्य के खाद्यान्नों की चोरी

*545. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भारतीय खाद्य निगम की शाखा के गोदाम से 7 करोड़ से भी अधिक रुपये के मूल्य के खाद्यान्नों की चोरी हो गई थी; और

(ख) इस कार्य के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 1965 से मार्च, 1971 तक बिहार सहित भारत भर में स्थित निगम के डिपों में चोरी / उठाईगीरी के कारण अनुमानतः 13 लाख रुपये की हानि हुई है ।

भारतीय खाद्य निगम, जहां आवश्यक होता है, वहां गोदामों के लिये सहन-दीवारें बनवाने, निगरानी चौकियों में वृद्धि करने, असुरक्षित डिपों पर केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा दल की नियुक्ति करने तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक उपाय जैसे निवारक उपाय करने के अलावा, चूककर्ता कर्मचारियों के बिरुद्ध कानूनी तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने सहित उचित उपाय कर रहा है।

SHRI MOHAMMAD ISMAIL : The hon. Minister has stated that something is being done about securities etc., but he has not said anything about my specific question regarding punishing those who committed theft of goods worth rupees seven crores from the godown of the Food Corporation of India in Bihar ? He has not replied to my specific question regarding the amount of Rs. seven crores. He may, therefore, state whether the figure of seven crores is correct or not ?

MR. SPEAKER : He was stated that it is not correct.

SHRI MOHAMMAD ISMAIL : Let him say what the correct figure is.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने सोचा कि मेरा उत्तर स्पष्ट था। समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को बिहार के गोदाम में चोरी आदि के कारण सात करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मैंने कहा कि 1965 से मार्च, 1971 तक बिहार सहित सारे देश में 13 लाख रुपये के अन्न का नुकसान हुआ है। अतः यह समाचार सही नहीं है।

SHRI MOHAMMAD ISMAIL : Secondly, what is the quantity of thefts in the depots of Food Corporation of India in other parts of the country and what action has been taken thereon so far ?

MR. SPEAKER : Your specific question related to Bihar.

SHRI MOHAMMD ISMAIL : His question related to all places where thefts were committed and that is why I have put this question. Let us know the position, if available ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : किसी बात को छिपाने का कोई इरादा नहीं है, माननीय सदस्य के पास कोई सूचना हो तो मैं देखूंगा। आखिर यह एक सरकारी क्षेत्र की संस्था है जैसाकि मैंने कहा, हम हर मामले को छान-बीन के लिए पुलिस को भेजते हैं। यदि माननीय सदस्य कोई सूचना दे सकें, तो मुझे प्रसन्नता होगी।

पूर्व बंगाल के संघर्ष के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने की योजना

*546. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही के पूर्व बंगाल के संघर्ष के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों

जैसे पश्चिम बंगाल, असाम और त्रिपुरा के बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि सीमा पार से निरन्तर गोलाबारी के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग अपने घरबार तथा सम्पत्ति को छोड़कर आर्थिक दृष्टि से दिवालिया हो गये हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जो लोग शरणार्थी के रूप में आये हैं हम उन्हें आवास तथा दैनिक राशन दे रहे हैं । लेकिन यह प्रश्न रोजगार का है । उसके लिये अभी कोई योजना नहीं है, क्योंकि हमें आशा है कि ये शरणार्थी अपने घरों को वापिस जायेंगे ।

श्री वी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने मेरा प्रश्न नहीं समझा । मैं बंगला देश के शरणार्थियों का जिक्र नहीं कर रहा था । मैं सीमावर्ति क्षेत्रों के अपने उन लोगों की चर्चा कर रहा था जिन्होंने सीमा पार से पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण अपने घरबार को छोड़ दिया है । क्या सरकार के पास उनके लिये कोई योजना है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : सीमावर्ति क्षेत्रों में जहां भी ऐसी घटनायें हुई हैं, लोगों ने निकटवर्ति क्षेत्रों में शरण ली है । उनके रोजगार सम्बन्धी किसी भी योजना पर विचार नहीं हुआ है । जहां भी कोई विशेष मामला ध्यान में आये तो उस पर स्थानीय रूप से उचित कार्यवाही की जाती है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : सरकार द्वारा अब तक लिये गये निर्णय बंगला देश से सम्बन्धित हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि सीमावर्ति उन अपने लोगों के बारे निर्णय क्यों नहीं लिया गया जो बंगला देश की राजनैतिक उथल-पुथल के कारण पीड़ित हैं । इन गरीब लोगों को सरकार ने क्यों नहीं सहायता प्रदान की ? बंगला देश के शरणार्थियों के लिये शिविर कृषि योग्य भूमि पर लगाये गये हैं और जिन लोगों से यह भूमि ली गयी है वे दिवालिया हो गये हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे लोगों को, जिनकी जमीन ली गयी है, कोई मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जिन लोगों की जमीन शिविर अथवा आवास बनाने के लिये ली गयी है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जावेगा ।

डा० रानेन सेन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमा पर शरणार्थियों की भीड़ लगती जा रही है और राज्य सरकार का काम रजिस्ट्रेशन सरीखे कार्यों से बढ़ता जा रहा है, क्या सरकार ने पृथकतः काम करने के लिये लोगों को रोज़गार दिया है ताकि प्रशासन के लोग अपना दैनिक कार्य करने के लिये स्वतंत्र हों ? पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसी योजना का सुझाव दिया था । उस योजना का क्या हुआ ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इस ज़िम्मेवारी को निभाने के लिये स्थानीय प्रशासन में अतिरिक्त लोगों की भरती की गयी है ।

श्री डी० बसुमतारी : क्या यह सच नहीं कि आसाम और मेघालय में शरणार्थी शिविर आदिवासी क्षेत्रों में हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिये कोई योजना है क्योंकि आदिवासी लोग पहले ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक आसाम और मेघालय में अस्थायी रूप से शरणार्थियों को आवास देने का प्रश्न है, हमारी योजना उन्हें बड़े शिविरों में भेजने की है । अतः इस कारण किसी दुर्भाव या आदिवासियों के पीड़ित होने की कोई भी सम्भावना नहीं ।

Fixation of the Prices of Sugarcane

\+

*547. SHRI CHANDRIKA PRASAD :
SHRI SHIV KUMAR SHASTRI :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have announced the prices fixed in respect of sugarcane for the ensuing season ;

(b) if not, the time by which these are likely to be fixed ; and

(c) whether Government intend to consult the State Government also in this regard ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). 1971-72 मौसम में (पहली अक्तूबर 1971 से 30 सितम्बर, 1972 तक) चीनी कारखानों द्वारा खरीदे जाने वाले

गन्ने का देय मूल न्यूनतम मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया है क्योंकि सरकार ने अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व चीनी के विनियंत्रण के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर निगरानी रखने का फैसला किया है ।

(ग) गन्ने का न्यूनतम मूल्य राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षों और सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से निर्धारित किया जाता है ।

SHRI CHANDRIKA PRASAD : The price of sugarcane is lower than coal and timber, while the farmers have to toil hard throughout the year, in hot, cold and in rainy seasons . . .

MR. SPEAKER : Please put your question.

SHRI CHANDRIKA PRASAD : But the Government does not give any attention towards the fixation of sugarcane prices. It is said that the sugarcane prices are fixed in consultation with State Governments. I feel that the suggestions of the State Governments are not acceded to. So far as the question of recovery of sugar is cencerned, all the Mills are fifty years old . . .

MR. SPEAKER : If you have not to ask any question, please take your seat.

SHRI CHANDRIKA PRASAD : I would like to know whether the suggestion made by the State Government that the price of sugarcane be fixed at Rs. 9.40 was ignored and instead the price was fixed at Rs. 7.37 last year for the recovery of 9.4 per cent and below. Even if the recevery was 8 per cent, the same price was fixed.

I belong to an Eastern district of U.P. Our area is backward. There are no industries other than sugar. All the Mills are sick and have become Junk. So long as you do not nationalise them the farmers would not gain anything from the sugarcane prices. When the Government want to postpone anything they appoint a commission. That is what has been done here. Will the Government nationalise the Sugar Mills ?

SHRI SHER SINGH : So far as the appointment of the commission is concerned, it has been done by the Government of India to bring about uniformity in the country. So far as the State is concerned, it can do that and there is no hinderance in its way.

SHRI SHIV KUMAR SHASATRI : While replying to the debate the former Minister of Agriculture had made an important point that whatever prices were fixed in consultation with the State Government, they should be paid to the peasants at once, and if the sugar was sold at Higher prices in the market, additional price should be paid to the farmers. Does that basis still exist or it has changed with the change of Minister ?

SHRI SHER SINGH : That basis still exists. The prices fixed by us are the minimum prices. Factories have paid more prices than that. Payments have been made @Rs. 16 and Rs. 20. We had given 30-40 per cent sugar for free sale. When the prices of free sugar were more we made payment at higher rates. But when the free sale prices and levy prices were not so high, the minimum prices were paid. There is no such condition that prices more than the minimum fixed could not be paid.

SHRI N. N. PANDEY : In view of the fact that due to the indecision in respect of sugarcane we are not able to increase the production of sugarcane, which ultimately results in loss of foreign exchange or as a result of which we are not able to meet our targets of sugar, would the hon. Minister kindly state the difficulty in determining the sugarcane prices in advance, in order to encourage the production of sugarcane ?

SHRI SHER SINGH : We always determine the prices before the season. This time the difficulty was that we decided to de-control sugar and we wanted to see how its prices stand. We wanted to fix the prices taking that in view, so that the farmers may not stand to lose. If we fix the price today and later on find that the prices are not reasonable, that creates difficulties.

SHRI SARJOO PANDEY : The Government has de-controlled sugar under pressure from Mills. In view of the increase in the price of sugar after decontrol, why is the delay in fixing sugarcane price ?

SHRI SHER SINGH : It is entirely wrong to say that we have taken a decision under pressure from mill-owners. The fact is that after decontrol, the price of sugar has not risen but it has come down. (*Interruptions*)

SHRI ISHAQ SAMBHALI : The prices have gone up in the market. If he goes to purchase only then he will come to know of that. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Let the hon. Minister complete his reply.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : It is a fact that the sugar prices have risen.

SHRI ISHAQ SAMBHALI : Wrong decisions are taken on the basis of wrong information.

SHRI SHER SINGH : I have a list of rates with me. If he likes I can read it out.

MR. SPEAKER : The problem of sugar is a delicate one. Please think before you speak.

SHRI SARJOO PANDEY : The officer supply wrong information as they get sugar free.

SHRI SHER SINGH : I have statistics up to June 15.

The price in Assam before decontrol on 24th May was Rs. 205.00 whereas it was Rs. 195.00 on 14th. The price in Bihar was Rs. 200.00 whereas it is Rs. 184.00 now.

SHRI ISHAQ SAMBHALI : These are wholesale prices. Please tell retail prices.

SHRI SHER SINGH : Yes, they are wholesale prices. You may hear the retail prices as well.

Retail price in Assam was Rs. 2.15 and it is Rs. 2.05 now. In Bihar it was Rs. 2.12 but now it is Rs. 1.95. In Gujarat it was Rs. 2.03 and now it is Rs. 1.98. In Delhi it was Rs. 2.15 on 24th and on 14th it was Rs. 2.05 per kilogram. (*Interruptions*)

SHRI ISHAQ SAMBHALI : Sugar is selling at Rs. 2.25 in Super Bazar. You can ascertain it over the telephone.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे साथी द्वारा दिए गए आँकड़े चीनी के मूल्य के बारे में माननीय सदस्यों के अनुभव से विपरीत हैं। मैं उनकी जाँच करके बताऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप अपने लिए नहीं खरीदते। क्या मंत्रियों को चीनी मुफ्त मिलती है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि मूल्यों में यदि कोई अन्तर है तो वे इसकी जांच करेंगे।

श्री निंबलाकर : क्या गन्ने की कीमत निर्धारित करते समय केवल गन्ने से निकलने वाली चीनी की मात्रा का ध्यान रखा जाता है ? कुछ ऐसे कारखाने भी हैं जिनके साथ मदिरा के कारखाने भी हैं ? क्या उन्हें भी गन्ने···

SHRI S. M. BANERJI : He means that after de-control of sugar its prices have gone up. In view of this will the Government enhance the rate of sugarcane as well? If not the reasons therefor?

SHRI SHER SINGH : As already stated, we shall watch the prices for some time and then fix the price.

श्री एस० एल० सक्सेना : क्या सरकार को विदित है कि यदि गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल नहीं कर दिया जाता, तो क्या अगले वर्ष चीनी की कमी नहीं हो जाएगी ?

श्री शेर सिंह : इस वर्ष गन्ने की बुवाई के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं जांच करूंगा ।

SHRI GENDA SINGH : The hon. Minister has said that last year the policy was that there were two prices, one for free sale sugar and the other for levy sugar and that in case free sugar was sold at higher price the farmers would be given their due share. Is it a fact that last year free sugar has been sold at a higher price, if so, what effort the Government is making to give the due share to the farmers ?

SHRI SHER SINGH : As previously stated, when the price in free sale was considerably higher, the farmers were paid more price, but last year the difference between the free sale price and levy price was negligible.

श्री एम० रामगोपल रेड्डी : इस प्रश्न का सम्बन्ध गन्ना उत्पादकों तथा गन्ने के मूल्यों से है । दुर्भाग्य से सदस्यों ने चीनी के उपकर का प्रश्न उठा कर मुख्य प्रश्न का महत्व घटा दिया है । मेरा सीधा प्रश्न है । क्या मंत्री महोदय 9.4 प्रतिशत या उससे कम की चीनी वाले गन्ने का मूल्य 73 रुपये से बढ़ाकर 100 प्रति क्विंटल करेंगें ? यदि नहीं, तो अगले वर्ष चीनी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त गन्ना कहाँ से मिलेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : गन्ने का मूल्य समय-समय पर निधारित किया जाता है । मूल्य निर्धारित करते समय माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों का ध्यान रखा जाएगा ।

राजस्थान विधान सभा में भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध लागाये गये आरोप

*549. **श्री वीरेन दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान विधान सभा में कुछ सदस्यों द्वारा उस राज्य में बाजरा की खरीद के बारे में भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वे आरोप क्या हैं ;

(ग) क्या इन आरोपों के बारे में कोई जाँच की गई ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाजरे की खरीद से संबंधित आरोपों की जाँच भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार द्वारा की गई थी ।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई जाँच से पता चला था कि आरोप सिद्ध नहीं हुए थे । राज्य सरकार द्वारा की जा रही जाँच प्रगति पर है ।

विवरण

राजस्थान सभा में बाजरे की खरीद के बारे में भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध लगाय गये आरोप

आम तौर पर यह आरोप लगाए गए कि :

(1) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों तथा व्यापारियों ने मिलकर किसानों तथा सरकार को धोखा देने का षड़यंत्र रचा था ;

(2) भारतीय खाद्य निगम का स्टाफ उत्पादकों द्वारा पेश किए गए स्टाक को रद्द कर रहा था लेकिन वे वही स्टाक व्यापारियों से अधिप्राप्ति मूल्य खरीद रहे थे । व्यापारी उत्पादकों से कम मूल्य पर अनाज खरीदेते थे और अवशेष को स्वय रख लेते थे ; और

(3) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी भ्रष्ट थे और वे अनियमितताएं करते थे ।

इनके अलावा, कुछेक मंडियों में खरीदारी के बारे में भी कुछेक विशिष्ट आरोप लगाए गए थे ।

श्री बीरेन दत्त : वक्तव्य में कहा गया है कि :

"भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों तथा व्यापारियों ने मिलकर किसानों तथा सरकार को धोखा देने का षड़यंत्र रचा था ;

भारतीय खाद्य निगम का स्टाक उत्पादकों द्वारा पेश किए गए स्टाक को रद्द कर रहा था लेकिन वे वही स्टाक व्यापारियों से अधिप्राप्ति मूल्य पर खरीद रहे थे । व्यापारी उत्पादकों से

कम मूल्य पर अनाज खरीदते थे और अवशेष को स्वयं रख लेते थे ; और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी भ्रष्ट थे और वे अनियमितताएं करते थे ।

इसके अलावा कुछेक मंडियों में खरीदारी के बारे में भी कुछेक विशिष्ट आरोप लगाए गए थे ।"

इससे प्रकट होता है कि राज्यस्थान के भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी पूर्णतः भ्रष्ट हैं । सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को दन्डित करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

श्री अण्णसाहिब पी० शिंदे : माननीय सदस्य ने शिकायतों के बाद की गई कार्यवाही के बारे में पूछा है । मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जब हमें शिकायतें प्राप्त हुईं तथा राजस्थान विधान सभा में भी शिकायत प्राप्त हुई—वास्तव में हमने उससे पूर्व ही मंडियों के स्तर पर लोकप्रिय समितियों की स्थापना का परामर्श दिया था । क्योंकि खाद्य निगम में भी मानवीय कमियां हो सकती हैं और व्यक्ति कदाचरों में संलग्न हो सकते हैं । इससे हम इंकार नहीं करते । उससे बचाव के लिए संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों तथा पंचायती समिति के प्रतिनिधियों एवं अन्य अधिकारियों से गठित लोकप्रिय समितियां ही हैं ।

राजस्थान सरकार को हमने ऐसा सुझाव दिया था । ऐसी समितियां अब गठित हो गई हैं । परन्तु खेद है कि उक्त समितियाँ ढंग से कार्य नहीं कर रहीं हैं । परन्तु हाल ही में जबसे हमने राज्य सरकार के खाते में खरीदना शुरू किया है, ज्यादा शिकायतें नहीं आई हैं ।

SHRI N. K. SHARMA : Is not it a fact that in the matter of purchase of wheat in Rajasthan, a lot of complaints have been received, so much so that even the Chief Minister of Rajasthan had to criticize the working of F C—1 ?

The hon. Minister said that the popular committees were reportedly not working properly. I would like to know as to when were these committees formed and when a report on their working was received ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह आरोप विधान सभा में अप्रैल में लगाये गये थे और इन समितियों की राज्य सरकार द्वारा स्थापना मई के बाद की गई थी, अर्थात् पिछले महीने यह समितियां कार्य कर रही थीं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा है कि समितियां विफल रही हैं ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य तथा सदन को बताना चाहता हूँ कि हमने इन समितियों की स्थापना के लिये राज्य सरकार को पिछले अगस्त में सुझाव

दिया था। जहां तक भारत सरकार का अथवा मेरे मंत्रालय का संबंध है, मैं समझता हूं कि कोई विफलता नहीं रही। हम आशा रखते हैं कि यह समितियां स्थानीय मंडियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण रख सकेंगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा है कि समितियां विफल रही हैं। समितियों की स्थापना जून में हुई, तब कैसे कहा जा सकता है कि समितियों का कार्य विफल रहा है। खाद्य निगम के कार्य-संचालन में परिवर्तन होना चाहिए। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मंत्री महोदय ने गलत तथ्य बताए हैं। समितियों की स्थापना जून से पहले नहीं हुई थी और उन्होंने कहा है कि समितियां विफल रही हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य संपूर्ण ब्यौरे में जा रहे हैं। मैं उन को सन्तुष्ट करने को तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार हमारा कार्य प्रगति नहीं कर सकता और हम अधिक प्रश्न नहीं ले पाते।

Cultivation of Maize instead of Wheat to Avoid Destruction by Rain at Harvest Time

*551. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that for the past several years, rabi crops are destroyed by rains at harvesting time;

(b) whether Government propose to encourage the cultivation of new quality of maize instead of wheat; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां,

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

SHRI K. M. MADHUKAR : Has the Government made investigations for growing maize crops in the areas where rabi crops are destroyed due to rains every time ? Certain specialists have sent a report to that effect to the Government. What steps the Government is taking on the report? Are they going to investigate the matter or not ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने माननीय सदस्य के सुझाव पर विस्तार से विचार किया है। उत्तर भारत के जल-वायु में गेहूं के स्थान पर मक्का बोना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे प्रश्नों को संक्षिप्त, सीधे तथा स्पष्ट रूप में रखें। व्यवधान न होने पर हम अधिक कार्य कर सकते हैं। मैं अधिक सहन नहीं करूंगा। जिन सदस्यों के प्रश्न बाद में होते हैं वे चाहते हैं कि उनके प्रश्न भी लिये जा सकें। हम प्रगति करने की चेष्टा करेंगे।

श्री पीलू मोदी : हम अधिक प्रश्न नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसे ही चलता है तो वही स्थिति आ जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बोकारो इस्पात कारखाने की लागत के संशोधित अनुमान

*548. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :**

श्री महाराजा मार्तण्ड सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने की लागत के संशोधित अनुमान मूल अनुमानों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विदेशी परामर्शदाताओं पर निर्भर होने के कारण उक्त लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) बोकारो के प्रबन्धक वर्ग द्वारा तैयार किये गये संशोधित अनुमानों के अनुसार बोकारो इस्पात परियोजना के प्रथम चरण के लिए 670 करोड़ रुपये के मूल अनुमानों में लगभग 88 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई गई है।

(ख) वृद्धि के मुख्य कारण हैं—देशीय उपकरणों की अधिक लागत के रूप में लगभग 60 करोड़ रुपये, इस्पात के मूल्य में वृद्धि के रूप में लगभग 11 करोड़ रुपये, मजदूरी में वृद्धि के रूप में लगभग 9.5 करोड़ रुपये। इस वृद्धि के किसी भी भाग के लिए विदेशी परामर्शदाता जिम्मेदार नहीं है।

चावल उत्पादन में असाधारण वृद्धि

*550. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी वर्ष में चावल उत्पादन में असाधारण वृद्धि के उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र को अधिकाधिक बढ़ाने तथा बहुफसली कार्यक्रम अपनाने के अतिरिक्त निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(I) सघन सिंचाई, विशेषकर भूमिगत जल संसाधनों का विकास;

(II) बीजों, उर्वरकों तथा ऋण जैसे आदानों की पर्याप्त मात्रा में तथा उचित समय पर सप्लाई;

(III) उर्वरकों का संतुलित तथा पर्याप्त उपयोग एवं बेहतर जल-व्यवस्था;

(IV) कीटों तथा रोगों की रोकथाम तथा भली प्रकार आयोजित वनस्पति सुरक्षा उपाय;

(V) किसानों के खेती में उद्देश्यपूर्ण तथा प्रभावोत्पादक प्रदर्शन;

(VI) राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम के साथ-साथ किसानों का प्रशिक्षण ।

इसके साथ-साथ चावल की ऐसी किस्मों के विकास के लिए और कदम उठाए जा रहे हैं जोकि विभिन्न कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, उनमें कीटों तथा रोगों के प्रति प्रतिरोध हो तथा वे उपभोक्ताओं को स्वीकार्य हो ।

India's Delegation to I.L.O. Conference

*552. SHRI N. S. BIST : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether India had sent her delegation to the 56th Conference of International Labour Organisation held at Geneva on the 7th June, 1971;

(b) if so, the names of the members of the said delegation and the basis on which their selection was made; and

(c) the main points discussed at the Conference ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) Yes, Sir. The 56th International Labour Conference opened at Geneva on the 2nd June, 1971,

(b) The names of the members of the Indian delegation to the Conference are given in the Statement placed on the Table of the House. The selection of the non-Government delegates and advisers was made in conformity with the I.L.O. Constitution.

(c) The Conference is still in session. The agenda of the Conference consists of the following items :

1. Report of the Director-General.

2. Programme and Budget proposals and other financial questions.

3. Information and Reports on the application of Conventions and Recommendations.

4. The World Employment Programme.

5. Protection and facilities afforded to workers' representatives in the undertaking.

6. Protection against hazads arising from benzene.

Statement

Names of the Members of the Indian delegation to the 56th International Labour Conference

Minister attending the Conference

Shri R. K. Khadilkar,
Union Minister of Labour & Employment.

Government Group

Delegates

1. Shri Kalyanrao Patil,
   Minister of State for Home and Labour,
   Government of Maharashtra, Bombay.

2. Shri P. M. Nayak,
   Secretary Department of Labour & Employment,
   Government of India.

Alternative Delegates/Advisers

1. Shri R. Anandakrishna,
   Joint Secretary, Department of Labour & Employment,
   Government of India.

2. Shri N. Krishnan,
   Ambassador and Permanent Representative of India to the United Nations Office, Geneva.

3. Shri P. M. S. Malik, First Secretary,
   Permanent Mission of India to the U.N. Office, Geneva.

Non-Government
Employers' Group

Delegate

1. Shri N. S. Bhat,
   Managing Director, Binny Limited, Madras.

Advisers

1. Shri Santosh Nath,
   Manager, *The Statesmen*, New Delhi.

2. Shri T. Rangaswamy,
   Secretary, Southern India Millowners' Association, Coimbatore.

3. Shri Madanmohan Ghose.
   Secretary (Legal), Bengal Chambers of Commerce and Industry, Calcutta.

4. Shri I. P. Anand,
   General Manager, Karam Chand Thapar and Brothers, New Delhi.

Workers' Group

Delegates

1. Dr. (Mrs.) Maitreyee Bose,
   President, Indian National Trade Union Congress, New Delhi.

Advisers

1. Shri Kanti Mehta,
   General Secretary, Indian National Mine Workers' Federation, Calcutta.

2. Shri Jagdish Chandra Dikshit, M. P.,
   General Secretary, Indian National Trade Union Congress,
   U. P. Branch, Lucknow.

3. Shri Satish Loomba,
   Secretary, All India Trade Union Congress, New Delhi.

4. Shri Vasant Kulkarni,
   Secretary, Hind Mazdoor Sabha, Bombay.

खान मंत्रालय के एक प्रतिनिधि मंडल का रूस का दौरा

*553. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मंडल धातु विज्ञान की टेकनोलाजी का अध्ययन करने के लिये रूस गया था ।

(ख) यदि हां, तो उस दौरे के क्या परिणाम निकले थे; और

(ग) क्या दो देशों के बीच कोई समझौता हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) रूस सरकार के आमन्त्रण पर सचिव (खान) ने दो तकनीकी अधिकारियों के साथ रूस की खनन और धातुकर्मीय सगठन का भ्रमण किया ।

(ख) इस दल के भ्रमण से उनको विभिन्न अलौह धातु की खानें, प्रद्रावक और योजना संगठनों के बारे में रूस के इस दिशा में अनुभव और अभिप्राप्तियों को सीखने में प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ ।

(ग) कोई औपचारिक करार नहीं किया गया था । रूस सरकार ने भारत में खनन और धातुकर्मीय विकास को और आगे बढ़ाने में सक्रिय समर्थन और सहयोग का वचन दिया है ।

दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है और वह विचाराधीन है ।

कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन पद्धति के अधीन श्रमिकों की सेवा शर्तें

*554. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन पद्धति के अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों की सेवा शर्तें क्या हैं ?

(ख) क्या कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन के श्रमिकों को वही सुविधायें मिल रही हैं जो सिविल श्रमिकों को दी जाती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

New Scheme of Agricultural Research evolved by Indian Council of Agricultural Research

*555. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Indian Council of Agricultural Research has evolved a new scheme for agricultural research;

(b) if so, the broad features thereof; and

(c) the nature and the extent to which the country is likely to be benefited by this scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (c).

It may not be correct to say that the Indian Council of Agricultural Research has evolved a new scheme for Agricultural research. However, there has been a new national approach towards important problems. These days, the I.C.A.R. is initiating a large number of All India Coordinated, Research Projects, crop-wise, discipline-wise and in respect of animals of economic importance to the country. Under these Projects the Central Institutes, State agencies and all other research organisations (including the Agricultural Universities) work in partnership in order to bring about maximum results during the shortest possible time, utilising the existing facilities all over country, strengthening them according to the requirements of the programmes and avoiding wastefull duplication. The free exchange of research information and plant breeding material in the review sessions or workshops which the research workers attend every season has greatly accelerated the progress of research. This approach has resulted in new high-yielding varieties and hybrids becoming available in record time.

There has been a general complaint that the results of research have generally benefited the farmers in irrigated areas and places where there is assured rainfall. Great emphasis is now being laid on research in the field of dry farming also which will help in reducing the economic imbalances while increasing the productivity of the vast tract of unirrigated lands.

In the wake of introduction of high-yielding varieties, new problems of pests and diseases have arisen. This is also receiving the special attention of the Council. There is a scheme for the survey of pests and diseases along with intensification of plant protection research. This is done, both by trying to develop new resistant varieties of crops and by doing research on remdial measures.

ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की सेवा की शर्तें

*556. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवनों तथा सड़कों के निर्माण-कार्य में लगे ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में प्रस्तावित नियम संतोषजनक नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण-कार्य में लगे मजदूरों की सेवा की शर्तों में संशोधन कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सी० पी० डब्ल्यू० डी०/एम० ई० एस० ठेका श्रम विनियमन सी०पी०डब्ल्यू०डी० और एम०ई०एस० से सम्बन्धित निर्माण कार्यों में लगे ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की सेवा और कार्य-दशाएं तथा उचित मजदूरी की अदायगी नियमित करते हैं। प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि ये विनियमन संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में संकटग्रस्त चीनी कारखाने

*557. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में बिहार राज्य में कितनी चीनी मिलें संकटग्रस्त थीं तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान निम्नलिखित आठ चीनी कारखाने संकटग्रस्त समझे जाते हैं :—

1. मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज, डालमियानगर, जिला शाहबाद।
2. मैसर्स मोहिनी शुगर मिल्स लि०, बारसालिगंज, जिला गया।
3. मैसर्स गुरारू चीनी मिल, गुरारू, जिला गया।
4. दक्षिणी बिहार शुगर मिल्स लि०, बिहटा, जिला पटना।
5. उत्तरी बिहार शुगर मिल्स लि०, लेसी रयाम शुगर कं०, रयाम, जिला दरभंगा।
6. समस्तीपुर सेन्ट्रल शुगर फैक्ट्री लि०, समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर।
7. शीतलपुर शुगर वर्क्स लि०, गरौल, जिला मुजफ्फरपुर।
8. श्री कृष्ण ज्ञानोदय शुगर लि०, लौरिया, जिला चम्पारन।

(ख) गुरारू चीनी मिल पहले से ही बिहार सरकार के स्वामित्व और प्रबन्ध के अन्दर है। दक्षिणी बिहार शुगर मिल्स, बिहटा हालांकि गैर-सरकारी क्षेत्र में है, फिर भी उसका प्रबन्ध एक प्रबन्ध-समिति के अधीन है और उक्त समिति में राज्य सरकार के भी तीन नामित होते हैं। बिहार सरकार ने सिद्धान्त रूप से संकटग्रस्त चीनी कारखानों का सहकारीकरण करने का निर्णय लिया है। लौरिया, बारसलिगंज और रयाम के चीनी कारखानों के मालिकों ने सहकारीकरण के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। राज्य सरकार तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक पहलुओं पर विचार कर रही है ताकि प्रत्येक मामले में निर्णय लिया जा सके।

गन्ना उत्पादक एसोसिएशन का चीनी उद्योग सम्बन्धी जांच समिति में प्रतिनिधित्व

*558. **श्री डी० के० पंडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक एसोसिएशन के गठन और अस्तित्व की जानकारी है और यदि हां, तो क्या चीनी उद्योग संबंधी जांच समिति में उसको प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है; और

(ख) क्या प्रत्येक क्षेत्र में गन्ने की प्रति टन उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, चीनी जांच आयोग में पहले ही गन्ना उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य है। आयोग विचार-विमर्श करते समय तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले, गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितों के प्रतिनिधियों, जिनको वे आवश्यक समझते हैं, से परामर्श करेंगे।

(ख) विभिन्न राज्यों में बहुत-सी गन्ना विकास योजनाएं प्रगति पर हैं। प्रति यूनिट क्षेत्र में उपज में वृद्धि होने से तथा उत्पादित गन्ने की किस्म में सुधार होने से गन्ने की उत्पादन लागत, लागत सूचकांक के मौजूदा स्तर से नीचे आने की सम्भावना है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ रेलवे बोर्ड, कोयला उद्योग के संगठनों और अन्य हितों के प्रतिनिधियों की बैठक में की गई सिफारिशें

*559. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ रेलवे बोर्ड, कोयला उद्योग के संगठनों तथा विभिन्न अन्य हितों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या मुख्य सिफारिशें की गईं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

मोटे अनाज के व्यापार के लिए लायसेंस प्रणाली को समाप्त करना

*560. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मोटे अनाज के व्यापार के लिए लायसेंस प्रणाली को समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों ने उक्त निर्णय के सम्बन्ध में अपनी सहमति दे दी है; और

(ग) कम उत्पादन वाले राज्यों की अर्थव्यवस्था पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). मोटे अनाजों तथा दालों की सुगम उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे ऐसे अनाजों को ऐसे आदेशों के दायरे से निकाल कर अपने लाइसेंसिंग आदेशों के उपबन्धों में ढील दें। सरकार के इस अनुरोध के परिणाम स्वरूप अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में मौजूदा स्थानीय स्थितियों को देखते हुए सभी अथवा कुछेक मोटे अनाजों के बारे में लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया है।

(ग) जिन राज्यों ने ढील दी हैं, वहां मोटे अनाजों के मूल्यों अथवा उनकी उपलब्धता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने अपनी स्थानीय उपलब्धता और अन्य संगत तत्वों को ध्यान में रखते हुए केवल मोटे अनाजों के बारे में ही लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त की है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का कार्यकरण

*561. **श्री सामिनाथन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीकी जानकारी की कमी और त्रुटिपूर्ण डिजाइनिंग हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के अकुशल कार्यकरण के कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में इस्पात का विवरण

*562. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में व्यापारियों को दिये जाने वाले इस्पात के बहुत से मासिक कोटे रद्द कर दिये गये हैं और मार्च, 1971 के पश्चात् छोटे व्यापारियों को सामान्य मासिक कोटा देने से इन्कार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) छोटे व्यापारियों को उनका सामान्य कोटा कब तक दिया जायेगा ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश की कोयला खानों में कोयले के भण्डारों का जमा होना

*563. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की कोयला खानों में कोयले के भारी भण्डार जमा हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता है ।

बर्मा से स्वदेश वापस लौटने वाले व्यक्तियों का पुर्नवास

*564. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **श्रम और पुर्नवास** मंत्री यह की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से और अधिक व्यक्ति भारत वापस लौटे हैं और उन्होंने खेती की भूमि, दुकानों और पुर्नवास के लिए राज्य सरकारों को आवेदन पत्र दिये हैं;

(ख) क्या दुकानों और खेती योग्य भूमि के नियतन के बारें में दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण बर्मा से स्वदेश वापस लौटे व्यक्ति इन राज्यों में नहीं बस सके हैं;

(ग) क्या स्वदेश वापस लौटे व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों को प्राथमिकता देने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को फिर से अनुदेश जारी करेगी; और

(घ) क्या स्वदेश वापस लौटे व्यक्तियों को सभी राज्यों में बसाने पर ध्यान रखने के लिए कोई सम्पर्क रखा जाता है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). स्वदेश लौटने वालों को पुनर्वास सहायता मंजूर करने के लिए पैटर्न योजनाए पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं अत: ऐसे आवेदनों को तत्काल निपटाये जाने की राज्य सरकारों से आशा की जाती है। फिलहाल फिर से अनुदेश जारी करना आवश्यक नही समझा गया है। विभाग के अधिकारी राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क रखते हैं ताकि स्वदेश लौटने वालों के पुनर्वास में अपरिहार्य विलम्ब न हो।

बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के निर्णयों की कियान्विति

*565. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1970 में दिल्ली में हुई बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति की बैठक के सर्वसम्मत निर्णयों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के निर्णयों को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार बागान श्रम अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का है; और

(ग) क्या बागान उद्योग में 'समान कार्य समान मजूरी' के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति की बैठक के निष्कर्षों के प्रकाश में बागान श्रम अधिनियम 1951 में संशोधनों, जहां कहीं आवश्यक हों, के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ लिंग के आधार पर भेद-भाव को रोकने सम्बन्धी भारत के संविधान के उपबंधों और समान पारिश्रमिक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय को जिसे भारत सरकार ने अनुसमर्थित कर दिया है, देखते हुए बागान उद्योग में समान पारिश्रमिक का सिद्धान्त लागू करने के लिए कोई नया प्रस्ताव बनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

रूरकेला इस्पात संयन्त्र में एक समिति का गठन

*566. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूरकेला **इस्पात** संयंत्र में इस्पात उत्पादन की धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या थे; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

स्वचलनकरण सम्बन्धी समिति

*567. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वचलनकरण सम्बन्धी समिति कार्य कर रही है; यदि हां, तो इसके कार्य की प्रगति क्या है और इसका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों तथा सेवाओं में स्वचलनकरण करने और कम्प्यूटरों का प्रयोग आरम्भ करने तथा इनका विस्तार करने के बारे में सर्वमान्य सार्वजनिक नीति निर्धारित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने स्वचलनकरण और इसकी श्रमिक समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) समिति ने सूचना एकत्र

करने का कार्य, जिसमें मौलिक साक्ष्य रिकार्ड करना, प्रश्नावली के उत्तरों का विश्लेषण और चुने हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों का मामला अध्ययन शामिल है, पूरा कर लिया है। सीमित द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की प्रत्याश्य है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही को अन्तिम रूप देने से पहले सरकार स्वचालन समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

बाघ और चीते के शिकार पर लगे प्रतिबन्ध को लागू करना

*568. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बाघ और चीते के शिकार पर रोक लगाए जाने के बावजूद अभी तक चोरी छिपे उनका शिकार हो रहा है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि चोरी छिपे शिकार करने वाले कौन हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिबन्ध को लागू करने तथा यह सुनिश्चित करने का है कि स्थानीय लोगों द्वारा वन्य जीवन को नष्ट न किया जाए ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) . सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा घटिया किस्म के संकर बीजों की सप्लाई

*569. **श्री कृष्णचन्द पांडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राष्ट्रीय बीज निगम ने किसानों को घटिया किस्म के संकर बीज दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की जांच की गई थी और यदि हां, तो जाँच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उत्तम किस्म के सकर बीजों को प्रमाणित करने और उन्हें खरीदने की प्रक्रिया क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां । सरकार तथा राष्ट्रीय बीज निगम को भी यथाकक्ष शिकायतें मिलती हैं ।

(ख) समस्त शिकायतों की जांच की गई है । सामान्यतौर पर जहां जांच से यह पता चलता है कि संभरित बीजों की कोटि ठीक नहीं है, निगम बीजों को निःशुल्क बदल देता है या बीजों का मूल्य लौटा देता है । सामान्यतौर पर जांच से पता चला है कि संभरित बीजों की कार्य-निष्पति ठीक न होने का कारण उनका सही ढंग से भण्डारण न होना, निर्धारित कृषि पद्धतियों का अपनाया न जाना, वनस्पति रक्षण के शीघ्र उपाय न कर पाना और प्रतिकूल मौसम का होना है ।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम की बीजों के प्रमाणीकरण तथा उपलब्धि दोनों के विषय में एक निश्चित प्रक्रिया है । प्रमाणीकरण के लिए फसल-बीजों की किस्म की शुद्धता, रोगों से मुक्ति आदि से सम्बन्धित एक निर्धारित कसौटी के अनुरूप होना आवश्यक है और बीज के लिए केवल उन बीज फसलों की कटाई की अनुमति दी जाती है जिनकी निरीक्षण द्वारा निर्धारित प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप होने की पुष्टि की जाती है । अधिप्राप्ति से पूर्व ऐसे खेतों मे प्राप्त बीजों का निधायन तथा उपचार करके उन्हें टैग लगाकर सील कर दिया जाता है ।

आसाम में धान के वसूली मूल्य

*570. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम किस भाव पर धान खरीद रहा है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में धान का वसूली मूल्य समान है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया जा रहा वसूली मूल्य उत्पादन लागत पर आधारित है अथवा उसका सम्बन्ध उपभोक्ता वस्तुओं के सूचकांक से है;

(घ) आसाम में धान का प्रति क्विंटल वसूली मूल्य क्या है और उस पर प्रति क्विंटल ऊपर का खर्च कितना आता है; और

(ङ) धान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना अन्तर है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम असम में निम्नलिखित दरों पर धान खरीद रहा है :

	(रुपये प्रति क्विंटल)
शार्ट बोल्ड प्रथम ग्रेड	56. 25
रैड ग्रेन दूसरा ग्रेड	53. 34
मीडियम सलेंडर प्रथम ग्रेड	59. 36

(ख) जी, नहीं। कृषि मूल्य आयोग फसल सम्भावनाओं, बाजार मूल्यों के सम्भावी रुख, सरकारी वितरण के लिए अपेक्षित अधिप्राप्ति की मात्रा, बफर स्टाक तैयार करने तथा मूल्य स्थिर करने को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए विभिन्न के लिए विभिन्न मूल्यों की सिफारिश करता है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम वही मूल्य पेश करता है जो सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग तथा राज्य सरकारों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) धान के अधिप्राप्ति मूल्य उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर में दिए गये हैं। भारतीय खाद्य निगम को अपने ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिए 3 रुपये प्रति क्विंटल चावल के हिसाब से प्रशासनिक खर्चा लेने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को भण्डारण, व्याज, बोरे, सम्भालने आदि के वास्तविक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक खर्चे दिए जाते हैं।

(ङ) अभिप्राप्त धान को चावल में परिवर्तित करने के बाद ही बेचा जाता है। तथापि, राज्य सरकार के अनुदेशों पर विंटर (सली) की कुछ मात्रा को धान के रूप में भारतीय खाद्य निगम के डिपों के बाहर 65.29 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा गया था जबकि उसका अधिप्राप्ति मूल्य 56.25 रुपये प्रति क्विंटल था ।

Setting up of new Vanaspati Mills in Public Sector in Madhya Pradesh

2374. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether new Vanaspati oil mills are being set up in Public Sector in Madhya Pradesh consequent upon Government's decision in regard to setting up of new Vanaspati oil mills in Public Sector; and

(b) the number out of them which would be under the control of the State Government and the Central Government respectively.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : (a) Government have no intention of setting up vanaspati factories in the public sector, whether in Madhya Pradesh or elsewhere in the country.

(b) Does not arise.

Allocation of Funds for the Construction of Roads in Madhya Pradesh undertaken during Famine

2375. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) Whether Central Government propose to allocate funds to Madhya Pradesh for completing the works relating to roads, which were undertaken during the famine there;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether crores of rupees spent thereon would go waste in case these works are not completed; and

(d) whether the means of communications have been disrupted on account of incomplete roads and the people have to face lot of difficulties as a result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (d) . The Central Government is concerned with the development of roads declared as National Highways. All other roads are essentially the responsibility of the State Government concerned. The State Government has reported that Rs. 5 crores and Rs. 2 crores were provided in the State Budget in 1970-71 and 1971-72 respectively for this purpose.

The Central Government shares the expenditure on relief measures, according to the prescribed pattern, only to the extent of alleviating the immediate distress occasioned to the people in the affected areas. If any works undertaken as relief works are left incomplete

during the period of scarcity, it is for the State Government to provide the necessary funds for their completion from their own resources on the plan or non-plan side as the case may be. To the extent the works are included in the State Plan, it is financed under the scheme of financing available for the State Plan schemes.

Three projects costing Rs. 2.45 lakhs to complete the roads, left incomplete, which had been taken up during the famine relief work have also been sanctioned under the Rural Works Programme.

Implementation of Recommendations of Central Electricity Wage Board in Madhya Pradesh

2376. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh State Electricity Board has implemented the recommendations made by the Central Wage Board;

(b) if so, whether the rates of wages have been revised; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b). The recommendations are reported to have been implemented in terms of an agreement entered into between the management of the Board and the Madhya Pradesh Vidyut Karamchari Sangh.

(c) Does not arise.

Procurement of Soyabean from Madhya Pradesh

2377. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of Soyabean procured from each District iu Madhya Pradesh during the years 1969-70 and 1970-71;

(b) the procurement price of Soyabean fixed by Government; and

(c) whether Soyabean has not been procured from Tikamgarh, Madhya Pradesh despite Government orders in this regard and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (c). Material has been called for from the State Government of Madhya Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha as soon as received.

Central Assistance to Small Farmers of Harda and Timattani, Madhya Pradesh

2378. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of small farmers in Harda and Timattani Tehsils of Hoshangabad District and East Nimar District of Madhya Pradesh who have been provided assistance under the declared policy of the Government; and

(b) the terms and conditions for providing the said assistance and whether the Government have reduced the prices of agricultural implements so that a small farmer could procure them at reasonable rates ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAGANNATH PAHADIA) : (a) The districts selected by the State Government for implementation of the Central Sector Schemes of Small Farmers Development Agency, Marginal Farmers and Agricultural Labourers and Rural Works Programme, do not cover Hoshangabad and East Nimar districts.

(b) Does not arise.

भारत में विशेषकर गुजरात के जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र

2379. **श्री जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने जिले सूखाग्रस्त हैं तथा गुजरात में ऐसे कितने जिले हैं ;

(ख) क्या गुजरात राज्य को कोई विशिष्ट निधि देना मंजूर किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी राशि क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1970-71 में बिहार, मैसूर, महाराष्ट्र, जम्मू तथा कश्मीर के कुछ भागों में दक्षिण-पश्चिमी मानसून और उत्तर-पूर्वी मानसून संतोषजनक नहीं थी । देश के 66 जिलों में कमी की स्थिति घोषित की गई है । गुजरात का कोई भी जिला सूखा-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्यों में आयातित उर्वरक का आरक्षित भंडार स्थापित करना

2380. **श्री जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य की आवश्यकता के अनुसार सरकार द्वारा हर राज्य में आयातित उर्वरकों के आरक्षित भंडार स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी, नहीं । फसल के मौसमों के पहले उर्वरकों के पर्याप्त भंडार में राज्यों की सहायता करना भारत सरकार का हमेशा प्रयत्न रहा है । परन्तु, राज्य सरकारों की ओर से प्रत्येक राज्यों में उर्वरकों का समीकरण भडार बनाना भारत सरकार के लिये संभव नहीं है । बन्दरगाहों पर पर्याप्त भंडारण की कमी के कारण या संचलन तथा वितरण की सुविधा के लिये केन्द्रीय उर्वरक पूल मुख्यतः बन्दरगाहों पर पाईप लाइनें तथा अन्तर्देशवर्ती डिपुओं पर सीमित सीमा तक भडारण बनाये रखता है । राज्यों में समीकरण भंडार को बनाये रखने का कार्य मुख्यतः राज्य सरकारों तथा सहकारी संगठनों सहित वितरकों का है । वितरक एजेन्सियों को वितरण सीमा में इस उद्देश्य के लिये व्यवस्था करने की अनुमति होती है ।

श्रमिकों को अधिक उत्पादकता के लाभ देना

2381. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकता बढाने वाले विभिन्न तत्वों को अलग करने और उन्हें आंकों में कठिनाई के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई उत्पादकता के लाभों से श्रमिकों को वंचित रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के विचार से कि बढ़ी हुई उत्पादकता के लाभ में से श्रमिकों को भी समुचित भाग मिले, सरकार क्या कार्यवाई कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इसमें सन्देह नहीं कि उत्पादन के विभिन्न तत्वों की उत्पादिता का परिशुद्ध अनुमान लगाना कठिन है । तथापि यह मानना ठीक नहीं होगा कि श्रमिकों ने बढ़ी हुई उत्पादिता से कोई लाभ प्राप्त नहीं किए ।

(ख) बढ़ी हुई उत्पादिता से, सुम्बधित अन्य हितों के साथ अर्थात् प्रबन्धकों और उपभोक्ताओं के साथ, श्रमिकों का उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले बढ़ी हुई उत्पादिता और बढ़े हुए उत्पादन की बहुत जरूरी बातों पर सिद्धान्त रूप में सहमति हो जिसमें नियोजकों और श्रमिकों दोनों का इनमें योगदान करने का दायित्व हो और दूसरे वे एक साथ मिलें और आपस में ऐसे मादक तैयार करें जो एक दूसरे को स्वीकार्य हों और जो विशिष्ट उपक्रमों में प्रवृत्त स्थानीय दशाओं से संगत हों ताकि जितना सर्वोत्तम ढंग से हो सके इनमें पक्षों के लिए उत्पादिता में वृद्धियों और समन्याय हिस्सों का निर्धारण हो। इस प्रयोजन के लिए नियोजकों और श्रमिकों को प्रतिनिधियों से परामर्श करना शुरू कर दिया गया है।

'नो योर फैमिली पेंशन स्कीम' पुस्तिका

2382. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय ने हाल ही में श्रमिकों के लिए 'नो योर फैमिली पेन्शन स्कीम' नामक एक पुस्तिका निकाली थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) अंग्रेजी और प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में भाषावार अलग-अलग कितनी प्रतियां छापी गई हैं ;

(घ) क्या ये प्रतियां बहुत कम संख्या में छापी गई थीं और अधिकांश उपयुक्त श्रमिकों को एक भी प्रति नहीं मिली है, और नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में एक प्रति भी उपलब्ध नहीं थी ; और

(ड़) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक श्रमिक को एक प्रति उपलब्ध कराई जाये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : परिवार पेंशन-व-जीवन बीमा योजना की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधी अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बंध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी, हां।

(ख) 'नो योर फैमिली पेंशन स्कीम' शीर्षक पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 434/71**]

(ग) क्षेत्रीय आयुक्तों को सलाह दी गई थी कि वे अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में छापी गई पुस्तिका की अपेक्षित प्रतियाँ प्राप्त कर । छापी गई (अलग-अलग भाषावार) प्रतियों की सही संख्या के सम्बंध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(घ) और (ङ). सभी प्रादेशिक आयुक्तों से कह दिया गया है कि वे इस योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों और प्रत्येक उद्योग के नियोजकों और श्रमिकों को देने के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषा में छापी गई पुस्तिका की पर्याप्त प्रतियां प्राप्त करें ताकि कर्मचारी उन्हें इस्तेमाल कर सकें और श्रमिकों में उनके विषयवस्तु का यथा-व्यापक प्रचार हो सके ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची का अनियमित कार्यकरण

2383. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हतिया परियोजना श्रमिक संघ के महामत्री द्वारा जारी किए गए परिपत्र संख्या एच. डब्ल्यू. जी. एस./71/525 दिनांक 11 मई, 1971 की ओर दिलाया गया है जिसमें मांग की गई है कि इस सरकारी उपक्रम के सभी उच्च अधिकारियों को बदला जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो जैसाकि इस पत्र में आरोप लगाया गया है हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के अनियमित कार्यकरण के संबंध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . निर्दिष्ट पत्र में लगाये गये आरोप वस्तुस्थिति का सही मूल्यांकन नहीं है और सरकार के विचार में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है । फिर भी, सरकार निगम के कमियों वाले क्षेत्रों के प्रति चौकस है तथा इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कई उपाय कर रही है ।

मालिकों द्वारा रोजगार कार्यालयों के जरिये भर्ती

2384. **डा० मेलकोटे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के रोजगार कार्यालयों का उपयोग करने के लिए मिल मालिकों को सहमत कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) लोक सेवा संघ या प्रतियोगिता-परीक्षाओं से भरे जाने वाले रिक्तस्थान और सरकारी क्षेत्र की संस्थापनाओं में 500/- रु० या अधिक प्रतिमाह वेतन वाले रिक्त-स्थान, जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र में नियोजकों को नियोजन कार्यालय के माध्यम से अपने कर्मचारियों की भरती करना अनिवार्य है। यद्यपि निजी क्षेत्र के नियोजक पर ऐसा कोई बन्धन नहीं हैं, फिर भी ऐसे नियोजकों द्वारा अधिसूचित सभी रिक्त-स्थानों पर नियुक्ति के लिए नियोजन कार्यालय उम्मीदवार भेजते हैं और उनका पूरा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बाद की कार्यवाही भी की जाती है।

(ख) अधिसूचित और भरे गये रिक्त स्थानों का प्रतिशत जो 1968 में 59.4 था बढ़कर 1970 में 60.1 हो गया।

दिल्ली में फैक्टरियों का बन्द होना

2385. **डा० मेलकोटे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले दो वर्षों के दौरान फैक्टरियाँ बन्द होने से कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा ; और

(ख) इन प्रभावित श्रमिकों को वैकल्पिक कार्य देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1969-70 और 1970-71 के दौरान दिल्ली में कारखानों के बन्द होने से 2,320 श्रमिक प्रभावित हुए, जिनमें से लगभग 2,000 श्रमिक अयोध्या टैक्सटाइल मिल, दिल्ली में नियोजित थे। औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन इस मिल का प्रबन्ध सम्भालने के लिए 7 जून, 1971 को राष्ट्रीय कपड़ा निगम को नियंत्रक नियुक्त किया गया है।

दिल्ली में पादप प्रजनन पाठ्यक्रम

2386. **श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन के तत्वावधान में पादप प्रजनन कर्ताओं के लिये दिल्ली में हाल में एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम की अवधि क्या थी तथा कितने व्यक्तियों ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया ; और

(ग) राज्यवार कितने स्थानीय किसानों ने तथा कितने विदेशियों ने (यदि कोई) प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का अभिप्राय सम्भवतः खाद्य और कृषि संगठन तथा स्वीडिश सरकार के तत्वावधान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा में इस समय चल रहे "अफ्रीका और सुदूरपूर्व हेतु मक्का, सोर्घम और मोटे अनाजों के सुधार तथा उत्पादन विषयक एफ०ए०ओ० / एस०आई०जी०ए० प्रशिक्षण केन्द्र" से है। यह प्रशिक्षण केन्द्र पहली जून, 1971 से शुरू हुआ था और यह 6 महीने की अवधि के लिए है। प्रशिक्षण के लिए सुदूरपूर्व और अफ्रीका से 22 उम्मीदवारों को चुना गया था और इनमें से 17 उपस्थित हो चुके हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पाठ्यक्रम के समस्त प्रशिक्षक भारतीय वैज्ञानिक हैं। यह पाठ्यक्रम कृषकों के लिए नहीं है, यह तो अपने-अपने देश में इन फसलों के अनुसन्धान में व्यस्त वनस्पति सम्बन्धकों तथा अन्य वैज्ञानिकों के लिए मक्का, सोर्घम और मोटे अनाजों से सम्बन्धित एक नवीकरण पाठ्यक्रम है। इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य, जोकि इसकी कार्य योजना में दिया गया है, प्रशिक्षणार्तियों को मक्का, सौर्घम और मोटे अनाजों के सुधार तथा उत्पादन विषयक व्यावहारिक पद्धतियों में गहन प्रशिक्षण देना है।

चीनी का निर्यात

2387. **श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस वर्ष अधिक चीनी निर्यात करने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनको चीनी का अधिकांश भाग निर्यात किया जायेगा ;

(ग) क्या यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश का चीनी के हमारे निर्यात व्यापार पर प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) अंतर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के अधीन प्रतिवर्ष हमें चीनी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय चीनी कौंसिल द्वारा निर्धारित मात्रा तक ही करना होता है। 1970 में लगभग 3.18 लाख मी० टन चीनी निर्यात की गई थी। फिलहाल,

1971 के लिए भारत की निर्यात संबंधी हकदारी लगभग 3.50 लाख मी० टन बैठती है और वर्ष की समाप्ति से पूर्व इस सारी मात्रा के निर्यात किए जाने की संभावना है।

(ख) 1971 में चीनी का अधिकांश भाग ब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका, थाईलैण्ड और मलयेशिया को निर्यात किरा गया है / किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा और तमिल नाडु के किसानों को कृषि सम्बन्धी ऋण के विस्तार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता

2388. **श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और तमिल नाडु के किसानों को दिये जाने वाले कृषि सम्बन्धी ऋण की राशि और क्षेत्र में विस्तार करने से सम्बन्धित कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 6 करोड़ डालर का ऋण देगा जबकि दो परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10.68 करोड़ डालर है;

(घ) शेष राशि को किन साधनों से पूरा किया जायेगा ; और

(ड़) प्रत्याशित राशि का राज्यवार किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) तामिल नाडु में यन्त्रीकरण और जलनिकासी, भूमि समतलन तथा लघु सिंचाई के लिए 350 लाख डालर, हरियाणा में लघु सिंचाई और यन्त्रीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने 250 लाख डालर स्वीकृत किये हैं।

(ग) और (घ). अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के ऋण की राशि 600 लाख रु० है जबकि परियोजना पर लगभग 1050 लाख डालर व्यय होने की सम्भावना है। यह कमी परियोजना

में भाग लेने वाले किसानों, ऋण देने वाले बैंकों, सरकार तथा कृषि पुनर्वित निगम द्वारा पूरी की जाएगी ।

(ड़) परियोजना जून 71 में ही अनुमोदित की गई है और ऋण अभी प्राप्त होना है । अतः इस अवस्था में ऋण के उपयोग का तो प्रश्न ही नहीं होता ।

अमरीका को चीनी का निर्यात

2389. **श्री विश्वनाथ भुंभुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीका को 150,000 मीटरी टन चीनी का निर्यात करने के लिये अनुमति मांगी है ; और

(ख) क्या अमरीका की सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के निर्णय की प्रतिक्षा की जा रही है ।

ग्रामीण रोजगार के लिए मैसूर के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में भू-सेना बनाना

2390. **श्री जी० वाई० कृष्णन** :
श्री के० लकप्पा :

क्या कृषि मंत्री यद बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये मैसूर के अभावग्रस्त शेत्र में भू-सेना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों के क्या नाम हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां । मैसूर में भू-सेना की कार्यकारिणी समिति का गठन फरवरी, 1971 में किया गया था । राज्य सरकार का राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों और साथ ही अन्य क्षेत्रों में भू-सेना के माध्यम से कुछ कार्य कार्यान्वित करने का विचार है ।

(ख) राज्य सरकार ने भू-सेना को ग्राम निर्माण कार्यक्रम निधि में से केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 37.5 लाख रु० की लागत की परियोजनाएं सौंपने का प्रस्ताव किया है ।

(ग) ये परियोजनाएं विशिष्ट जिलों तक ही सीमित नहीं होंगी वरन् सम्पूर्ण राज्य में कार्यान्वित की जाएंगी । मैसूर सरकार ने सूचित किया है कि भू-सेना ने ग्राम निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोलार जिले में एक परियोजना आरम्भ की हुई है ।

जर्मन जनवादी गणराज्य के ट्रेक्टरों के सप्लायरों द्वारा वारंटी दावों का अस्वीकार किया जाना

2391. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणराज्य के ट्रेक्टर सप्लायर भारतीय खरीदारों से कई लाख रुपयों के वारंटी दावों को अस्वीकार कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय ट्रैक्टर मालिकों के हितों की रक्षा के लिये सरकार का इस मामले में बीच-बचाव करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पूर्वी जर्मनी के संभरण-कर्त्ताओं द्वारा कृषि उद्योग निगमों द्वारा प्रस्तुत वारंटी दावों का शीघ्र निपटारा नहीं किया जा रहा है । कुछ निगमों के मामलों में कई लाख रुपयों के वारंटी दावे रद्द कर दिये गये हैं ।

(ख) तथा (ग). मामले पर भारत सरकार द्वारा पहले से ही सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्त्ताओं से वारंटी दावों को तात्कालिक आधार पर निपटाने का अनुरोध किया गया है ।

Low Procurement Price of wheat in Haryana, Punjab and U.P.

2392. **SHRI N. S. BISHT :**
SHRI K. C. PANDEY :

Will the Minister of AGRICULTURE pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news published in various newspapers that in the Mandies of Haryana, Punjab and Uttar Pradesh wheat is being procured @Rs. 74 per quintal or less, instead of Rs. 76 per quintal as fixed by Government;

(b) whether the FCI agents do not lift the wheat for several days of those commission agents who want to get the farmers paid at the rate of Rs. 76 per quintal for their wheat ;

(c) if so, whether the FCI agents in this manner are violating the official orders; and

(d) the action being taken by Government to curb such practices and get the official orders carried out ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) Some reports about payment of lower price have come to the notice of the Government. The farmers are being paid at Rs. 76 per quintal for fair average quality wheat. For wheat below F. A. Q., the farmers are paid after making deduction on account of quality according to prescribed specifications.

(b) and (c). No, Sir. Efforts are made to take delivery of stocks promptly in accordance with the market regulations/customs. There were, however, some instances of delay in the lifting of stocks from the markets on account of abnormally high arrivals of wheat in the markets of U. P. Every effort was made to ensure that the situation was not exploited to the detriment of the farmers.

(d) Continuous watch is being kept by senior officials of the Food Corporation of India and the State Government to ensure implementations of Government's policy. Specific complaints are promptly inquired and suitable action is taken where necessary.

मरमागाओ वाटरफ्रन्ट कर्मचारी संघ गोआ की मांगें

2393. **डा० सरदीश राय :**

श्री गदाधर साहा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मरमागाओ 'वाटरफ्रन्ट' कर्मचारी संघ गोआ द्वारा हड़ताल का आह्वान करने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) से (ग). मारमागाओ वाटरफ्रन्ट वर्कर्स यूनियन ने न्यूनतम गारंटी मजदूरी दरों में वृद्धि, उपस्थिति भत्ते, छुट्टी की सुविधाओं

चिकित्सा सुविधाओं, नाइट वेटेज । नाइट कोएफीशेंट भत्ते और गैंग नेता की मजदूरी सम्बंधी मांग-पत्र को लेकर 26 अप्रैल, 1971 को मारमागाओ गोदी श्रमिक बोर्ड और मारमागाओ गोदी श्रमिक बोर्ड की प्रशासकीय निकाय को हड़ताल का एक नोटिस दिया था। नौभरकों और यूनियन के बीच विचार-विमर्श के परिणाम-स्वरूप, यूनियन ने इस मामले को गोदी श्रमिक बोर्ड के साथ, सौहार्द-पूर्ण ढंग से तय करने के उद्देश्य से हड़ताल के नोटिस को वापिस ले लिया है।

मैसर्स सोमसुन्दरम मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर में कर्मचारी राज्य बीमे के अंशदानों का गबन

2394. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि मैसर्स सोमसुन्दरम मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर, तामिल नाडु के प्रबन्धकों ने कर्मचारी राज्य बीमे के श्रमिकों के अंशदान के 15 हजार रुपये का गबन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने धन एकत्र करने और प्रबन्धकों पर मुकदमा चलाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन देय अंशदानों का संग्रहण कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सांविधिक जिम्मेदारी है। निगम प्राधिकारी मद्रास के प्रादेशिक कार्यालय से आवश्यक सूचना एकत्र कर रहे हैं।

Resignation by Chairman of Committee on National Fuel Policy

2395. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE
SHRI P. GANGADEB: ~

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Chairman of the Committee on National Fuel Policy has recently resigned ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) He has stated that he is unable to spare time for the work of the Committee.

मणिपुर में भूतत्वीय सर्वेक्षण

2396. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में इस बीच एक व्यापक भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है; **और**

(ख) यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पहले ही मणिपुर राज्य-क्षेत्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है । सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, उखरूल उप-खंड में उखरूल, हंगदुंग, कासोम और टेगुंपत्न उप-खण्ड में पल्लोल, चापी, करोंग में चून पत्थर, नाँगौ निंगथि और कोंगल थाना में निकल-ताम्र और क्बाथा और नेपाली बस्ती के इर्द-गिर्द टेड़े-मेड़े चट्टानों में क्रोमाइट, थौबल उप-खण्ड में नमक में चश्मे अवस्थापित किए गए हैं। चूना पत्थर की उपलभ्य राशियां 30 लाख टन से अधिक अनुमानित की गई हैं ।

राज्य-क्षेत्र का व्यवस्थित पुनः सर्वेक्षण और गर्तन एवं व्यधन द्वारा चूना पत्थर निक्षेपों का विस्तृत अन्वेषण प्रगति पर है ।

कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों के माध्यम से पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधाओं का दिया जाना

2397. **श्रीमती विभा घोष** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण भारत में पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खनिज संसाधनों के बारे में भूतत्वीय सर्वेक्षण

2398. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत में खनिज संसाधनों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके राज्यवार क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 1851 में अपने प्रारम्भण से ही देश में खनिज निक्षेपों के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण करते आ रहा है और उसके परिणामस्वरूप विभिन्न खनिजों की सारवान मात्राएं अवस्थापित और प्रतिपादित की गई हैं ।

प्रत्येक राज्य में अवस्थित महत्वपूर्ण खनिज निक्षेपों को दर्शित करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 435/71**]

अन्तर्राष्ट्रीय टीन समझौता

2399. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय 'टीन' समझौते में शामिल है;

(ख) क्या रूस भी अन्तर्राष्ट्रीय 'टीन' समझौते में शामिल हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समझौते में रूस का प्रवेश अन्य सम्बद्ध देशों के लिए सहायक सिद्ध होगा; और यदि हाँ, तो किस रूप में ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) रूस और कतिपय दूसरे देशों के टिन करार में प्रवेश से वंचित सदस्यता, टिन व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के वर्धन में सहायक होगी ।

उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई

2400. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा सरकार की हाल की इस नीति से अवगत है जिसके अनुसार निजी व्यापारियों को चावल के उत्पादन तथा उसे उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों को भेजने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि यह नीति वहाँ खाद्य निगम के वहाँ समाहार के कार्य में बाधक होगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने ऐसा कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किया है जिसके अन्तर्गत गैर-सरकारी व्यापारियों को उड़ीसा से चावल अधिप्राप्त कर अन्य राज्यों को निर्यात करने की अनुमति दी गई हो । तथापि, राज्य सरकार ने उनके द्वारा अधिप्राप्त किए गए 3,000 मी० टन चावल को व्यापारियों के माध्यम से पश्चिमी बंगाल भेजने की अनुमति दी थी क्योंकि इस चावल को सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से नहीं बेचा जा सकता था । इस कम मात्रा के निर्यात से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चावल की अधिप्राप्ति में कोई बाधा नहीं पड़ी है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा घाना से बिना तराशे हुए हीरों की खरीद

2401. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या इस्पात और खान मंत्री राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा घाना से बिना तराशे हुए हीरों की खरीद के बारे में 14 दिसम्बर, 1970 के उत्तर के तारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस बीच हीरे बेच दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को इस सौदे में कितना लाभ या हानि हुई है ?

इस्पात और खान मंतालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खा) : (क) और (ख). इस समय तक लगभग 40% हीरे मूल्य द्वारा वेचे जा चुके हैं। लाभ अथवा हानि यथास्थिति, केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जबकि बचे हुए स्टाक का भी निपटान किया गया हो।

राज्यों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

2402. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंती (श्री अन्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने सिंचित भूमि सहित सब कृषि भूमि पर जोत की अधिकतम सीमा पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। विभिन्न राज्यों में भूमि की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए जोत की अधिकतम सीमा कम करने का प्रश्न, भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित की गई केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के विचाराधीन है।

मणिपुर में चावल मिलें और उनके स्थापना स्थल

2403. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मणिपुर में कितनी चावल मिलें हैं और क्षेत्र-वार उनको उन स्थानों पर स्थापित करने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्णासाहेब पी० शिन्दे) : मणिपुर में कुल 107 चावल मिलें हैं। इन मिलों का क्षेत्रवार स्थान बताने वाला एक विवरण संलग्न है। किसी क्षेत्र विशेष में चावल मिलों की स्थापना तथा उनके कार्यचालन के लिए मणिपुर सरकार द्वारा चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 में उल्लिखित पद्धति तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार पूर्ण जाँच करने के बाद और बिजली की उपलब्धता, कच्चे माल, जनसंख्या और स्थानीय आवश्यकताओं जैसे उन नियमों में उल्लिखित तत्वों को ध्यान में रखते हुए परमिट दिए जाते हैं।

विवरण

मणिपुर में चावल मिलों का क्षेत्रवार स्थान बताने वाला विवरण ।

क्षेत्र	चावल मिलों की संख्या
1. उत्तरी जिला	2
2. केन्द्रीय जिला	97
3. दक्षिण जिला	8
जोड़	107

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भू-स्खलन

2404. **राजमाता कृष्णा कुमारी** (जोधपुर) : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह जानने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि कार्य आरम्भ करने के परिणामस्वरूप भू-स्खलन कितना होगा; और

(क) यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि कार्य आरम्भ करने के परिणामस्वरूप कितने भू-क्षरण होने की सम्भावना है, इस विषय में कोई अध्ययन नहीं किया गया है । किन्तु समस्याओं का अध्ययन करने और भूमि उपयोग तथा वातज भू-क्षरण के विषय में सुझाव देने के बारे में एक केन्द्रीय दल ने जून, 1970 में राजस्थान नहरी परियोजना क्षेत्र का दौरा किया था । केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने भी पश्चिमी राजस्थान में वातज भू-क्षरण की समस्या के बारे में कुछ अनुसंधानात्मक अध्ययन किये हैं और जब फसल बोई जाती है तो उस समय भू-क्षरण कम करने के उपाय भी निकाले हैं ।

केन्द्रीय विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की थी कि रेतीली मृदा से मिट्टी उड़ने को रोकने के लिए मई-जून के दौरान आच्छादन की आवश्यकता है। सिंचित भूमि पर गेहूं की ठूंठ या अन्य फसल अवशेषों से इसकी व्यवस्था की जा सकती है बशर्ते कि चराई से यह नष्ट न हो और फसलें भूमि के बहुत निकट से न काटी जायें। इसके अतिरिक्त, रेतीले क्षेत्रों में मृदा उड़ने के प्रभावकारी नियंत्रण के लिए, समस्त क्षेत्र में नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि छोटे-छोटे अलग-अलग और अनियंत्रित क्षेत्रों से सामान्यतौर पर निकटवर्ती, क्षेत्रों में रेत फैलती है जिससे भूमि अनुत्पादक बन जाती है। केन्द्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने वातज पट्टीदार खेती की सिफारिश की है, जिसके अनुसार वातज भू-क्षरण को रोकने के लिए सेवान ग्रास (लास्यूरस सिण्डीकस) कैस्ट्रो (रिसीनस कम्यूनिस) एक वातज पट्टी तथा 6 फसल पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। कैस्ट्रो (रिसिनस कम्यूनिस) वातज पट्टी में उगाए जाते हैं और बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार और तिल जैसी फसलें फसल पट्टियों में उगायी जाती है। इस पद्धति से वातज भू-क्षरण को प्रभावकारी तरीके से रोका जा सकता है और इससे 10-15 प्रतिशत उपज भी बढ़ती है। 45 सैन्टीमीटर ऊंची पलवार, बाजरे की खड़ी मूंड़ी से भी वातज भू-क्षरण द्वारा भूमि की क्षति कम होती है और 5-10 प्रतिशत तक फसल उपज भी बढ़ती है।

त्रिपुरा में आदिवासियों से अन्य व्यक्तियों को भूमि का हस्तांतरण

2405. **श्री दशरथ देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में बहुत से आदिवासियों से अन्य व्यक्तियों को भूमि हस्तांतरित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हस्तांतरण को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत के चीनी सम्बन्धी हित

2406. **श्री दण्डपाणि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मई 1971 को ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 6 देशों द्वारा स्वीकृत संयुक्त घोषणापत्र में भारत के चीनी सम्बन्धी हितों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह राष्ट्रमण्डल चीनी करार के प्रतिकूल नहीं है; और

(ग) भारतीय हितों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). संयुक्त घोषणा में भारत का नाम छूट गया था।

भारत के चीनी सम्बन्धी हितों की सुरक्षा के प्रश्न को बाद में उठाया गया था। इस चूक के शीघ्र ही सुधारे जाने की सम्भावना है और भारत के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जैसाकि अन्य विकासशील राष्ट्रमण्डल देशों के साथ किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास तथा रोजगार योजना के पुनरीक्षण के लिए समिति

2407. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास तथा रोजगार योजनाओं के समन्वय हेतु एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय समिति की स्थापना की गई है जिससे कि इन योजनाओं पर हुई प्रगति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 और 1970-71 में आरम्भ की गई योजनाओं में, राज्य-वार, कितनी प्रगति हुई है;

(ग) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं के लागू करने में कितने अतिरिक्त पदों के बनाए जाने की योजना है; और

(घ) वस्तुतः कितने पद बनाए गए हैं तथा वह किस प्रकार के हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति इस प्रकार है :

(i) **लघु कृषक विकास अभिकरण और सीमाँत कृषक तथा कृषि श्रमिक अभिकरण योजनाएं** : अब तक 46 लघु कृषक विकास अभिकरण परियोजनाओं में से 45 को और 41 सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं में से 34 को स्वीकृति दी गई है। वर्ष 1970-71 में लघु कृषक विकास अभिकरणों को 3.00 करोड़ रुपये की राशि और सीमांत कृषक तथा कृषि

श्रमिक अभिकरणों को 1.00 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। प्रत्येक सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना के अंतर्गत, कृषि श्रमिकों तथा छोटे किसानों को मन्दी के समय मजदूरी पर रोजगार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए तक की राशि की व्यवस्था की जाती है।

(ii) **बागानी खेती** : वर्ष 1970-71 में बागानी खेती कार्यक्रम के अंतर्गत 9 परियोजनाएं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश के राज्यों में एक-एक स्वीकृत की गई थीं। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा देरी से स्वीकृतियां जारी करने और कर्मचारियों को भर्ती करने तथा उनको प्रशिक्षण देने में विलम्ब होने के कारण ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई। बागानी खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित भूमि संरक्षण, भूमि विकास और जल एकत्रीकरण जैसे स्थायी कार्यों की रोजगार सम्भाव्यता का अनुमान इन कार्यों, जो वर्ष भर में छः महीनों के काम के मौसम में किए जा सकते हैं, पर होने वाले प्रति एक करोड़ रु० के व्यय पर लगभग 15,000 श्रम वर्ष लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त तकनीकी तथा पर्यवेक्षी कार्मिकों के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा।

(iii) **ग्राम निर्माण कार्यक्रम** : 1970-71 में आरम्भ किए गए ग्राम निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले वर्ष के लिए कार्यक्रम चुने हुए 54 जिलों में से 45 में मंजूर किया गया है। इस बारे में हुई भौतिक तथा आर्थिक प्रगति का ब्यौरा राज्यों से प्राप्त नहीं हुआ है। मंजूर की गई राशि तथा राज्यों द्वारा सूचित किया गया प्रत्याशित व्यय नीचे दिया गया है :

(लाख रु० में)

राज्य	मंजूर किये गये कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
आंध्र प्रदेश	284.64	194.82
बिहार	5.00	5.00
गुजरात	329.93	250.98
मध्य प्रदेश	20.67	5.17
महाराष्ट्र	132.26	94.06
मैसूर	180.80	137.19
उड़ीसा	34.00	19.00
राजस्थान	221.66	55.00
तमिल नाडु	107.00	107.00
उत्तर प्रदेश	35.00	27.77
पश्चिम बंगाल	34.22	8.55

Loan given by Land Development Banks in Rajasthan

2408. SHRI M.C. DAGA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the total amount of loans advanced by the Land Development Banks in Rajasthan during the last three years indicating the development works for which loans were given ; and

(b) the total number of persons in Rajasthan who have been given loans by the said banks ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAGANNATH PAHADIA) : (a) and (b). The long-term loans advanced by Land Development Banks in Rajasthan during the last three years as also the number of members who were advanced loans and the purposes of loans were as under :

(Rs. in lakhs)

Coop. Year	*No. of members who were advanced loans*	*Amount of loan advanced to individuals*
1967-68	4,232	148.87
1968-69	6,608	226.86
1969-70 (Provisional)	Not available	345.19

The Land Development Banks in Rajasthan provided long-term developmental finance mainly for the purposes and to the extent noted below :

Purpose	*Cooperative Year*		
	1967-68	1968-69	1969-70 (Provisional)
(1) Land Improvement	15%	6%	3%
(2) Sinking & repair of wells.	43%	46%	50%
(3) Purchase of farm machinery.	40%	43%	43%
(4) Other purposes	2%	—	4%

चण्डीगढ़ के निष्कासितों का पुनर्वास

2409. **श्री अमर नाथ विद्यालंकार :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 1 अप्रैल 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1958 के पश्चात दूसरे चरण में निष्कासितों की संख्या क्या है और उन निष्कासितों की संख्या क्या है जिनका पंजाब या हरियाणा में भूमि पर विधिवत पुनर्वास किया जा चुका है ;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनको पुनर्वास की सुविधा के लिए चन्डीगढ़ में रिहायशी प्लाट दिए गए हैं ;

(ग) क्या निष्कासितों के पुनर्वास के लिए पंजाब में कोई भूमि उपलब्ध है और यदि हां, तो क्या उस भूमि पर इनमें से किन्हीं निष्कासितों का पुनर्वास किया गया है ; और

(घ) चन्डीगढ़ में रिहायशी प्लाटों के लिए और कृषि भूमि पर बसाए जाने के लिए प्रशासन के पास कितने आवेदन-पत्र निर्णयाधीन पड़े हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ग). निष्कासितों की संख्या – 1852 है।

चूंकि लागू विधि अर्थात भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में की गई व्यवस्था के अनुसार जो भूमि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की गई थी, उसके लिए मुआवजे के रूप में केवल नकद भुगतान किया जाना था न कि भूमि के बदले में भूमि। इसलिए उनके पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) कोई नहीं।

(घ) रिहायशी प्लाटों के लिए — 64

कृषि भूमि के लिए — कोई नहीं।

Employees Pension Scheme, 1971

2410. SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of employees likely to be benefited by the Employees Pension Scheme, 1971 as a result of the recent amendment in the Provident Fund Act;

(b) the number and the category of employees who are not covered by this scheme ; and

(c) the scheme prepared by Government for such employees ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R.K. KHADILKAR): The administration of the Family Pension-cum-Life Assurance Scheme is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952, and not the direct concern of the Central Government. The Provident Fund authorities have intimated as under :

(a) and (b) . The last date for exercising option in favour of or opting out of the Family Pension Scheme has been extended upto 31-8-1971. Therefore, at this stage it is too early to indicate the number of employees who may become members of the Family Pension Scheme or who may opt out.

(c) Such of the members as do not opt to join the Family Pension-cum-Life Assurance Scheme would, however, continue to get the benefit of full provident fund under the existing terms and will not have any part of their contributions diverted to the new Scheme as in the case of the members of that Scheme.

E.P.F. Arrears with Heera Mills Company (Private) Limited, Ujjain

2411. SHRI JAGANNATHRAO JOSHI :

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the amount of Employees Provident Fund which has not been contributed so far by Heera Mills Company (Private) Limited, Ujjain ; and

(b) the action proposed to be taken by Government to recover the said amount from the aforesaid company?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R.K. KHADILKAR): (a) and (b) . The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and is not the direct concern of the Central Government. The Provident Fund authorities have reported as under :

As on 31-3-1971 M/s Hira Mills Co. Private Limited, Ujjain were in default of about Rs. 34.02 lakhs on account of employers' and workers' share of Provident Fund Contributions. Revenue Recovery Certificates have been issued for the entire amount. Proposals for prosecuting the old management and also the Authorised Controller under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act have been forwarded to State Government. Complaints under Sec. 406/409 of the Indian Penal Code have been filed in the Court against the old management. Before initiating action under Sections 406/409 of the Indian Penal Code against the Authorised Controller, a show cause notice has been issued to him

कृषि क्रांति का कृषि उत्पादन पर प्रभाव

2412. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्रांन्ति के कारण देश में अनाज के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) कृषि क्रान्ति का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सामाजिक- आर्थिक प्रभाव पड़ा है ;

(ग) कृषि क्रान्ति से किसानों के कौन-कौन से वर्ग लाभान्वित हुए हैं ; और

(घ) कृषि श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1966-67 से नई कृषि-नीति की सफलता को ही प्रायहरित क्रान्ति कहा जा रहा है। खाद्यान्नों के उत्पादन में की गई उन्नति जिसमें नई कृषि नीति ने काफी योगदान दिया है, निम्न प्रकार है :—

भारत में खाद्यान्न का उत्पादन

(दस लाख मैट्रिक टनों में)

1964-65	89.4
1965-66	72.3
1966-67	74.2
1967-68	95.1
1968-69	94.0
1969-70	99.5
1970-71 (पूर्वानुमानित)	105-106

(ख) से (घ). देश के जिन भागों में नई कृषि नीति को सफलतापूर्वक अपना लिया गया है वहाँ किसानों की आय पर उसका काफी प्रभाव पड़ा है। अधिक सघन तथा बहुफसली खेती के प्रचलन के परिणामस्वरूप रोजगारों के अवसर भी बढ़ गए हैं। नई नीति प्राय खेत के आकार के प्रति उदासीन है और यह देखा गया है कि नई नीति को अपनाने की सहर्षता में छोटे किसान भी बड़े तथा प्रगतिशील किसानों से किसी प्रकार पीछे नहीं हैं फिर भी क्षेत्रों में किसानों के समक्ष खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े होना असमय तथा अपर्याप्त मात्रा में जल तथा अन्य आदानों का उपलबद्ध होना, ऋण सुविधाओं की कमी तथा फसल के भंडारण एवं विपणन की असन्तोषजनक सुविधाएं, जैसी अनेक समस्याएं हैं जोकि नई नीति को अपनाने में उनके सामने एक बाधा के

रूप में हैं। ऐसे क्षेत्रों में उन किसानों को उनकी संख्या तथा आवश्यकताओं के अनुपात में लाभ पहुंचा है।

पिछड़े हुए वर्गों तक नई तकनीकी के लाभ पहुँचाने के लिए छोटे किसानों के लिए कार्यक्रम, सीमान्त कृषकों तथा कृषि मजदूरों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम लागू किए गये हैं। सूखे और अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।

नियन्त्रण हटाने के बाद चीनी के मूल्यों में वृद्धि

2413. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रण हटाए जाने के बाद चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी ; और

(ग) उक्त मूल्य में कमी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

गुआ क्षेत्र की लोहे की खानों में मरे श्रमिकों के परिवारों को भविष्य निधि का भुगतान

2414. **श्री रतन लाल ब्राह्मण** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गुआ क्षेत्र की लोहे की खानों में मरे श्रमिकों के कुल कितने परिवारों को वर्ष 1967-71 की अवधि में भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया ; और

(ख) क्या सरकार भविष्य निधि के शीघ्र भुगतान के बारे में तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) बिहार के गुआ क्षेत्र में, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 के अंतर्गत केवल दो प्रतिष्ठान अर्थात मैसर्स इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी और मैसर्स घाटकुरी आयरन एण्ड मैंगनीज माइन्स आत हैं। इनमें से मैसर्म इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रवर्तन से छूट मंजूर हो गई है। दावों की अन्तिम अदायगी और लेखे बनाने से संबंधित कार्य प्रतिष्ठान के ही न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। परन्तु मैसर्स घाटकुरी आयरन एण्ड मैगनीज माइन्स के सदस्यों के लेखे भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं। 1967-71 के दौरान मृत सदस्य के परिवार को भविष्य निधि में जमा राशि की अदायगी के लिए केवल एक प्रार्थना पत्र 16 सितम्बर, 1970 को प्राप्त हुआ और 30 नवम्बर 1970 को दावे का निपटारा हो गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जर्मन जनवादी गणराज्य द्वारा सप्लाई किए गये ट्रैक्टरों में त्रुटियों के कारण उत्तर प्रदेश के किसानों को कठिनाइयाँ

2415. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणराज्य द्वारा सप्लाई किए गए ट्रैक्टरों में त्रुटियों के कारण उत्तर प्रदेश के अनेक किसानों को कठिनाइयाँ हो रही हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी, हां। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन पद्धति

2416. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन पद्धति (सी आर ओ) कब आरम्भ की गई थी ;

(ख) क्या वह पद्धति अब भी चालू है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में अलग-अलग कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन में कुल कितने श्रमिकों को काम पर लगाया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सन् 1946 में ।

(ख) जी, हाँ ।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

Central Directive regarding Allotment of Cultivable Land to Landless Tribals for Increased Agricultural Production

2417. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to allot cultivable land to landless Adivasi Tribals with a view to increasing agricultural production; and

(b) whether the Central Government would issue instructions to the State Governments for taking steps in this Direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) The schemes relating to allotment of cultivable land to landless adivasi tribals are formulated by the State Governments.

(b) In successive Five Year Plans, it has been stated that priority should be given among others to landless adivasis for allotment of cultivable land.

Average Milk Production and its per capita Average Availability

2418. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the approximate quantity of milk being produced in the country at present ;

(b) whether the Nutritious Diet Consultative Committee of the Medical Council of India has expressed the opinion that a minimum of 10 ounces of milk is required per person per day in order to maintain normal health; and

(c) the average per capita quantity of milk being made available to the people in the country at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : (a) In the 4th Five Year Plan, the estimated production of milk in 1968-69 has been taken as 21.2 million tonnes.

(b) The Nutrition Advisory Committee of Indian Council of Medical Research had recommended in 1944, 10 ounces of milk per adult per day in the composition of a balanced diet for maintenance of good health. Subsequently, in 1968, the Nutrition Expert Group of the Indian Council of Medical Research recommended daily allowances of nutrients of milk as given in the enclosed statement. [*Placed in Library. See* No. LT-436/71]

(c) The average per capita availability of milk per day was of the order of 105 grams during 1968-69.

Registration with Employment Exchanges in Delhi

2419. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of educated and uneducated persons who have got their names registered in the Employment Exchanges in Delhi since 1st January, 1970 to-date;

(b) the number of persons who were provided with employment through these Exchanges during the aforesaid period; and

(c) whether Government have under consideration any scheme for creating more employment opportunities during the next year in order to provide employment to more people ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R.K. KHADILKAR) : (a) & (b). The available information is given in the attached statement.

(c) Various development programmes in the field of agriculture, industry, irrigation and power, transport and communication, social services, such as education, health and family planning, and social welfare, included in the Fourth Five Year Plan, are expected to create increasing number of employment opportunities.

Statement

Category of job-seekers	Number registered during the year 1970.	Number placed in employment during the year 1970
1	2	3
1. Educated (Matriculates and above)	81,067	5,344
2. Un-educated (Below Matric including illiterates).	75,380	24,283

NOTE : The data on educated job-seekers registered with the employment exchanges are collected at half-yearly intervals ending June and December of each year.

Difficulties faced by farmers due to shortage of sacks and price paid by F.C.I. for Wheat Purchases

2420. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints to the effect that farmers are facing great difficulties on account of shortage of sacks and money the payment of the price of wheat purchased by the Food Corporation of India from them; and

(b) if so, the measures proposed to be taken by Government to make up the deficiency in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) & (b). The necessary arrangements for bagging of foodgrains procured have been made at all the places where the F.C.I. is undertaking procurement. Some complaints were received from U.P. that because of the shortage of gunnies the purchased grain could not be bagged and that consequently payment for the purchased grain was held up. Since some delay, in receipt of B.T. gunnies from the bulk purchases arranged by D.G. S. & D. was apprehended, the immediate requirements were met by purchasing DW gunnies, obtaining supplies from Army Purchase Organisation and the State Government as also by limited local purchases. The payment to the farmers is made by the Corporation in accordance with the rules and regulations in force in the regulated markets. At those places where there are no regulated markets the payments are made to the farmers in accordance with the traditional

system and the payment is prompt. In most of the mandis payments have to be made to the farmers on the day of the purchase itself and this is being done by the Corporation. If and when any cases of delay in payment or of any other difficulty to farmers in the purchases of F.C.I. come to the notice of the Corporation, prompt action is taken to straighten out the difficulty.

Loss incurred in Durgapur Steel Plant

2421. SHRI CHANDRIKA PRASAD :
SHRI SHIV KUMAR SHASTRI :
Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the total amount of loss suffered, so far, by Government in the Durgapur Steel Plant;

(b) whether Government propose to run this plant in partnership with the employees in order to earn profits in future; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) The total loss suffered by Durgapur Steel Plant upto the end of March, 1970 was about Rs. 83.5 crores. The accounts for the year 1970-71 have yet to be finalised.

(b) & (c). The Management welcome all positive suggestions from the employees for increasing production and productivity. With this object in view, the management has been holding periodic meetings with the Unions for Joint efforts in improving production and productivity.

Test for converting Fallow Land into Cultivable Land

2422. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any test with a view to turning fallow land into cultivable land ; and

(b) if so, the findings thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) Yes, Sir.

Presumably, 'fallow land' which is seasonally out of cultivation, is intended to include wasteland. The wasteland may be at present unsuitable for cultivation, lying as saline-alkali land, ravines etc. Research studies have been made with a view to find methods to bring them under cultivation.

(b) With the increasing availability of irrigation water and improved water management practices, multiple cropping is practised and in consequence the area under seasonal fallow land is decreasing. As regards the saline-alkali wasteland, at present lying fallow, research results have shown that the use of gypsum at the rate of 4 to 7 tonnes/ha depending upon the type of soil with proper drainage and other agronomic practices, can reclaim such land for raising of crops like rice, profitably.

The studies carried out in ravine reclamation show that shallow and medium ravines may profitably be reclaimed mechanically to bring them under cultivation, specially when irrigation water is available.

Testing Centres to check spread of Desert in Rajasthan

2423. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the names of the places in Rajasthan where the Government have set up Testing Centres to check the spread of sandy land in Rajasthan ; and

(b) the progress made so far in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OP AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) The Central Arid Zone Research Institute which was set up by the Government of India and its afforestation units at Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner and Jhunjhunu have undertaken experimental works to control shifting sand in Rajasthan.

(b) About 842 hectares of shifting sand dunes have been stabilized at test sites in the districts of Barmer, Bikaner, Churu and Jhunjhunu.

Also about 205 kms. of road side avenue plantations have been established at Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner and Churu to serve as effective wind breaks in controlling moving sand.

Increase in Price of Urea, Di-ammonium and Potash Fertilizers

2424. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the price of urea, diammonium and Potash fertilizers ; and

(b) if so, the basis thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) There is no proposal to increase the prices of Urea, Diammonium Phosphate and Potash. In fact, the price of Urea has recently been reduced by Rs. 20/- per M.T. with effect from 4-3-1971.

(b) Does not arise.

Purchase of Wheat in Kotah, Rajasthan

2425. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have agreed to purchase wheat direct from grain markets in Rajasthan;

(b) if so, the quantity of wheat proposed to be purchased from Kotah, Rajasthan; and

(c) the reasons for not purchasing wheat from the tehsils of Kotah district ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) Yes, Sir.

(b) All quantities of wheat without any limit falling within the specification offered by the cultivators is being purchased by the Food Corporation of India to provide price support to the farmer. About 5000 tonnes of wheat have so far been purchased in Kotah District. It is not possible to indicate precise estimates of likely purchases district-wise.

(c) In Kotah District wheat is being purchased in established four mandis i.e. Kotah, Baran, Anta and Sultanpur.

चौथी योजना के दौरान तिलहनों सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य में समन्वय

2426. श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना के दौरान तिलहनों सम्बन्धी अनुसंधान कार्य में समन्वय लाने के बारे में कोई व्यवस्था करने का विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चौथी योजना के दौरान देश में फसल सुधार के लिये अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजन बताई है तथा उसकी वित्त व्यवस्था की है। इन परियोजनाओं में अखिल भारतीय आधार पर देश के विभिन्न कृषि मौसमी क्षेत्रों में कई केन्द्रों पर बहुमुखी अनुसंधान कार्य आरम्भ किये गये हैं। परियोजना के अधीन अनुसंधान कार्य का निरन्तर समन्वय पर्यवेक्षण और मार्ग-दर्शन एक पूर्णकालिक परियोजना समन्वयकर्ता द्वारा किया जाता है। जहां तक तिलहनों का सम्बन्ध है चौथी योजना के दौरान कुल 150 लाख रुपये की लागत की एक अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना मंजूर की गई है? इस परियोजना के अधीन अनुसंधान कार्य का एक पूर्णकालिक परियोजना समन्वयकर्ता है जिसकी सहायता के लिये 3 सह-समन्वयकर्ता हैं।

बंगला देश से आये मणिपुरी शरणार्थी

2427. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ महीनों के दौरान बंगला देश से बड़े पैमाने पर निष्कासन के कारण कितने मणिपुरी भारत आये है;

(ख) यहा सरकार ने उन्हें बसाने के लिए किसी अन्य स्थान पर भेजने का निर्णय किया है; और

(ग) क्या इस प्रकार के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कोई सिद्धान्त निर्धारित किया है यदि हाँ, तो उनका स्वरूप क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 7 जून, 1971 तक पूर्वी बंगाल से आए लगभग 240 शरणार्थी मनीपुर गए हैं।

(ख) और (ग). भारत सरकार का यह पक्का इरादा है कि अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न हो जाने पर ये शरणार्थी अपने घरों को लौट जायंगे। इसलिए, उन्हें भारत में वसाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

मणिपुर में सामुहिक कृषि सहकारी समितियों के लिये केन्द्रीय सहायता

2428. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर की सामुहिक सहकारी समितियों को सरकार से पर्याप्त सहायता और मार्ग-दर्शन प्राप्त हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार की कितनी समितियां हैं और उन्हें किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). मणिपुर के केन्द्र शासित क्षेत्र में इस समय 121 सहकारी सामूहिक खेती समितियाँ हैं, इनमें से अब तक 76 समितियों को उनकी अंश पूंजी, प्रबंधकीय उपदान, तथा मध्यकालीन ऋण और उनके गोदाम व ढौरशालाओं के निर्माण के लिए ऋण व उपदान के प्रति वित्तीय सहायता दी गई है। इन सहकारी समितियों द्वारा अपेक्षित ट्रैक्टर, वाटर पम्पिंग सैटों, आदि जैसे कृषि उपकरणों के मूल्य में 50 प्रतिशत भाग के लिए खण्ड विकास अभिकरणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा, इन समितियों को अपने खेती के कार्यों के लिए कृषि तथा अन्य विकास विभागों से तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त होती है। ऐसी सहकारी समितियों को सरकारी बेकार भूमि के आवंटन में सरकार द्वारा प्राथमिकता भी दी जाती है।

मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों की अत्यधिक कमी

2429. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राधिकृत एजेंटों के पास सार्वजनिक कोटा न पहुँचने के कारण मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों की अत्यधिक कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर में सरकारी स्तर पर जनता की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) विनियंत्रण के पश्चात् प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से ग्राम जनता के लिए लोहे की नालीदार चादरों की अब तक कितनी मात्रा दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला खानों द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजूरी की अदायगी

2430. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदार :**

श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण भारत की उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजूरी दे रही हैं; और

(ख) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजूरी नहीं दे रही हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० क० खाडिलकर) : (क) एक विवरण, जिसमें उन कोयला-खानों के नाम दिए गए हैं जो मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजदूरी और परिवर्ती मंहगाई भत्ता दे रही हैं, संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 437/71]

(ख) शेष कोयला-खानें मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजदूरी या परिवर्ती मंहगाई भत्ता नहीं दे रही हैं ।

Development of a new variety of Wheat for early harvesting

2431. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether in view of the fact that rains have been damaging rabi crop at the time of harvesting during the last several years, Government have realised the necessity of developing a variety of wheat that might be ready for harvesting comparatively earlier;

(b) if so, whether Government have taken any steps to carry out research in this regard; and

(c) if so, what are those ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) & (b). Breeding of wheat varieties of short duration has been one of important aims of research in wheat in India, mainly because early varieties have a better chance of escaping the damage from dry hot weather at the time of ripening besides also escaping heavy losses from rust disease attack.

(c) The high yielding wheat varieties 'Sonalika' and 'Sharbati Sanora' are early maturing and are liked not only because they ripen early but also because they have been found to be more suitable than most other varieties.

Manufacture of Thrashers

2432. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether in Bihar the rabi crops, stored in the barns, were damaged not only on account of untimely rains but also due to the fact that the small and middle class farmers did not possess thrashers and they continued to follow the old conventional methods of thrashing the crops;

(b) if so, whether Government consider it necessary to manufacture more thrashers and popularise its use and sale in the villages; and

(c) if so, the scheme formulated by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) Yes. Most of the small and middle class farmers do not possess power threshers.

(b) It is necessary to manufacture more threshers and popularise its use.

(c) Blue-prints of the threshers have already been circulated among State Governments and Agro-Industries Corporations and some manufacturers in Bihar have also purchased these blueprints with a view to manufacturing the implements.

Policy for giving Loans to Farmers having less than 5 Acres of Land

2433. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether cultivators having less than 5 acres of holdings are not being given loans though orders to that effect have been issued by Government;

(b) whether in the first instance such cultivators are not given loans and if efforts to get loans for them are made, the loan is not given without taking surety; and

(c) the policy proposed to be adopted by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (c). According to the Crop Loan System, followed by the Cooperatives, short-tem production loans are based on production programmes and repaying capacity. This would enable cultivators to obtain loans irrespective of the fact whether they own land or not. Reserve Bank of India has also issued guidelines to commercial banks to advance income generating and self-liquidating loans not only to viable cultivators, but also to small farmers. Hence, as a policy, small farmers could draw loans from commercial banks also. The effective implementation of this policy, by commercial banks on an uniform basis throughout the country, may take some time.

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र का विस्तार

2434. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रस्ताव की अनुमानित लागत क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विस्तृत प्रयोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाने के पश्चात ही ब्योरे उपलब्ध हो सकेंगे। अस्थायी तौर पर क्षमता को 1 लाख टन पिण्ड से 3 लाख टन पिण्ड तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

हिन्द महासागर के मछली भंडार से मछलियों का पकड़ा जाना

2435. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर से बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी द्वारा ठोस प्रयत्न किया जा रहा है; यदि हां, तो इसका अभिप्राय क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) हिन्द महासागर की सभी मछलियों को पकड़ने के लिये स्वयं सरकार द्वारा यहां तक कि विशिष्ट साधनों आदि का आयात करके भी, क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र मीन सर्वेक्षण और विकास कार्यक्रम आरम्भ किया है। संक्षिप्तता इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय समुद्र के संसाधनों के ज्ञान की वृद्धि, उन के प्रयोग का अध्ययन, विकास में आने वाली रुकावटों का ज्ञान प्राप्त करना और आयोजित समाधान कार्य करने हैं। कार्यक्रम की तैयारी के चरण में विद्यमान पकड़ने योग्य संसाधनों के विद्यमान ज्ञान, उपलब्ध बाजारों और उन राष्ट्रों के संसाधन जिन्हें संसाधनों के प्रयोग के विकास के लिए सुदृढ़ किया जा सकता है, के आधार पर योजनायें बनाने का प्रस्ताव है। भारत ने इस कार्यक्रम के लिये अपने समर्थन का संकेत दे दिया है। विशेषज्ञों के एक दल ने भारतीय समुद्र में मीन हरण विकास के लिये एक व्यापक योजना तैयार की है। विशिष्ट कार्यक्रम योजना की रूप-रेखा के अन्तर्गत बनाने का प्रस्ताव है। भारतीय समुद्र क्षेत्र में वर्तमान और प्रस्तावित मीन अनुसंधान और विकास परियोजनायें इस कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में मानी जायेंगी। इस समय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इस देश में 2 परियोजनायें चल रही हैं अर्थात, मीन बन्दरगाहों के लिये निवेषपूर्व सर्वेक्षण परियोजना और पश्चिमी तट पैलौगिक मीन सर्वेक्षण परियोजना। यह और अन्य कोई परियोजना, जो भी योजना की व्यापक रूप-रेखा में, देश में आरम्भ की जायेगी, इस कार्यक्रम के साथ समेकित की जायेगी। कार्यक्रम के अधीन किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित अध्ययन भी ऐसे आँकड़े उपलब्ध करायेंगे जिनके आधार पर और विकास का आयोजन किया जा सकता है।

(ख) तट के पास जल में और तट से दूर दोनों क्षेत्रों में समुद्री मीन हरण के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है। पिछली योजना अवधियों में 8500 नौकाओं के चालू करने के अतिरिक्त चौथी योजना में तटीय मीन हरण के लिये 5500 मशीनी नौकाये चालू करने के साथ-साथ गहरे समुद्र में मीन हरण के लिये सरकार अवस्थापनाओं की व्यवस्था कर रही है। चौथी योजना में 19.50 करोड़ रुपये की लागत से मीन बन्दरगाहें बनाई जा रही हैं। गहरे समुद्र में मीन हरण के केन्द्रीय संगठन ने समन्वेषी सर्वेक्षण किये हैं जिनका क्षेत्र और मीन हरण तकनीकी दोनों प्रकार से विस्तार किया जा रहा है। यह समन्वेषी कार्यक्रम का, जो गहरे समुद्र में मीन हरण के लिये आधार प्रस्तुत करता है, 23 नये जहाज और लगा कर, विस्तार किया जा रहा है।

वाणिज्यिक आधार पर गहरे समुद्र में मीन हरण को बढ़ाने के लिये, सरकार ने मीन उद्योग द्वारा 30 ट्रालर आयात करने की मंजूरी दी है जिन में से कुछ के चलाने के लिए विदेशी

विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों और केन्द्रीय संस्थानों की ओर से स्थानीय यार्डों को 46 जहाज सप्लाई करने के आदेशों में से 26 जहाजों का निर्माण पूरा हो गया है और अतिरिक्त जहजों का निर्माण शीघ्र भविष्य में आरम्भ किया जायेगा। गहरे समुद्र में मीन हरण के इस्पात के बनाये देशीय जहाजों के लिये एक सरकारी सहायता योजना आरम्भ की है। कोचीन और मद्रास में गहरे समुद्र मीन हरण जहाज परिचालन के प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय संस्थान स्थापित किये गए हैं। वर्ष 1968 में स्वीडन सरकार से प्राप्त गहरे समुद्र जहाजों का इन संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थ प्रयोग किया जा रहा है। प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये देश में बनाये गए दो गहरे समुद्र जहाज हाल में ही इन संस्थानों को सौंप दिये गये हैं।

केरल तथा पश्चिम बंगाल भूमि सुधार नियमों को अन्य राज्यों में लागू करना

2436. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गत अप्रैल में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की बैठक में अपने भाषण में यह कहा था कि केरल तथा पश्चिम बंगाल भूमि सुधार नियमों को अन्य राज्यों में लागू करना "न व्यवहार्य था और न ही वांछनीय";

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने सिफारिश की थी कि केरल भूमि अधिनियम को अन्य राज्य एक माडल के रूप में लें; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रधान मंत्री ने राज्य सरकारों को भेजे गये एक पत्र में राज्य सरकारों का ध्यान केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 के उपबन्धों (यथा संशोधित) की ओर आकर्षित करते हुए यह सुझाव दिया था कि केरल अधिनियम के उपबन्ध सम्बन्धित राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनके राज्यों के लिये अधिनियम बनाने में सहायक होंगे।

मध्य प्रदेश में चीते और तेंदुए के शिकार पर लगे प्रतिबंध का लागू किया जाना

2437. **श्री बृजराज सिंह** (कोटा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीते और तेंदुए के शिकार पर सम्पूर्ण भारत में प्रतिबन्ध लगा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध किन-किन राज्यों में लगा हुआ है;

(ग) क्या ऐसे प्रतिबन्ध के बावजूद मध्य प्रदेश में एक शिकार कम्पनी को चीते के शिकार के परमिट दिये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कम्पनी का नाम क्या है और उसे परमिट दिये जाने के क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). निम्नलिखित राज्यों ने, जहां अधिकतर चीते हैं, 2—5 वर्ष की अवधि के लिए शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। लेकिन, तेंदुआ सारे देश में संरक्षित जानवर नहीं है ।

1.	गोवा	अनिश्चित काल तक संरक्षित
2.	गुजरात	,, ,,
3.	केरल	,, ,,
4.	मैसूर	,, ,,
5.	तामिल नाडु	,, ,,
6.	आंध्र प्रदेश	1 जुलाई 1970 से 5 वर्ष
7.	असम	,, ,,
8.	हिमाचल प्रदेश	,, ,,
9.	उड़ीसा	,, ,,
10.	त्रिपुरा	,, ,,
11.	राजस्थान	,, ,,
12.	प० बंगाल	,, ,,
13.	उत्तर प्रदेश	3 वर्ष
14.	महाराष्ट्र	2 वर्ष

(ग) तथा (घ). जी, हां। राज्य सरकार द्वारा 8 शिकार सम्भारप्रदायकों को चीतों का शिकार करने के लिये परमिट दिये गये थे, जिन्होंने प्रतिबन्ध लगाने से पहिले विदेशी कम्पनियों के साथ करार किये थे। 8 शिकार सम्भारप्रदायक निम्नलिखित हैं :—

1. सर्वश्री एल्विन कूपर, नागपुर।
2. मैसर्ज टाइगर एण्ड टाइगर इंडिया, ब्रांच सोहावाल, सतना।
3. प्रिन्स अजीम, शिकार आउटफिटर्स, जबलपुर।
4. बिग एण्ड स्माल गेम हंटिंग, रघुनाथनगर, मोरेना।
5. मैसर्ज टाइगर एण्ड शिकार्स, जबलपुर।
6. मैसर्ज प्रोफेशनल हंटिंग, नागपुर।
7. मैसर्ज राव नायडु, शिकार नागपुर।
8. मैसर्ज साफरीज इंडिया शिकार आउटफिटर्स, मान्च।

फसल नाशक कीटाणुओं और रोगों के उन्मूलन के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

2438. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन, फसल नाशक कीटाणुओं और रोगों के उन्मूलन के लिए भारत को सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों में अब तक वर्षवार कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है और यदि इसके बारे में कोई करार हुआ है, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त हुये हैं/प्राप्त होने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) देश में विमानन वनस्पति सुरक्षा का विस्तार करने तथा उसमें सुधार करने के लिए विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से एक करार किया गया है। इस करार में कृषि विमानन निदेशालय के लिये नये विमान तथा प्रशिक्षित गैर-सरकारी विमान परिचालक उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इन विमानों का प्रयोग देश में उपलब्ध विमान दस्ते के साथ-साथ फसलों पर कीड़ों तथा रोगों के विनाश के लिये हवाई छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। करार में, कृषि विमान-चालकों तथा विमान इंजीनियरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है।

(ख) करार के अन्तर्गत 60 लाख डालर के ऋण की व्यवस्था है। यह करार 27 मई 1971 से लागू हुआ है तथा 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होगा। अभी तक इस ऋण के अन्तर्गत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। करार की शर्तें निम्न प्रकार हैं :

(i) ऋण की आदायगी 40 वर्षों की अवधि में की जाएगी जिसमें की छूट की अवधि लगभग 10 वर्ष होगी। अदायगी 15 नवम्बर, 1980 से आरम्भ होगी तथा 15 मई, 2020 को समाप्त होगी।

(ii) मई, 1990 तक अदा की जाने वाली किश्तों की राशि कुल मूल राशि के 1 प्रतिशताँश के आधे के बराबर होगी तथा उसके बाद मूल राशि के डेढ़ प्रतिशत के बराबर होगी।

(iii) करार के अन्तर्गत समय-समय पर निकाली गई ऋण की मूल राशि तथा बकाया राशि पर 0.75 प्रतिशत की दर से (सर्विस चार्जेज़) लगाने की व्यवस्था है।

(ग) विमान दस्ते में विमानों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अनुमान है कि करार के तीन वर्षों की अवधि में निम्नलिखित क्षेत्रफल आवृत किये जाने का प्रस्ताव है :–

1971-72	50 लाख एकड़
1972-73	60 लाख एकड़
1973-74	70 लाख एकड़

Coal Mines Provident Fund Arrears against National Coal Development Corporation

2439. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the arrears of contribution of Employees Provident Fund of the employees, working under the National Coal Development Corporation are outstanding against the Corporation ;

(b) if so, the total amount and period for which it is outstanding ; and

(c) the steps taken by Government for ensuring payment of arrears to the workers and the result thereof ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : The administration of the Coal Mines Provident Fund Organisation is the concern of the Board of Trustees Coal Mines Provident Fund and is not the direct concern of the Central Government. The Coal Mines Provident Fund Authorities have reported as under in a letter dated the 21st May, 1971 :

(a) Out of 48 coal mines/ancillary organisations, belonging to the National Coal Development Corporation, 13 coal/mines ancillary organisations have not deposited Provident Fund contributions for the month of March, 1971 which were due to be paid by April 30, 1971.

(b) The total amount of contributions due from 13 Units for March, 1971 was Rs. 3,11,210.

(c) The matter has been taken up with the N.C.D.C. Outgoing workers and their heirs/dependents are paid provident fund dues from the Special Reserve Fund even if the contributions have not been realised from the N.C.D.C.

Provision for Payment of Claims to Heirs under Employees Pension Scheme, 1971

2440. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether in the Employees Pension Scheme, 1971 there is no provision for payment of claims in case the deceased has no heir ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in regard to payment of such claims ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : The administration of the Family Pension-cum-Life Assurance Scheme is the concern of the Central Board of Trustees, Employees Provident Fund set up under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and not the direct concern of the Central Government. The Provident Fund authorities have intimated as under :

(a) and (b). The main aim in instituting the Family Pension Scheme is to provide for the family of a member in the event of his death while in service. If any member does not possess a family, the question of making any payment of family pension or life assurance would not arise.

गैर-सरकारी कालेजों तथा संस्थानों में भविष्य निधि अधिनियम का लागू किया जाना

2441. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम गैर-सरकारी कालेजों और संस्थानों पर लागू नहीं है ;

(ख) क्या भविष्य निधि के लेखों का प्रबन्ध दोषपूर्ण है और ये संस्थान भविष्य निधि अंशदान का दुरुपयोग करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन कालेजों और संस्थानों पर भविष्य निधि अधिनियम लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 कालेजों और शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं किया गया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 को ऐसी शिक्षण और गैर-शिक्षण शैक्षिक संस्थानों पर, जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हों, लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कोयला खानों में बोनस अधिनियम का क्रियान्वयन

2442. **श्री रेणुपद दास**: क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कोयला खानों में बोनस अधिनियम को क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कोयला खानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) बोनस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कुछ कोयला खानों के विरुद्ध बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अधीन बोनस का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुईं ।

(ख) और (ग). एक विवरण, जिसमें उन कोयला-खानों के नाम दिए गए हैं जिनके खिलाफ लेखा वर्ष 1968 और 1969 में बोनस का भुगतान न किए जाने के कारण अभियोजन चलाये गये, संलग्न हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 438/71]

भूमि सुधार विधेयक पर राज्यों की राय

2443. **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूमि सुधार विधेयक के सम्बन्ध में राज्यों की राय मांगी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

इस्पात का उत्पादन

2445. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में प्रत्येक श्रेणी के इस्पात की कितनी मांग थी और चालू वर्ष की प्रत्याशित मांग क्या है ; और

(ख) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में प्रत्येक श्रेणी के इस्पात का कितना तथा कितने मूल्य का उत्पादन हुआ और चालू वर्ष का उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) इस्पात [तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय द्वारा गठित की गई लोहा और इस्पात कर्णधार समिति ने तैयार इस्पात की आन्तरिक मांग 1969-70 में 50 लाख टन, 1970-71 में 55 लाख टन तथा 1971-72 में 60.5 लाख टन आंकी थी । राष्ट्रीय व्यवहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद् ने 1970-71 की तथा लोहा और इस्पात कर्णधार समिति ने 1973-74 की इस्पात की वर्गवार मांग का अनुमान लगाया था । यह दोनों अनुमान दो संलग्न विवरणों में दिखाए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 439/71]

चूंकि ये अनुमान अब कुछ पुराने हो गए हैं इसलिए इस्पात की मांग का फिर से अनुमान लगाया जा रहा है ।

(ख) मुख्य उत्पादकों द्वारा 1969-70 तथा 1970-71 में उत्पादित प्रत्येक किस्म के इस्पात की मात्रा तथा मूल्यों की जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

1971-72 में प्रमुख उत्पादकों का तैयार इस्पात का अनुमानित उत्पादन लगभग 50 लाख टन होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में कपास की खेती

2446. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पश्चिमी बंगाल में कपास की खेती को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल नियत राशि कितनी है ;

(ग) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में सुन्दरवन में की गई प्रयोगात्मक कपास की खेती के क्या परिणाम रहे ;

(घ) चालू वर्ष के लिए सुन्दरवन दक्षिण 24 परगना में कपास की खेती का क्या कार्यक्रम है ; और

(ङ) चालू वर्ष के लिए इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 1969-70 के दौरान प्रारम्भिक परीक्षण करने के पश्चात् 1970-71 में पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र की चावल की परती भूमि में कपास की खेती से सम्बन्धित एक प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के आगामी वर्षों में कपास के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1970-71 के दौरान 14.10 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। मौजूदा प्रदर्शनों से प्राप्त अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए आगे और नियतन किया जाएगा।

(ग) वर्ष 1969-70 के दौरान प्रदर्शन प्लाटों में कपास की प्रति हैक्टार औसतन 5 से 10 क्विंटल उपज प्राप्त हुई थी। 1970-71 के दौरान कपास की उपज प्रति हैक्टार 4 से 5 क्विंटल तक होने का अनुमान है।

(घ) चालू वर्ष के विस्तृत कार्यक्रम जोकि मुख्यतया 1970-71 के दौरान किए गए प्रदर्शनों के परिणामों पर निर्भर करता है, अभी तैयार किए जाने हैं।

(ङ) चालू वर्ष के लिए 18.90 लाख रुपये की राशि का अस्थायी नियतन किया गया है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहायता

2447. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक, वर्षवार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी केन्द्रीय राज्य सहायता मंजूर की गई और वास्तव में कितनी राशि दी गई थी ;

(ख) उसी अवधि में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र ने वास्तव में केन्द्रीय सहायता की कितनी राशि का उपयोग किया था ;

(ग) क्या चालू वर्ष के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि कम कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) . राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्र में आने वाली योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता उन्हें निगम के माध्यम से दी जाती है ।

1968-69 में राज्यों की अन्य सहकारी विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सीधे सहकारी विभाग द्वारा दी गई ।

1969-70 और 1970-71 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित । केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सीधे सहकारी विभाग द्वारा दी जाती रही । तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाओं के अतिरिक्त राज्य योजना स्कीम के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एकमुश्त अनुदान एवं ऋण मंजूर किए ।

आबंटित, वितरित और उपयोग में लाई गई केन्द्रीय सहायता के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 440/71]

विधान मंडल रहित केन्द्र शासित क्षेत्रों के मामले में योजना स्कीमों के सारे व्यय का प्रावधान और उसकी पूर्ति सीधे केन्द्रीय बजट से की जाती है । अतः उनके मामले में केन्द्रीय सहायता का प्रश्न नहीं उठता है । जहां तक विधान मण्डल वाले केन्द्र शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, केन्द्र शासित क्षेत्र के योजना तथा गैर-योजना संसाधनों की कमी की पूर्ति के लिए एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है और यह योजना के किसी भी

विशेष क्षेत्र के व्यय से सम्बद्ध नहीं होती है। अतः विधान मण्डलों वाले केन्द्र शासित क्षेत्रों की सहकारी योजनाओं के लिए कोई अलग केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

(ग) और (घ). योजना आयोग ने अब तक चालू वर्ष की सहकारी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आँकड़े तैयार नहीं किए हैं। योजना आयोग योजना में सम्मिलित विभिन्न स्कीमों के लिए अन्तिम रूप से रखे गए परिव्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा कर रहा है।

सामान की खरीद

2448. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 से लेकर 1970-71 तक केन्द्रीय सरकार के लिए प्रति वर्ष देश से कितने मूल्य का सामान खरीदा गया।

(ख) इस अवधि में की गयी ऐसी खरीद के कुल मूल्य में छोटे पैमाने, मध्य-पैमाने तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का अंश कितना है ;

(ग) उक्त अवधि में विदेशों से कुल कितने मूल्य का सामान खरीदा गया और इंडिया सप्लाई मिशन, लन्दन तथा इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन के माध्यम से कितने मूल्य का सामान खरीदा गया ; और

(घ) सामान की खरीद के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है तथा क्या छोटे-पैमाने तथा मध्यम-पैमाने के उद्योगों से कुछ वस्तुओं को विशेष रूप से खरीदे जाने का निश्चय कर लिया गया है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 441/71]

(घ) निर्ख मंगवाने के बाद तकनीकी दृष्टि से न्यूनतम स्वीकार्य प्रस्तावों के आधार पर ही खरीद की जाती है। जिन वस्तुओं के लिए प्रस्ताव बड़े और लघु दोनों प्रकार के पैमाने के यूनिटों से प्राप्त होते हैं, उनमें लघु पैमाने के यूनिटों को अलग-अलग टेंडर के आधार पर अधिकतम 15 प्रतिशत तक की उचित मूल्य तकजीह दी जाती है। परन्तु, वास्तविक मात्रा का निर्णय प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुणों के आधार पर ही किया जाता है। मध्यम-पैमाने के उद्योगों से खरीद करने के लिए किसी भी वस्तु का आरक्षण नहीं किया गया है।

केवल लघु पैमाने के क्षेत्र से ही खरीदने के लिए 167 वस्तुओं को आरक्षित किया गया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश

2449. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का कम्पनियों के दुत बन्धक ऋणपत्रों में निवेश अनुज्ञेय है ; और

(ख) यदि हां, तो किन श्रेणियों की कम्पनियों में कर्मचारी भविष्य निधि की पूंजी का निवेश करने की अनुमति है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । परन्तु वर्तमान ढाँचे के अनुसार, छूट प्राप्त और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में भविष्य निधि के धन का निवेश निम्नलिखित ढंग से करना होगा:—

(1)	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में	45 प्रतिशत से कम नहीं
(2)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों, कर मुक्त लघु बचत प्रतिभूतियों में और डाकखानों में एक वर्ष, 3 वर्ष तथा 5 वर्ष सावधि जमा में ।	शेष

Wheat procurement in Madhya Pradesh

2450. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Central Government have demanded 50 thousand tons of wheat from Madhya Pradesh; and

(b) if so, the rate on which the wheat has been demanded ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) No, Sir. Wheat is being purchased in Madhya Pradesh as in other States to provide price support to the cultivator. The Agricultural Prices Commission have recommended a target for procurement of wheat for Madhya Pradesh during 1971-72 marketing season at 50,000 tonnes.

(b) Purchases are being made at the procurement price of Rs. 74.00 per quintal for indigenous red and Rs. 76.00 per quintal for other varieties of fair average quality grains.

Employees' Provident Fund and Trustee Scheme

2451. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Employees' Provident Fund Scheme has been introduced in factories in various States, if so, the provisions made for audit and supervision and the manner in which control is being exercised over it ;

(b) whether in some of the factories, Trusts have been formed by the proprietors and workers jointly ;

(c) whether the above system is defective ; if so, the measures being taken to rectify it ;

(d) the number and names of such factories in Mandsaur and Ratlam in Madhya Pradesh, where employees Provident Fund is handled according to the Trustee Scheme ; and

(e) the total amount of Provident Fund deposited with each of the aforesaid factories and the agency with which it has been deposited ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and not the direct concern of the Central Government. The Provident Fund authorities have intimated as under :—

(a) The Employees' Provident Fund Scheme applies to factories/establishments employing 20 or more persons and engaged in certain specified industries. The accounts of the Fund including the Administration Account are audited in accordance with the instructions issued by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India and also by the Internal Audit Parties set up in the Organisation. The unexempted and exempted establishments are also inspected by the Provident Fund Inspectors to ensure whether the employers of covered establishments are giving effect to the statutory provisions and if not, to take action for their enforcement.

(b) The establishments having retirement benefits in the nature of provident fund, gratuity and pension which are not less beneficial than those provided under the Act and the Scheme are granted exemption under Section 17 of the Act from the provisions of the Scheme. One of the conditions governing grant of exemption provides for setting up of a Board of Trustees on which an equal number of employers' and workers' representatives are nominated and in whom the Fund vests.

(c) No please. Where, however, there is any violation of conditions of exemptions of the provisions of the Act, the exemptions are liable to the cancelled or the establishments prosecuted under the Act.

(d) and (e). A statement in respect of the establishments located in Ratlam and Mandsaur proper is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-442/71]

Quality of Sugarcane produced in Madhya Pradesh

2452. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the sugarcane produced in Madhya Pradesh is not so rich in quality as to yield the maximum percentage of sugar ;

(b) whether the present average recovery of sugar from the sugarcane in all the sugar mills in Madhya Pradesh is 9 or 10 per cent;

(c) whether the percentage recovery in Maharashtra is 13 or 14 per cent ; and

(d) whether there is much difference in the rates of manufactured sugar on account of the difference in the said percentage ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : (a) Yes, Sir. The recovery of sugar from sugarcane grown in Madhya Pradesh is not as high as that grown in other States such as Maharashtra, Mysore, Gujarat etc.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir. By and large it ranges between 10 and 12 per cent.

(d) The manufacturing cost of sugar in Madhya Pradesh is higher, and the lower recovery percentage of sugar from sugarcane in the State is one of the major contributory factors.

Uniform Rules for Distribution of Land to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

2453. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there are uniform rules and procedure in different States for the distribution of land to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(b) if so, the comparative position in regard to the Lands and other facilities provided during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) and (b). Assignment of Agricultural lands being a State subject, there is no uniformity of rules and procedure for distribution of land to different sections of population including Scheduled Castes and Scheduled Tribes. However, in a recent letter from the Prime Minister the State Governments have been asked to make assignment of Government waste land suitable for cultivation to landless labourers, with special reference to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Procurement of Wheat in Madhya Pradesh

2454. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the names of the places in Madhya Pradesh where the Food Corporation of India has stated procurement of wheat;

(b) the quantity of wheat procured so far from each of the places;

(c) whether such purchases are being made through the commission agents;

(d) if so, the basis thereof; and

(e) the amount of commission being paid to the commission agents per quintal ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) and (b). A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-443/71]

(c) Out of 248 centres in Madhya Pradesh, 33 are being manned Departmentally, 199 are being looked after by cooperative societies and the rest 16 by private parties.

(d) In appointing agents, F. C. I. gives preference to cooperatives and where cooperatives do not exist or are unable to undertake procurement work, private parties are appointed.

(e) Purchase Agents are paid commission at 1% of cost of the grain. Where, however, purchase agents are paid advance by the Corporation only 0.75% commission is paid.

Sugarcane purchased by Sugar Mills

2455. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of sugarcane purchased by the sugar mills of Jaora (District Ratlam, M,P.), Dalauda (Distt. Mandsaur. M.P.) and Malidpur (Distt. Ujjain, M.P.) during 1970-71;

(b) whether management of the said mills has not made payment of sugarcane price to the cane growers in compliance with the provisions of the Sugarcane Purchase and Regulation of Supplies Act; and

(c) if so, the amount of sugarcane price, which is outstanding against the said mills and the legal action being taken by the Central Government to ensure its timely payment to the sugarcane growers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : (a) The quantity of sugarcane purchased by the sugar mills at Jaora, Dalauda and Mehidpur (not Malidpur) during the season 1970-71 is given below :

Name of factory	*Total quantity of cane purchased (Lakh quintals)*
Jaora	10.29
Dalauda	6.86
Mehidpur	3.80

(b) Full payments have not been made yet.

(c) : Against the total sugarcane price of Rs. 152.35 lakhs, an amount of Rs. 40.07 lakhs is due against the said mills as under :

	(Lakh Rupees)
Jaora	7.43
Dalauda	26.26
Mehidpur	6.38

The State Government has been asked to take stringent measures including coercive steps to ensure early payment of arrears of sugarcane prices by the factories.

भूमि सुधार की क्रियान्विति के लिये समय-सीमा

2456. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि सुधार की क्रियान्विति में समय-सीमा के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वह सीमा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) और (ख) बिचौलियों के उन्मूलन के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया था कि वर्ष 1970 के अन्त तक बिचौलिए पट्टों के समस्त अवशेष समाप्त कर दिए जांयें, और वस्तुतः समस्त विचौलिए पट्टों का उन्मूलन करके उन्हें रैयतवारी पट्टों में बदल दिया गया है। चौथी योजना में यह भी सुझाव दिया गया है कि पट्टेदारों को स्वामित्व के अधिकार देने के बारे में उपाय चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरे कर लिए जाने चाहियें।

सामान्य तौर पर जोत की अधिकतम सीमा के निर्धारण सहित भूमि सुधारों की क्रियान्विति के विषय में योजना में कार्यक्रम को यथा सम्भव शीघ्र क्रियान्वित करने की सिफारिश की गई है। इस मामले में प्रधान मन्त्री ने समस्त राज्य सरकारों को भूमि सुधारों का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के बारे में पत्र लिखे हैं ताकि पहले से नियत तिथि तक क्रियान्विति का कार्य पूरा किया जा सके।

गहन खाद योजना

2457. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में गहन खाद योजना लागू करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय आधार पर "गहन उर्वरक योजना" चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

मैसूर में लोहे तथा इस्पात का वितरण

2458. **श्री के० लकप्पा** : क्या स्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य की निवर्तमान सरकार ने राज्य के तुमकुर जिले की समितियों के लिए केन्द्रीय कोटे में से आवंटित लोहे तथा इस्पात के विशेष कोटे को किन्हीं दूसरी एजेन्सियों को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जांच करने का विचार कर रही है कि किन परिस्थितियों में यह कोटा अन्य एजेन्सियों को दे दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्यवाई की गई है या करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयला खानों से छंटनी किए गए श्रमिकों को उपदान

2459. **श्रीमती विभा घोष** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान श्रमिकों को छंटनी के पश्चात् उपदान दिया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख). प्राप्त सूचना के अनुसार, कोयला खानों में कुछ नियोजक अपने श्रमिकों को उपदान देते हैं । कोयला खनिकों के लिए एक उद्योगवार उपदान योजना शुरू करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

रासायनिक उर्वरक की खपत

2460. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रासायनिक उर्वरक की खपत के सम्बंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसमें से कितना उत्पादन देशी है और कितना आयातित है और आयातित उर्वरक की लागत कितनी है ;

(ग) उनका प्रयोग किन-किन क्षेत्रों में अभी तक लोकप्रिय नहीं हो सका है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन क्षेत्रों में उन उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) . गत तीन वर्षों की अवधि में देश में उर्वरकों के घरेलू उत्पादन, आयात तथा उनके मूल्य के ब्योरे सहित रासायनिक उर्वरकों की खपत को निम्न विवरण में प्रदर्शित कर दिया गया है :–

वर्ष	खपत			घरेलू उत्पादन			आयात		आयातों का मूल्य (रुपये करोड़ो में)
	एन	पी	के	एन	पी	के	एन	पी के	
1968-69	12.08	3.82	1.70	5.45	2.10	8. 41	1.37	2.13	162.92
1969-70	13.98	4.35	1.76	7.16	2.22	6.67	0.94	1.20	116.77
1970-71	14.26	4.61	2.26	8.30	2.30	4.77	0.32	1.20	76.77

(ग) उर्वरकों का उपयोग कुछ क्षेत्रों में अभी लोकप्रिय नहीं हो सका है । इसके विभिन्न कारणों का विवरण नीचे दिया जा रहा :—

(1) मुख्यतः चावल उत्पादक राज्यों में उर्वरकों का उपयोग उतना लोकप्रिय तथा वृद्धि की दर उतनी अधिक नहीं है जितनी कि मुख्यतः गेहूं उत्पादक राज्यों में । अतः 1970–71 में पंजाब तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खपत स्तरों में 1965–66 के खपत स्तरों की अपेक्षा 356 प्रतिशत, 530 प्रतिशत, 345 प्रतिशत तथा 238 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर तथा तमिल नाडु में केवल 156, 41, 21 तथा 228 प्रतिशत की तदनुरूपी वृद्धि हुई । यह गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों के विकास में प्राप्त सफलता के कारण संभव नहीं हो सका है, क्योंकि ये किस्में उर्वरकों की अधिक खपत की अपेक्षा रखती हैं, जबकि चावलों के सम्बंध में अभी ऐसा विकास किया जाना है ।

(2) असिंचित तथा अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में उर्वरकों का उपयोग अभी तक पर्याप्त लोकप्रिय नहीं हो सका है ।

(3) इसी प्रकार, यातायात की सुविधाओं के अभाव के कारण पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों, जैसे कि जम्मू तथा कश्मीर, असम/मध्य प्रदेश के भागों में उर्वरकों का उपयोग कम है।

(4) देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में उर्वरकों का कम उपयोग किया जाता है और इनके प्रयोग में वृद्धि की दर भी बड़ी धीमी है । इस क्षेत्र में खपत की इस धीमी प्रगति के कारण इस प्रकार हैं :— (क) इन राज्यों में कुशल तथ व्यवस्थित वितरण व्यवस्था का अभाव (ख) निर्बल सहकारी संगठन (ग) पर्याप्त ऋण का अभाव (घ) विस्तार प्रयत्नों में कमियां ।

(घ) उर्वरकों की खपत उन क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए, जहां कि उनका प्रयोग आजकल लोकप्रिय नहीं है सरकार द्वारा उठाये जा रहे विभिन्न कदम निम्न प्रकार के हैं:—

(1) देश के विभिन्न भागों के लिए उपयुक्त अधिक उत्पादनशील उर्वरक प्रभावी धान के बीजों के विकास के लिए अनुसंधान कार्य जारी है। हाल ही में 9 ऐसी नयी किस्में निर्मुक्त की गई हैं जिनसे पता लगता है कि हम चावल टैक्नोलोजी में भी सफलता के कगार पर खड़े है। आशा है कि इस सफलता के फलस्वरूप, चावल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी और मुख्यतः चावल उत्पादक क्षेत्रों में उर्वरकों की खपत भी बढ़ जाएगी ।

(2) असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों का हवाई छिड़काव प्रारम्भ किया गया है। मध्य प्रदेश में प्राप्त हाल ही के अनुभव से ज्ञात हुआ है कि कृषकों ने हवाई छिड़काव को अपना लिया है, क्योंकि लागत–लाभ का पारस्परिक अनुपात कृषकों के लिए लाभकर है। उर्वरक घोलों के छिड़काव के लिए कृषकों को स्प्रेयर्स के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकारों से, पहले से ही उपलब्ध सिंचाई क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने का अनुरोध किया गया है, जिससे कि उर्वरकों की खपत लोकप्रिय हो सके।

(3) सरकार नागालैंड, मेघालय, असम तथा संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा में पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में उर्वरकों के परिवहन के लिए उपदान देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(4) दुर्बल वितरण व्यवस्था वाले राज्यों में उर्वरकों के समीकरण भंडार बनाने का प्रस्ताव है ।

(5) पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में उर्वरकों की खपत बढ़ाने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। परिवहन की लागत के लिए उपदान/कृषकों तथा व्यापारियों को समुचित ऋण की उपलब्धि तथा वितरण केन्द्रों की वृद्धि जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

(6) सरकार ने देश के समस्त भागों में ऋण की उपलब्धि में वृद्धि तथा वितरण की

व्यवस्था के लिए कदम उठाए हैं। राज्य सरकारों को उर्वरक पूल की बकाया राशि के $\frac{1}{6}$ भाग तक अल्पाविधि, ऋण प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में एक ऋणगारंटी निगम की स्थापना की गई है जोकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषकों को दिये जाने वाले प्रत्येक मामले में 1000 रू० तक के ऋणों तथा उर्वरक व्यापारियों को दिए जाने वाले 2 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए जोखिम उठायेगा।

(7) उर्वरकों के वितरण के लिये लाइसेंसिंग पद्धति को उदार बना दिया है, जिससे कि फुटकर विक्रेता केन्द्रों की संख्या बढ़ सके और देश के आन्तरिक क्षेत्रों में जहां कि उर्वरकों का प्रयोग अभी लोकप्रिय नहीं है कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। राज्य सरकारों से डिपुओं की स्थिति का अध्ययन करने तथा जिन क्षेत्रों में अभी तक कोई फुटकर विक्रेता केन्द्र कार्य नहीं कर रहे हैं, वहां फुटकर केन्द्रों की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है।

(8) कई राज्यों में राष्ट्रीय प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है और उर्वरकों के उपयोग की वृद्धि के लिये कृषकों के शिक्षण हेतु कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक तीव्र बनाया जा रहा है। सरकार देश के समस्त भागों में उर्वरकों के अनुकूलतम तथा संतुलित उपयोग के वर्धन के लिये एक उर्वरक वर्धन परिषद् की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

जल रहित क्षेत्रों में बारानी-खेती की तकनीक

2461. **श्री एस० आर० दांमाणी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के जलरहित क्षेत्रों के लिए बारानी-खेती की तकनीक तैयार करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) किन फसलों पर प्रयोग सफल सिद्ध हुए हैं ; और

(ग) उनको लोकप्रिय बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1933-35 से पहले बारानी भूमि की खेती का अनुसंधान किया गया था। इस योजना के परिणामों पर आधारित बम्बई बारानी खेती पद्धतियां जैसी विभिन्न बारानी-खेती की पद्धतियां लोकप्रिय बनाई गईं, जिसमें कन्दूर बांध बनाना तथा अन्य मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण पद्धतियां सम्मिलित हैं। केन्द्रीय सूत्र क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में खेती के लिये उपमुक्त बाजरा तथा दाल की किस्मों की जांच की गई और पट्टीदार खेती या बाजरा जैसे लम्बे पौधों की पट्टी के साथ दाल, मूंगफली, आदि जैसी फैलने वाली फसलों की पट्टियों को

बदलकर तथा रुक्ष या अर्द्ध रुक्ष क्षेत्रों के लिये कटाई की गई फसल के अवशिष्ट में मल्च बनाना तथा हैरो चलाने की सिफारिश की है। फसल सुधार, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, शस्य-विज्ञान की पद्धतियों आदि पर हाल ही में किये गये अधिक अनुसंधानों ने बरानी खेती के लिये नये ढंग बताये हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने सन 1970 में "बारानी भूमि की खेती की नई तकनीकी" नामक एक विशेष विज्ञाप्ति प्रकाशित की है। अक्तूबर, 1970 में बारानी भूमि की कृषि सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना स्वीकृत की गई थी और बहु-क्षेत्रीय सघन अनुसंधान करने तथा बारानी भूमि की परिस्थिति के अन्तर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये 147.50 लाख रुपये की योजना परिव्यय से देश के 24 केन्द्रों में यह क्रियान्वित की गई।

(ख) जोधपुर के रुक्ष क्षेत्रों में किए गए प्रयोगों के अनुसार बाजरा अधिक सफल फसल रही। रुक्ष तथा अर्द्ध रुक्ष क्षेत्रों के लिए अन्य छोटे मिलेट की उपयुक्त किस्में, मोठ, ग्वार, मूंग, गेहूँ, जौ जैसी दाल की फसलें तथा एरंड, तारामिरा तथा कपास जैसे तिलहन पर भी विचार किया गया।

(ग) राज्यों के कृषि विभागों के सघन विस्तार प्रयत्नों के अतिरिक्त, बारानी भूमि की परिस्थितियों के अंतर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु बारानी भूमि की तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिये देश में एक केन्द्रीय प्रयोजित समकित बारानी भूमि विकास मार्गदर्शी परियोजना प्रारम्भ की गई है। कुछ रुक्ष जिलों में किसानों के खेतों पर राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

दूध की कमी को दूर करने के लिये पशुओं की नस्ल सुधारने तथा पशुधन को समृद्ध करने के बारे में योजनायें

2462. **श्री ऐस० आर० दामाणी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पशुओं की नस्ल सुधारने तथा पशुधन को समृद्ध करने सम्बन्धी योजनाओं से अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार समूचे देश में शहरों तथा नगरों में अब तक की जा रही दूध की कमी से अवगत है; और

(ग) दूध की मात्रा में, विशेषत: दक्षिणी क्षेत्र के पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध की मात्रा में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) राष्ट्र के पशुधन तथा उसकी नस्लों के सुधार पर विभिन्न पशुधन विकास परियोजनाओं के प्रभाव को आंकने के लिये प्रणालीबद्ध

सर्वेक्षण किया जाना अभी बाकी है। फिर भी सघन पशुधन विकास कार्यक्रमों के लागू करने के, जिनमें कि नस्लों का सुधार करने, रोग-नियन्त्रण चारे-दाने की उपलब्धता आदि सम्मिलित हैं, परिणाम बड़े उत्साहजनक रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा लागू की गई अनुसन्धान योजनाओं ने, संकर प्रजनन के माध्यम से, जो कि आजकल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, दूध के उत्पादन में वृद्धि की संभावना को सुनिश्चिता प्रदान की है। संकर प्रजनन के लिये किसानों में काफी उत्साह पाया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) पशुओं के दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये दक्षिणी क्षेत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :—

(1) आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, केरल, तमिल नाडु राज्यों में 8 सघन पशु-विकास परियोजनाएं लागू की गई हैं।

(2) 147 आदर्श गांव खण्ड विद्यमान हैं।

(3) केरल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूरी स्विस भेड़ों के साथ संकर प्रजनन द्वारा नयी किस्म की भेड़ के उत्पादन के लिये केरल में मदुपट्टी स्थान पर एक भारतीय-स्विस पशु विकास परियोजना लागू की जा रही है।

(4) किसानों को डेरी पशु पालन तथा विस्तार कार्य में प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण देने के लिये हसरघट्टा (बंगलौर) में एक भारतीय-डेनिश परियोजना लागू की जा रही है। इस परियोजना द्वारा मैसूर राज्य में संकर प्रजनन तथा नस्ल सुधार के लिए शुद्ध नस्ल के 100 लाख डेनिश सांड सप्लाई किए गए हैं।

(5) आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु, मैसूर, केरल और पांडिचेरी को उनके संकर प्रजनन कार्यक्रम में तीव्रता लाने के लिये जेरसी, फ्रेसियन, गरन्सी तथा भूरी स्विस भेड़ों की विदेशी नस्लों की 297 भेडें वितरित की गई हैं।

(6) पड़ोस के राज्यों के पशु-प्रजनन फार्मों को सन्तति परिक्षित साँड सप्लाई करने के लिये तमिल नाडु में अलमन्दी में गुर्राह भैसों के लिये एक केन्द्रीय पशु-प्रजनन फार्म स्थापित किया जा रहा है।

(7) जुलाई, 1970 से जून, 1975 की अवधि के दौरान तमिल नाडु और आन्ध्र प्रदेश में दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास (अपरेशन फ्लड) की नई परियोजना के अन्तर्गत 12.69 करोड़ रु० के विनियोजन की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत

अधिकाधिक दूध का उत्पादन तथा अधिप्राप्ति की जाएगी जिससे कि मद्रास शहर को दूध सप्लाई करने की दुग्ध प्रक्रिया सुविधाओं का विस्तार किया जा सके ।

बिहार और पश्चिम बंगाल में कोयला खानों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

2463. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और बिहार में अलग-अलग, उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि की राशि सरकार के पास जमा नहीं कराई है; और

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि सरकार के पास जमा करवाने के लिए कोयला खान के मालिकों को विवश करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कोयला खान भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड से है और केन्द्रीय सरकार से उसका सीधा सम्बन्ध नहीं है । कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) पश्चिम बंगाल और बिहार की दोषी कोयला खानों के नाम क्रमशः अनुबन्ध 1 और 2 में दिए गए हैं । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 444/71]

(ख) कोयला खान भविष्य निधि की बकाया देय राशि की वसूली के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार में दोषी नियोजकों के विरुद्ध निम्नलिखित ढंग की कानूनी कार्यवाही की गई है :

	पश्चिम बंगाल	बिहार
31-12-70 तक दायर किए गए प्रमाण-पत्र मामलों की संख्या	855	1,960
31-12-1970 तक कोयला खान भविष्य निधि और परिवार पेंशन तथा बोनस योजना अधिनियम के अधीन दायर किए गए अभियोजनों की संख्या	788	2,380
7-6-1971 तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन दायर किए गए अभियोजन ।	6	9
	1,649	4,349

हरियाणा में भूमि की अधिकतम सीमा

2464. **श्री पी० के० देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने हाल ही में सभी निजी भूमि की अधिकतम सीमा 30 मानक एकड़ निर्धारित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह निर्णय केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करने के बाद किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). प्रस्ताव विचाराधीन है।

Wheat Purchased by Food Corporation of India in the Districts of Meerut and Saharanpur

2465. SARI MULKI RAJ SAINI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of wheat, in tonnes, purchased by the Food Corporation of India from the markets in Meerut division and Saharonpur District. seperately in Uttar Pradesh upto the 20th May, 1971;

(b) the quantity of wheat. in tonnes, filled in bags; and

(c) the break-up of the quantity of wheat, in tonnes, fillled in bags and that kept in the open ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) The quantity of wheat purchased by the Food Corporation of India upto 20th May, 1971 in Meerut Division and Saharanpur District is as under :—

	(*Figures in tonnes*)
1. Meerut Division :	1,24,081
2. Saharanpur District :	26,780

(b) The entire quantity has been filled in bags.

(c) Only 5, 300 begs were lying in open with the purchase agents.

हरियाणा में हिसार में कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना

2466. **श्री मनीराम गोदरा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का हरियाणा में हिसार में एक कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : हिसार में सैन्ट्रल सैक्टर में कच्चे लोहे का कारखाना लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। परन्तु मैसर्स हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम ने जो पूर्णतया हरियाणा सरकार का उपक्रम है हिसार में प्रतिवर्ष 100,000 टन कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए एक नया कारखाना लगाने हेतु उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन, औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। आवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय मुर्गीपालन फार्मों का कार्यकरण

2467. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कितने केन्द्रीय मुर्गीपालन फार्म हैं और उनके नाम क्या हैं तथा उनकी कुल आस्तियां कितनी हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हानि लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली आधुनिकीकरण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) क्षेत्रीय कुक्कुट फार्म, बम्बई, क्षेत्रीय कुक्कुट फार्म, भुवनेश्वर, क्षेत्रीय कुक्कुट फार्म, बंगलौर नामक केवल 3 केन्द्रीय कुक्कुट फार्म हैं। ये फार्म महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा मैसूर में हैं। इन फार्मों की परिसम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और अपेक्षित जानकारी देते हुये एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) कुक्कुट पालन के विकास की दृष्टि से पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में फार्मों की स्थापना की गई थी। ये फार्म कुक्कुट पालकों को समग्र देश में नाम मात्र मूल्यों पर उच्च कोटी के कुक्कुटों की आपूर्ति द्वारा कुक्कुट विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लाभ और हानि के सम्बन्ध में पूछी गयी जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इन सभी फार्मों में समन्वित कुक्कुट प्रजनन की योजना प्रारम्भ की गई है।

बंगला देश के शरणार्थियों की भारत में रहने की इच्छा

2468. **श्री बृजराज सिंह कोटा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश आन्दोलन के दौरान भारत में आये शरणार्थियों ने भारत में रहने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भारत सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पूर्वी बंगाल से आये किसी भी शरणार्थी ने भारत में रहने की इच्छा प्रकट की हो ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि भारत सरकार की यह नीति है कि जैसे ही पूर्वी बंगाल में अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी, ये शरणार्थी अपने घरों को लौट जाएंगे ।

पश्चिम बंगाल और बिहार में मजदूरों को कम मजूरी देना

2469. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार की अधिकतर खानों में मजदूरों को कम मजूरी दी जाती है ।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कोयला खानों की संख्या क्या है; और

(ग) खानों में कम मजूरी देना रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन नी मेज पर रख दी जाएगी ।

कोयला खानों में भूतल के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की स्वीकृति का ढंग

2470. **श्री बी० के० मोदक :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में भूतल तथा उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की स्वीकृति देने का ढंग क्या है;

(ख) क्या यह कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुकूल ही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कोयला खान कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) खान अधिनियम, 1952 की धारा 52 के अधीन, खान में नियोजित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो एक कैलेंडर वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो, आगामी कैलेंडर वर्ष के दौरान निम्न प्रकार से सवेतन छुट्टी दी जाती है :—

(i) भूमि के नीचे नियोजित व्यक्ति के मामले में, उसके द्वारा किए गए काम के प्रत्येक सोलह दिनों के लिए एक दिन की दर से; और

(ii) किसी अन्य मामले में, उसके द्वारा किए गए काम के प्रत्येक बीस दिनों के लिए एक दिन की दर से ।

(ख) से (घ) . वार्षिक छुट्टी के सम्बन्ध में कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिश सर्व-सम्मत नहीं थी । सरकार द्वारा यह स्वीकार नहीं की गई ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में तैरने का तालाब

2471. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 10 लाख रुपये की लागत से एक तैरने का तालाब बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह तालाब कर्मचारियों की मांग के परिणामस्वरूप बनाया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

देवली शिविर में शरणार्थियों की मृत्यु

2472. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में देवली शरणार्थी शिविर में कुछ विस्थापितों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ग) उनकी मृत्यु के क्या कारण थे तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कर्रवाई की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) 1 दिसम्बर, 1970 से 9 जून, 1971 तक पिछले छः महीनों में देवली शरणार्थी शिविर में 49 शरणार्थियों की मृत्यु हुई थी।

(ग) मृत्यु का कारण अधिकांशतः खूनी पेचिश, अतिसार तथा खसरा था। देवली शरणार्थी शिविर में शरणार्थियों के लिए पर्याप्त रूप से पौष्टिक आहार देने के कार्यक्रम और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है।

चीनी पर से विनियंत्रण हटाना

2473. **श्री डी० के० पन्डा :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विकेन्द्रीकरण की नीति से काले बाजार और जमाखोरी को प्रोत्साहन मिलेगा और चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी ;

(ख) क्या अन्ततः इसका उपभोक्ताओं पर बुरा असर पड़ेगा और चीनी व्यापारियों को अधिक लाभ होगा ;

(ग) विनियंत्रण का भारत की सहकारी चीनी उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) गत वर्ष चीनी के कम उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं पर चीनी के विनियंत्रण का क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार बाजार में उचित और स्थिर मूल्य बनाये रखने के लिए कारखानों द्वारा बिक्री के लिए चीनी की निर्मुक्ति को विनियमित करती रहेगी।

(ग) इस सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित मत व्यक्त करना जल्दबाजी होगी।

(घ) 1970-71 में लगभग 38 लाख मी० टन चीनी के उत्पादन की आशा की जाती है जबकि 1969-70 में इसका उत्पादन 42.6 लाख मी० टन हुआ था। तथापि, 1969-70 के पिछले मौसम में से लगभग 21 लाख मी० टन चीनी बची थी। चीनी की पर्याप्त सुलभता और कारखानों द्वारा बिक्री हेतु चीनी की निर्मुक्ति का सूझबूझ के साथ विनियमन करने से उपभोक्ताओं के हित में बाजार में उचित और स्थिर मूल्य बनाये रखने का विचार है।

एम्पलाईज पेंशन योजना, 1971 के प्रति कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

2474. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्पलाईज पेंशन योजना, 1971 के प्रति कर्मचारियों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) . परिवार पेंशन योजना की लोकप्रियता या अन्यथा के बारे में इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस योजना के मुख्य लक्षण प्रादेशिक आयुक्तों द्वारा तैयार किये गये हैं और सभी प्रतिष्ठानों आदि को भेजे गए हैं। सम्बंधित श्रमिकों द्वारा विकल्प देने की तारीख को 31-8-1971 तक बढ़ा दिया गया है ताकि वे योजना के लाभों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें और विकल्प दे सकें।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आसाम में धान की वसूली

2475. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम असम में धान की निर्धारित मात्रा का समाहार करने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पिछली फसल की कटाई के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसके कारण असम के उत्तर लखीमपुर तथा धौमानी क्षेत्र के विचौलियों ने धान-भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मूल्य से आधे मूल्य पर खरीदा और एक दो महीनों बाद वही धान भारतीय खाद्य निगम को उसके निर्धारित मूल्य पर बेच दिया ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) इस वर्ष असम में मिल मालिकों की प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण चावल की अधिप्राप्ति का कार्य देर से शुरू हुआ था । असाम में मिल मालिकों पर कोई भी लेवी नहीं है । जिन जिलों में अधिप्राप्ति की जाती थी उनमें निगम के अधिप्राप्ति कार्य शुरू करने के एक माह बाद मन्डियों में आमद लगभग खत्म हो गयी थी और उसके बाद मूल्य, अधिप्राप्ति मूल्य से अधिक हो गये थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े पैमाने पर गोबर के जलाये जाने पर रोक

2476. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला उपभोग परिषद् ने बड़े पैमाने पर गोबर के जलाने पर रोक लगाने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या इससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार से और किस सीमा तक ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) गोबर का बड़ी मात्रा में जलाने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में कोयला उपयोग परिषद् द्वारा की गई किसी विशिष्ट

सिफारिश का सरकार को ज्ञान नहीं है। फिर भी, परिषद् द्वारा "कृषि तथा कोयला उद्योग (1970)" नामक एक प्रकाशन निकाला गया, जिसमें ईंधन के रूप में गोबर के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रचार के सम्बन्ध में कृषि तथा ईंधन व्यवस्था पर कुछ लेख हैं।

(ख) तथा (ग). इन्डिया समिति शक्ति सर्वेक्षण प्राकल्लन (1962-63) के अनुसार गोबर के कुल उत्पादन का लगभग 25% ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस सीमा तक भारतीय कृषि को पौध पोषकता तथा कार्बनिक सामग्री से वंचित रहना पड़ता है। यदि इसको गोबर खाद के रूप में संचित किया जाये और भूमि के उपयोग में लिया जाये तो इससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

ईंधन के रूप में जलाने के बजाय गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसानों को ज्ञान है। लेकिन अन्य सस्ते ईंधन की अनुपलब्धि, गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए बाध्य कर देती है। आशा है कि जैसे ही गांवों में अन्य सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा और ग्रामीण लोगों की आर्थिक दशा में सुधार होगा तो गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग करने की पद्धवति अधिकतर समाप्त हो जायेगी।

अतिरिक्त और घटिया दूध का प्रयोग

2477. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त और घटिया दूध के उपयोग का कोई लाभप्रद ढंग खोजने के लिए कुछ परियोजनाओं की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो शहरों में दूध के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) दुग्ध उत्पादन में लाभ की दृष्टि से अन्य पहलुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अधिशेष घटिया दूध के लाभकारी उपयोग के नये उपायों का विकास करने के लिए 1 अप्रैल 1970 से चौथी पंचवर्षिय योजना की परियोजना के रूप में एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना स्वीकृत की है।

(ख) परिषद् द्वारा लागू की गई परियोजना एक अनुसंधात्मक अध्ययन के रूप में है। उसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में जहां कि योजना लागू की गई है दूध के मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

(ग) इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने से दुग्ध प्लांटों को होने वाली हानि को ही दूर नहीं किया जा सकेगा अपितु इसके साथ ही दूध उत्पादकों को अच्छा ही नहीं अपितु नियन्त्रण क्षमता से बाहरके कारणों से खराब हुए दूध पर प्राप्त होने वाले लाभ में भी काफी वृद्धि होगी।

किसानों के लिए उत्पादन प्रधान रोजगार के अवसर की योजना

2478. **श्री राम सहाय पाँडे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों आदि के लिए उत्पादन प्रधान रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). वर्ष 1971-72 में 50 करोड़ रुपये के परिव्यय की ग्राम रोजगार की त्वरित योजना पहली अप्रैल, 1971 से आरम्भ की गई है। यह योजना केन्द्रीय सरकार की शत प्रतिशत वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों, केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। अतिरिक्त रोजगार श्रम प्रधान तथा स्थायी स्वरूप की परिसंपत्तियां तैयार करने वाली विभिन्न किस्मों की ग्राम परियोजनाओं के जाल के माध्यम से पैदा करने का इरादा है। प्रत्येक जिले में कम से कम 1,000 व्यक्तियों को वर्ष भर में दस महीनों के लिए 100 रु० प्रतिमास तक की मजदूरी पर रोजगार दिया जाना है। मजदूरी की लागत के एक-चौथाई भाग के बराबर की राशि सामग्री तथा उपकरणों आदि के लिए उपलब्ध होगी। परिव्यय की राशि 12.50 लाख रु० प्रति जिला प्रतिवर्ष होगी।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षत्रों से प्रस्ताव मांगे गए। दस राज्य सरकारों तथा सात केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा मंजूर किए जा चुके हैं और संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवश्यक धनराशि दे दी गई है।

ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों आदि के लाभ के लिए अन्य योजनाएं ये हैं— (i) लघु कृषक विकास अभिकरण और सीमांत कृषक तथा कृषि

श्रमिक अभिकरण, (ii) बागन खेती, और (iii) निरन्तर सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम। इन योजनाओं के कार्यान्वियन में हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

(i) लघु कृषक विकास अभिकरण और सीमाँत कृषक तथा कृषि श्रमिक अभिकरण :

अब तक 46 लघु कृषक विकास अभिकरण परियोजनाओं में से 45 को और 41 सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनओं में से 34 को स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष लघु कृषक बिकास अभिकरणों को 3.00 करोड़ रु० की राशि और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक अभिकरणों को 1.00 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। प्रत्येक सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत, कृषि श्रमिकों तथा छोटे किसानों को मन्दी के समय मजदूरी पर रोजगार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपये तक की राशि की व्यवस्था की जाती है।

(ii) बागनी खेती कार्यक्रम :

वर्ष 1970-71 में बागनी खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 परियोजाएं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तामिल नाडु और उत्तर प्रदेश के राज्यों में एक-एक, स्वीकृत की गई थीं। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा देरी से स्वीकृतियां जारी करने और कर्मचारियों को भर्ती करने तथा उनकों प्रशिक्षण देने में विलम्ब होने के कारण ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई। बागनी खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित भूमि संरक्षण, मूमि विकास और जल एकत्रीकरण जैसे स्थायी कार्यों को रोजगार संभाव्यता का अनुमान इन कार्यों, जो वर्ष भर में छः महीनों के काम के मौसन में किए जा सकते हैं, पर होने वाले प्रति एक करोड़ रु० के व्यय पर लगभग 15,000 श्रम वर्ष लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त तकनीकी तथा पर्यवेक्षी कार्मिकों के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा।

(iii) ग्राम निर्माण कार्यक्रम :

1970-71 में आरम्भ किए गए ग्राम निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली वर्ष के लिए कार्यक्रम चुने हुए 54 जिलों में से 45 में मंजूर किया गया है। इस बारे में हुई भौतिक तथा आर्थिक प्रगति का ब्यौरा राज्यों से प्राप्त नहीं हुआ है। मंजूर की गई राशि तथा राज्यों द्वारा सूचित किया गया प्रत्याशित व्यय नीचे दिया गया है :

(लाख रु० में)

राज्य	मंजूर किए गये कुल परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
आंध्र प्रदेश	284.64	194.82
बिहार	50.0	5.00
गुजरात	329.93	250.98
मध्य प्रदेश	20.67	5.17

राज्य	मंजूर किए गए कुल परिव्यय	(लाख रु० में) प्रत्याशित व्यय
महाराष्ट्र	132.26	94.06
मैसूर	180.80	137.19
उड़ीसा	34.00	19.00
राजस्थान	221.66	55.00
तामिल नाडु	107.00	107.00
उत्तर प्रदेश	35.00	27.77
पश्चिम बंगाल	34.22	8.55

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कमी की स्थिति

2479. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अभी भी कमी की स्थिति बनी हुई ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) वहां के किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता और अन्य सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) बिहार सरकार ने राज्य के 20 खण्डों को "अकालग्रस्त" और 201 खण्डों को "कमी से प्रभावित" घोषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि झबुआ और दुर्ग जिलों के कुछ भागों में कमी की स्थिति हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, अप्रैल और मई 1971 में असामयिक वर्षा, ओला-वृष्टि और तूफान आने के कारण खलिहानों में पड़े खाद्यान्नों और फलोद्यानों को कुछ छति पहुंचने का पता चला है लेकिन क्या इस क्षति से कमी की स्थिति उत्पन्न होगी, उसके सम्बन्ध में अभी पता लगाया जाना है।

(ख) और (ग). राज्यों के अनुरोध और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के दल द्वारा राहत उपायों के लिए निधि की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में लगाए गए अनुमान की दृष्टि में अपनाई गई सीमाओं के आधार पर उन्हें दैवी विपदाओं के निमित्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मई, 1971 में बिहार के दौरे पर गए दल की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है और एक दूसरा दल शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने वाला है। इस बीच बिहार सरकार ने राहत सम्बन्धी उपायों के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

खान तथा तत्सम्बन्धी मशीनरी निगम, दुर्गापुर को हुई हानि

2486. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान तथा तत्सम्बन्धी मशीनरी निगम घाटे में चल रहा है और सरकारी ऋणों पर निर्भर है ;

(ख) यदि हां, तो घाटे की कार्य स्थिति के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या निरन्तर घाटे में चलने के कारण सरकार का विचार इस निगम को बन्द करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान): (क) 31-3-70 तक दुर्गापुर स्थित खनन तथा संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड की संचित हानि 26.47 करोड़ रुपये है। 1970-71 में 5.30 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। चूंकि कंपनी पर्याप्त आन्तरिक साधन नहीं जुटा सकी है, अतः कम्पनी को न केवल पूंजीगत व्यय के लिए अपितु नकद हानियों को पूरा करने, ऋणों पर ब्याज देने तथा पहले मंजूर किए गए ऋणों को लौटाने के लिए ऋण दिए जा रहे हैं।

(ख) मुख्य कारण यह है कि कोयला खनन उपकरणों के लिए जिनके लिए यह कारखाना स्थापित किया गया था पर्याप्त आर्डर नहीं मिले हैं। दूसरे सहायक कारण यह हैं :— (1) विविधीकरण की प्रोद्यौगिक समस्याएं, (2) बैच उत्पादन के लिए आवर्ती किस्म के आर्डरों की कमी, (3) कारखाने में कम उत्पादिता, (4) औद्योगिक अशान्ति, (5) विभिन्न कर्मशालाओं तथा अनुभागों को सौंपे गए कार्यों में असंतुलन, (6) भारी ऊपरी खर्चे, जिनमें मूल्य-ह्रास तथा ब्याज के खर्चे सम्मिलित हैं तथा (7) संगठनात्मक कमियां।

(ग) सार्वजनिक उपक्रम समिति ने इस निगम के बारे में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि कम्पनी को हुए आवर्ती घाटे तथा भविष्य में इसकी उन्नति की कम संभावना को ध्यान में रखते हुए इसे बन्द कर दिया जाए। इस रिपोर्ट पर इस समय विचार किया जा रहा है। इस प्रकार के दूरगामी निर्णय लेते समय बहुतसी बातों पर गम्भीरता से विचार करना होगा। इन बातों में भविष्य में लाभदायकता की संभावनाओं का विस्तृत मूल्यांकन, इस निगम के बन्द करने से इस क्षेत्र में रोजगार की स्थिति पर प्रभाव, इस निर्णय के लिए जाने से विषम कठिनाइयों का उत्पन्न होना तथा इस निर्णय से महत्वपूर्ण प्रायोजनाओं, जैसे बोकारो इस्पात कारखाना तथा बन्दरगाहों के विकास के बड़े-बड़े कार्यक्रमों जिनके आर्डरों को यह निगम पूर्ण कर रहा है, शामिल हैं।

एलावं इस्पात संयंत्र दुर्गापुर में कमियां

2481. **श्री सामिनाथन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एलाइ इस्पात संयंत्र दुर्गापुर में क्या कमियां हैं ; **और**

(ख) इन कमियों को पूरा करने के लिए कौन-से कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख). संयंत्रों और उपकरणों के कुछ साज-सामान भट्ठियों के अभिन्यास आदि में कमियां हैं। हिन्दुस्तान स्टील लि० उपकरण-संभारकों तथा अपने विशेषज्ञों के परामर्श से आवश्यक प्रत्युपाय कर रही है ।

बड़े उद्योगों के लिये इस्पात का परमिट जारी करना

2482. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1970 में संसद् के विघटन के पश्चात् बड़े उद्योगपतियों को इस्पात के लिए बहुत बड़ी संख्या में परमिट जारी किए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें एक लाख रुपये से अधिक के मूल्य का इस्पात आवंटित किया गया है ;

(ग) क्या इस मंत्रालय के नए मंत्री द्वारा उक्त आवंटनों को रद्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके लिए इस्पात का आवंटन रद्द किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) से (घ). जी, नहीं। आजकल इस्पात प्राप्त करने के गिए परमिटों की जरूरत नहीं है। चूंकि परमिटों की जरूरत नहीं है इसलिए संसद् के विघटन के बाद उनके जारी करने अथवा रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़ी मात्रा में एक वैगन से अधिक इस्पात केवल इस्पात कारखानों से प्राथमिकता समिति द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता था। संसद् के विघटन के पश्चात् ऐसे किसी प्राथमिक आवंटन को बड़े पैमाने पर रद्द नहीं किया गया है।

1970 से पहले पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों का पुनः बसाया जाना

2483. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 से पहले पूर्वी बंगाल से भारत आये सभी विस्थापितों को बसाया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने लोग अभी नहीं बसाये गये हैं; और

(ग) उन्हें बसाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क), (ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

पुराने प्रवासी

पूर्वी पाकिस्तान से आए उन पुराने प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य जो 31-3-1958 तक भारत आ गए थे, पश्चिम बंगाल में कुछ अवशिष्ट कार्य को छोड़कर 1960-61 तक लगभग पूरा हो चुका था। 1960-61 में पश्चिम बंगाल के अवशिष्ट कार्य का मूल्यांकन किया गया था और अवशिष्ट समस्या के समापन के लिए 21·88 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।

2. अवशिष्ट मूल्यांकन के बाद पुराने प्रवासियों के हित के लिए पश्चिम बंगाल में किए गए पुनर्वास उपायों की कार्यप्रणाली और उनके परिणामों तथा आवश्यक और वित्तीय सहायता का मूल्यांकन इस समय समीक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है। समिति की कुछ अन्तरिम सिफारिशों के परिणामस्वरूप अब तक 237 लाख रुपए की राशि मंजूर की जा चुकी है।

नए प्रवासी

3. 1-1-1964 और 31-12-1969 के बीच की अवधि में भारत आए और जिन्होंने पुनर्वास सहायता चाही सभी नए प्रवासी 31-12-1969 तक विभिन्न राज्यों में बसाए जा चुके थे इनमें राहत शिविरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे 5,121 परिवार और स्थायी दायित्व के 3,997 परिवार शामिल नहीं हैं।

4. 1970 में प्रवासियों का नया दौर शुरू हुआ तथा पैराग्राफ 3 में उल्लिखित पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थोड़े से परिवारों की समस्या को नए आने वाले प्रवासियों की समस्या के साथ मिला दिया गया। 1-1-1970 को पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों तथा उसके बाद आए परिवारों को अन्यत्र भेजने तथा विभिन्न राज्यों में उनके पुनर्वास की कार्यवाही जारी रही।

5. विभिन्न राज्यों में कृषि पर पुनर्वास के लिए पहले से शुरू की गई बहुत सी योजनाओं पर कार्य जारी रहा, जैसे मध्य प्रदेश में बेतुल, सरगुजा तथा पन्ना परियोजनाएं, महाराष्ट्र में चांदा परियोजना, आन्ध्र प्रदेश में ईसागांव परियोजना और मैसूर में सिन्धनूर परियोजना तथा साथ ही दण्डकारण्य परियोजना और अण्डमान तथा निकोबार की योजनाए।

6. 1970 में नए प्रवासियों के आ जाने से बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से अतिरिक्त भूमि देने की अपील की गई है। राज्य सरकारों द्वारा सुझाई गई कुछ योजनाएं विचाराधीन हैं।

7. लघु व्यापार तथा व्यवसाय और आवास के लिए विस्थापित व्यक्तियों को ऋण देने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार देने की पैटर्न योजनाएं चालू रहीं। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार के लिए अग्रताएं तथा रियायतें और वजीफों सहित तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं जारी रही हैं। राज्य सरकारों के अन्तर्गत औद्योगिक यूनिटों में पुनर्वास जैसी अन्य पुनर्वास योजनाएं भी चालू रखी गई हैं।

आयातित ट्रेक्टरों का राज्यों को वितरण और उनका मूल्य

2484. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 1968 से 1971 मार्च तक की अवधि में विभिन्न देशों से कितने कृषि ट्रैक्टरों का आयात किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न राज्यों को कितने ट्रैक्टर आवंटित किये गये और आयातित ट्रैक्टर किस ऐजन्सी के माध्यम से बेचे गये; और

(ग) प्रत्येक किस्म का ट्रैक्टर किस मूल्य पर आयात किया गया और खरीददारों से कितनी शुद्ध राशि प्राप्त की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 1968-71 के दौरान निम्नलिखित कृषि ट्रैक्टर आयातित/नौवाहित किये गये हैं :—

देश का नाम	आयातित/नौवाहित ट्रैक्टरों की संख्या
रूस	9,000
चैकोस्लोवाकिया	10,452
रूमानिया	3,290
पूर्वी जर्मनी	1,998
पोलैंड	3,200
युगोस्लाविया	650
इंगलैंड	1,050
कुल जोड़	29,640

(ख) 1968-69 से लेकर अब तक विभिन्न राज्यों को आयातित/आयातित किये जा रहे ट्रैक्टरों का आवंटन प्रदर्शित करने वाला एक विवरण (परिशिष्ट 1) संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी०** 445/71] इन ट्रैक्टरों का वितरण प्रायः विभिन्न राज्यों में स्थापित राज्य कृषि उद्योग निगमों की एजेन्सी की मार्फत किया गया किन्तु कुछ मामलों में ट्रैक्टरों के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और कुछ देशीय विनिर्माताओं द्वारा बेचा गया जिन्होंने कि इन ट्रैक्टरों का आयात तथा इन्हें जोड़ने का कार्य किया था।

(ग) विभिन्न प्रकार के आयातित/आयात किये जा रहे ट्रैक्टरों की आयात कीमत को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण (परिशिष्ट 2) संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 445/71] जहां तक विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा आयातित ट्रैक्टरों के लिये जाने वाली विक्रय कीमतों का सम्बन्ध है, यह कहना चाहिये कि आयातित ट्रैक्टरों की अखिल भारतीय विक्रय कीमत निश्चित नहीं है और प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। फिर भी राज्य व्यापार निगम द्वारा लिये जाने वाला विक्रय मूल्य उनके द्वारा निम्नलिखित आधारों पर निश्चित किया जाता है :—

व्यापार सहभागियों द्वारा ट्रैक्टर वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को ट्रैक्टरों उपसाधनों और फालतू पुर्जों सहित उनके द्वारा निम्न प्रकार से लगाये गये अधिकतर विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेचे जा सकते :—

(1) लागत बीमा भाड़ा कीमत।

(2) रख रखाव, निकासी धन वास्तविक विषय पर पत्तन और अन्य विभिन्न प्रभार किन्तु लागत बीमा भाड़ा कीमत पर अधिकतम 3 प्रतिशत, भाड़ा आदि पत्तन से बाहर रेल के शीर्षों तक वास्तविक अतिरिक्त व्यय पर पैकिंग, केसिंग और वैगन आनुषङ्गिक खर्च आदि।

(3) मूल लागत पर सीमान्त शुल्क और पत्तन न्यास प्रभार डी टी-14 वी ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में।

(4) लागत बीमा भाड़ा कीमत पर 20 प्रतिशत मार्जन और अन्य विचार के ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में लागत बीमा भाड़ा कीमत पर 16⅔% है। इस मार्जन में राज्य व्यापार निगम का लागत बीमा, भाड़ा कीमत पर 1⅓% का मार्जन सम्मिलित है। मार्जन वित्तीय और ऊपरी खर्चों को मिलाये हुये हैं और इन्हें सम्भावित न्यूनतम स्तर पर रखा गया है। ऊपर लगाई गई कीमत गोदाम पत्तनों पर की कीमत है और व्यापार सहभागियों को छूट है कि वे उपभोगताओं से 150 रु० अधिक, निरीक्षण, टायर और ट्यूब लगाने मार्ग रेखन बनाने, बैटरी चार्ज करने, तेल बदलने, ईंधन स्नेहक, पियक को हटाने, वितानों को लगाने यदि कोई है, हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसेम्बली को लगाने लघु रूप में रंग करने और चलाने 50 अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों और असली कीमत पर 52 अश्व शक्ति से ऊपर ट्रैक्टरों को सड़क पर चलने लायक बनाने के लिये परीक्षण और अन्य कार्य के व्यय को पूरा करने के लिये ले लें। विक्रय कर और अन्य स्थानीय करों को वास्तविक रूप में लेने की भी अनुमति है। जैटर एस० के० डी० ट्रैक्टरों के बारे में लगभग 509 रुपये की एक राशि को जुड़ाने, रंग करने, परीक्षण आदि के लिये अतिरिक्त लेने की अनुमति है।

देशी विनिर्माताओं द्वारा बेचे गये आयातित ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में कीमतें, लागत लेखा-पालों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, जिस पर कि एक अन्तर्मंत्रालय समिति विचार करती है और सरकार द्वारा स्वीकृत उनकी सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

सरकारी क्षेत्र में हानि को रोकने के लिए पांच वर्ष की हड़ताल-रहित अवधि

2485. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार लगातार हड़तालों तथा श्रमिक संकटों के कारण सरकारी क्षेत्र में हुई हानि को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है;

(ख) क्या उत्पादन के लिए पांच वर्ष की हड़ताल-रहित अवधि के बारे में सरकार विचार कर रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) वर्तमान कानूनों और रीतियों में समुचित परिवर्तन करके औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने के उपायों पर सरकार द्वारा विभिन्न सम्बंधित पक्षों का परामर्श लेकर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). हड़ताल रहित अवधि के विचार के सम्बन्ध में मजदूर यूनियनों और नियोजकों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मई, 1971 में अलग-अलग अधिवेशनों में प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया गया। परन्तु अभी तक कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं निकले।

उर्वरकों की खपत दर के सम्बन्ध में समन्वय मंत्रणा एककों की स्थापना

2486. **श्री विश्वनाथ भुनभुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्यों में भूमि तथा सिंचाई की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं और किसानों को पर्याप्त तथा तत्काल परामर्श नहीं मिलता है क्या इसी कारण से उर्वरकों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक मात्रा में होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों के लिए समन्वय मंत्रणा एककों की स्थापना की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ग) क्या उन क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां भूमि तथा सिंचाई परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद उर्वरकों की खपत कम रही है; और

(घ) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं और उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वस्तुतः यह एक तथ्य है कि उर्वरकों के प्रयोग की दर में होने वाली वृद्धि किसानों को उपलब्ध किये जाने वाले परामर्श के साथ-साथ ही बढ़ी है। फिर भी अपनाये गये विस्तार उपायों की क्षमता के अतिरिक्त उर्वरकों के उपयोग में होने वाली वृद्धि के कुछ अन्य कारण भी हैं; जैसे कि : सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धि, उर्वरकों के क्रय के लिये ऋण, वितरण की समुचित व्यवस्था तथा उत्पाद मूल्य और आदान लागतों का पारस्परिक अनुपात।

(ख) भारत सरकार, राज्य सरकारों, उर्वरक उद्योग तथा कृषि विश्व-विद्यालयों के साथ एक संयुक्त उपक्रम के रूप में एक उर्वरक वर्धन परिषद् की स्थापना पर विचार कर रही है।

जिससे कि उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि के लिए प्रोन्नत उपायों को तीव्र किया जा सके । स्थापना के उपरान्त परिषद् में जिला, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर परामर्शदात्री समितियां होंगी ।

(ग) जी, हां । उर्वरक वर्धन परिषद् की योजना के अन्तर्गत उर्वरकों के प्रयोग के लिये मृदा तथा सिंचाई सुविधाओं और अधिक क्षमता वाले क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया गया है । योजना सम्पूर्ण देश में लगभग 80 जिलों में लागू की जायेगी । इस प्रकार छांटे गये जिले वही जिले हैं जहां कि राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

(घ) जिलों का चुनाव एक राज्य में अस्थायी रूप से चार जिलों की औसत दर से किया गया है, जहां कि उर्वरक वर्धन परिषद् सामान्यतः उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने तथा विशेषकर 'एन' 'पी' तथा 'के' के सन्तुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिये एक सघन उर्वरक वर्धन कार्यक्रम चालू करेगी ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का प्रकाशन

2487. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय निगम ने अपने पैड प्रकाशित कराये हैं जिनमें किरीबुरु को बिहार के सिंघभूम जिले में दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस ओर ध्यान देने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख). किरिबुरू में दो डाकघर हैं, एक "हिल टाप" पर है, जो उड़ीसा के क्योंझार जिले में आता है जबकि दूसरा जो नगर में स्थित है, बिहार के सिंहभूम जिले में आता है । पहले, जब प्रायोजना के कार्यालय "हिल टाप" पर स्थित थे, तब प्रायोजना के पत्रों पर दिया गया पता "जिला क्योंझार उड़ीसा" था । चूंकि अब प्रायोजना का प्रधान कार्यालय जिला सिंहभूम में स्थित है अतः संचार सुविधा के लिए प्रायोजना के पत्रों में दिया गया डाकीय पता इस प्रकार है : "डाक-घर किरिबूरू, जिला सिंहभूम, बिहार" ।

खुले बाजार में नियंत्रित चीनी का बेचा जाना

2488. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी पर से नियंत्रण हटाने से पहले उड़ीसा में कटक मालगोदाम के व्यापारियों ने 700 बोरी चीनी खुले बाजार में बेची थी;

(ख) क्या यह कार्य सप्लाई विभाग की जानकारी में हुआ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले की स्वतंत्र रूप से और तुरन्त जांच करायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने लेवी-योजना के अधीन चीनी के थोक व्यापारियों को यह अधिकार दियाथा कि यदि 20 दिनों के भीतर स्टाक न उठाया जाय तो वे 50 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में खुदरा तथा थोक व्यापारियों को बेच दें ।

(ग) क्योंकि राज्य के प्राधिकारियों की अनुमति से चीनी दी गई थी, इसलिए जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

कोयना और कोरबा में अलुमिनियम कारखानों की स्थापना

2489. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयना और कोरबा में अलुमिनियम के दो कारखाने कब स्थापित किये गये थे;

(ख) अब तक उन पर कुल कितना खर्च हुआ है और उनमें अब तक कुल कितनी मात्रा में अलुमिनियम के उत्पादों का उत्पादन हुआ है; और

(ग) क्या कोयना और कोरबा में इन कारखानों के लग जाने के बाद मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) स्थित अलुमिनियम के कारखाने की क्षमता सीमित कर दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप अलुमिनियम की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खाँ) : (क) और (ख). दो ऐलूमिनियम प्रायोजनाएं अर्थात् कोरबा (मध्य प्रदेश) ऐलूमिनियम प्रायोजना और कोयना (महाराष्ट्र) ऐलूमिनियम प्रायोजना (अब रत्नगिरि ऐलूमिनियम प्रायोजना के नाम से विदित है) भारत ऐलूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा पब्लिक सेक्टर में कार्यान्वित की जा रही हैं। यह सरकारी कम्पनी है और इसे 27 नवम्बर 1965 को निगमित किया गया था। कम्पनी की उपरलिखित दोनों प्रायोजनाएं अभी भी विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट/सन्निर्माण की अवस्थाओं में हैं और अभी तक उनमें मे उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है। कोरबा प्रायोजना के ऐलूमिना संयंत्र

के जुलाई 1972 में चालू होने की संभावना है और आशा की जाती है कि प्रायोजना के प्रद्रावक और गढ़ाई संयंत्र 1973-74 में प्रावस्थाओं में सम्पूरित होकर उत्पादन प्रारम्भ करेंगे और पूर्ण क्षमता 1975-76 तक ग्रहण करेंगे। कोयना प्रायोजना के प्रद्रावक संयंत्र के 1973-74 में उत्पादन प्रारम्भ करने और प्रायोजना के 1974-75 तक सम्पूरित होने की संभावना है। इन दोनों प्रायोजनाओं के लिए सरकार ने मार्च 1971 तक 15.54 करोड़ रुपए तक की राशि की निर्मुक्त की है।

(ग) हिन्दुस्तान ऐलूमिनियम निगम को, उत्तर प्रदेश में स्थित रेगूकूट प्रद्रावक के 60,000 टन वार्षिक से 120,000 टन वार्षिक तक के विस्तरण के लिए 6-12-66 को अनुज्ञप्ति जारी की गई थी। इस समय तक उसने प्रद्रावक क्षमता 80,000 टन वार्षिक तक वर्धित की है। प्रद्रावक का अनुज्ञप्त क्षमता तक विस्तरण दो प्रावस्थाओं में, अर्थात् 30-4-72 तक 1,00,000 टन और 31 दिसम्बर 1973 तक 1,20,000 टन तक, सम्पूरित होने की संभावना है। पब्लिक सेक्टर में इन दोनों प्रायोजनाओं के स्थापित होने के परिणामस्वरूप मिर्जापुर (उ० प्र०) स्थित कार्यरत ऐलूमिनियम फैक्टरी की क्षमता को न तो सीमित ही किया गया और न ही वर्धित किया गया।

उत्तर प्रदेश में एक अलुमिनियम कारखाने की स्थापना

2490. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अलुमिनियम का दूसरा कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पश्चिम बंगाल के उद्योगों में कच्चे माल की कमी

2491. **श्री सुबोध हसंदा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के अधिकतर उद्योग कच्चे माल की कमी विशेषकर लोहे और इस्पात की कम सप्लाई के कारण बन्द हो रहे हैं;

(ख) क्या इस आशंका से कि उद्योग बन्द न हो जाएं पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से 1.23 लाख टन लोहे और इस्पात की तुरन्त सप्लाई की मांग की है;

(ग) क्या इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) क्या अब तक कोई माल सप्लाई किया गया है और यदि हां, तो कितना ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) चूंकि इस्पात की उपलब्धि आंकी गई मांग से कम है, अतः पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के उपभोक्ताओं की गांग को सम्पूर्ण मात्रा में सप्लाई करना संभव नही हो सका है। सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं है कि लोहे और इस्पात की कमी के कारण उद्योग बन्द हो रहे हैं।

(ख) से (घ). अप्रैल-जून, 1971 तथा जुलाई-सितम्बर 1971 की अवधि में, पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी मात्रा को प्राथमिकता प्रदान करने की मांग की थी, इस्पात प्राथमिकता समिति ने कितनी मात्रा के लिए प्राथमिकता प्रदान की तथा उसके आधार पर वास्तव में कितना-कितना प्रेषण हुआ। इन सब बातों की जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बर्मा से वापिस आए लोगों को मकानों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन

2492. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से वापिस आए लोगों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि की कीमत की अंतिम किस्त जसा कर दी है और फिर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न तो भूमि की रजिस्ट्री की है और न ही इन लोगों को भूमि का कब्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो भूमि का कब्जा देने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन लोगों को दी जाने वाली भूमि पर मकान निर्माण हेतु सरकार किस प्रकार धन देने का विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा में सीमित आय वाले किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिये योजना

2493. **श्री बीरेन दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने सीमित आय वाले किसानों तथा कृषि मजदूरों सम्बन्धी केन्द्रीय योजना के अधीन कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो किन लोगों को सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र अब तक चुने गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक पांच एकड़ तक की भूमि वाले लगभग 19,000 सीमान्त किसानों के परिवार तथा 1,000 भूमिहीन कृषि मजदूर लाभानुभोगी होंगे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यह कार्यक्रम 4 ब्लाक अर्थात् मोहनपुर, जिरानिया, तेलियापुरा, विशालघर तथा एप्पी तहसील में चलाया जायेगा ।

त्रिपुरा में धान की अधिक उपज वाली किस्म के लिये केन्द्रीय सहायता

2494. **श्री बीरेन दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में धान की अधिक उपज वाली किस्म की फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1969-70 के दौरान सब-डिविजन-वार प्रति कितनी पैदावार हुई;

(ग) क्या सबसे अधिक उत्पादन करने वाले किसान को कोई सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो 1969-70 के दौरान किस प्रकार की सहायता प्रदान की गयी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए द्रुत कार्यक्रम

2495. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में 50 करोड़ रुपये की बेरोजगारी दूर करने की योजना चालू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में प्रत्येक खण्ड में विशेषकर विकास खण्डों में कितने लोगों को रोजगार दिया गया;

(ग) रोजगार पाये लोगों ने किस प्रकार का कार्य किया; और

(घ) प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों को क्या वेतन दिया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). वर्ष 1971-72 में तीन जिलों में ग्राम रोजगार के त्वरित कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए त्रिपुरा सरकार को अब तक 34.98 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। 2.52 लाख रुपए की शेष राशि उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होते ही आवंटित कर दी जाएगी। इस योजना में प्रत्येक जिले में कम से कम 1000 व्यक्तियों को लगभग 10 महीनों के लिये प्रतिमास प्रति व्यक्ति 100 रु० तक की मजदूरी पर रोजगार देने की परिकल्पना की गई है। जैसाकि त्रिपुरा प्रशासन ने सुझाव दिया है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं में ये शामिल हैं—तालाब, बंध, बाढ़ रोकने के लिये बाँध, सिंचाई जलमार्ग और सड़कें। जब इस वर्ष इस केन्द्र शासित क्षेत्र में यह योजना कार्यान्वित की जाएगी तब पता चलेगा कि वास्तव में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

सहकारी समितियों का परिसमापन

2496. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, राज्यवार कितनी-कितनी कृषि तथा विपणन सहकारी समितियों का परिसमापन किया गया है; और

(ग) इनके परिसमापन के मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) वर्ष 1966–67, 1967-68 और 1968-69 में परिसमाप्त की गई प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं प्राथमिक साखेतर समितियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। साखेतर समितियों में विपणन समितियां भी शामिल हैं, जिनके बारे में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) साख तथा साखेतर समितियों के परिसमापन के विशिष्ट कारण उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यह आमतौर पर पता ही है कि जब एक बार समितियां सदस्यों की अभिरुचि के अभाव या कुप्रबंध आदि के कारण कार्य करना बन्द कर देती हैं और पुनर्जीवित करने की अवस्था से निकलकर निष्क्रिय हो जाती हैं तो उन्हें परिसमापन के अन्तर्गत लाना ही पड़ता है। प्राथमिक साख समितियों के पुनर्गठन के फलस्वरूप भी अनेक न चल सकने वाली समितियाँ परिसमाप्त की गयीं।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	इन वर्षों के दौरान परिसमाप्त की गई प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या			इन वर्षों के दौरान परिसमाप्त की गई प्राथमिक साखेतर समितियों की संख्या		
	1966-67	1967-68	1968-69	1966-67	1967-68	1968-69
आंध्र प्रदेश	57	60	219	50	135	162
असम	716	210	309	97	187	58
बिहार	607	508	705	56	26	59
गुजरात	75	44	121	253	154	304
हरियाणा	...	...	88	60	42	218
हिमाचल प्रदेश	9	24	14	43	61	178
जम्मू तथा काश्मीर	23	7	4	3	6	3
केरल	106	83	60	57	73	88
मध्य प्रदेश	112	46	29	587	710	465
महाराष्ट्र	49	36	38	471	372	647
मैसूर	9	34	89	13	59	94
उड़ीसा	301	263	288	94	133	104
पंजाब	39	45	42	86	273	243
राजस्थान	65	79	115	168	266	240
तमिल नाडु	274	237	342	121	158	214
उत्तर प्रदेश	37	14	37	22	57	29
पश्चिम बंगाल	239	231	192	150	123	99
चंडीगढ़	...	...	...	...	...	2
दिल्ली	15	21	19	62	67	57
गोवा, दमन तथा दीव	...	1	...	3	6	2
मणिपुर	...	...	...	7	2	6
पांडिचेरी	...	...	...	...	...	2
त्रिपुरा	4	...	...	1	1	3
योग (अखिल भारतीय)	2737	1943	2711	2404	2911	3277

केरल में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिये केन्द्रीय सहायता

2497. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कृषि-योग्य भूमि का क्षेत्र कितना है जहाँ सिंचाई सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन लक्ष्य के अनुपात में नहीं हुआ है; और

(ख) पिछले दो वर्षों, 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गयी और वित्त वर्ष 1971-72 के दौरान कितनी सहायता दी जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) वर्ष 1967-68 के लिये प्राप्त नवीनतम सांख्यिकियों के अनुसार केरल में लगभग 17.4 लाख हैक्टार भूमि के लिये सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ख) चालू पद्धति के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता ऋण और अनुदान की राशि एक मुश्त रूप में दी जाती है किसी विशेष कार्यक्रम के लिये नहीं तथापि वर्ष 1969-70 में मुख्य, मध्यम और लघु सिंचाई सहित, सिंचाई योजनाओं के लिये राज्य योजना के अधीन उपलब्ध धन में से राज्य सरकार ने 6.03 करोड़ रु० का व्यय किया और 1970-71 में 8.26 करोड़ रुपये (प्रत्याशित) कम किया । सिंचाई योजनाओं के लिये 1971-72 में 8.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की सिफारिश की गई है ।

अमरीका से आयात की गई भेड़ों का वितरण

2498. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका से विशेष नस्ल की भेड़ों का आयात करने सम्बन्धी योजना को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके राज्यवार वितरण का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार ने पशु-पालन वैज्ञानिकों की नामिका की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि रैम्बोलिट्स तथा देशी भेड़ों के संकरण की द्वारा ऊन की कोटि को उन्नत बनाया जाये ।

(ख) वर्ष 1970-71 में सरकार द्वारा अमरीका से 'रैम्बोलिट नस्ल' की 2581 भेड़ों का आयात किया गया था। इन भेड़ों का वितरण निम्न प्रकार किया गया :—

जम्मू तथा कश्मीर	300
हिमाचल प्रदेश	1349
महाराष्ट्र	110
मैसूर	300
उत्तर प्रदेश	341
राजस्थान	181

कृषि विकास के असंतुलन को दूर करने सम्बन्धी अध्ययन दल

2499. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश के पिछड़े क्षेत्रों का दौरा करने तथा कृषि विकास के असंतुलन को हटाने के बारे में सुझाव देने के लिये किसान संसद सदस्यों के एक अध्ययन दल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो दल के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा दल का उद्देश्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन दल गठित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बंगला देश सहायता समिति

2500. **श्री टी० बालकृष्णैया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश सहायता समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) इसने अब तक कितनी राशि एकत्र की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) बंगला देश सहायता समिति द्वारा जो दान प्राप्त किया जाता है उसकी सूची समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। जहाँ तक सरकार की जानकारी है, अब तक इसके द्वारा एकत्रित की गयी राशि 35.00 लाख रुपये से अधिक है।

विवरण

बंगला देश सहायता समिति का गठन

अध्यक्ष	श्री एम० सी० सीतलवाद
उपाध्यक्ष	कुमारी पद्मजा नायडू
संयुक्त सचिव	श्री एस० के० नाग
	श्री एस० ए० सबावाला
अवैतनिक कोषाध्यक्ष	श्री महेश्वर दयाल
सदस्य	श्री त्रिगुण सेन
	श्री भरत राम
	श्रीमती रक्षा शरण
	श्री सरूप सिंह
	श्री जी० पार्थसार्थी
	श्री के० शंकर पिल्ले
	श्रीमती राज थापर

आंध्र प्रदेश में वर्षा के कारण आम की फसल को नुकसान

2501. **श्री टी० बालकृष्णैया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च तथा अप्रैल, 1971 के महीने में हुई वर्षा से आंध्र प्रदेश में आम की फसल को कितना नुकसान हुआ है; और

(ख) क्या सरकार ने उन लोगों को कोई मुआवजा दिया है जिन्हें वर्षा के कारण नुकसान हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट के अनुसार आंन्ध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अप्रैल-मई 1971 के दौरान भारी वर्षा

तथा तूफान के कारण आम की फसल को काफी हानि पहुंची है। फिर भी आन्ध्र प्रदेश सरकार के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वास्तव में हुई हानि का सही अंकन नहीं किया जा सका।

(ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि आम उत्पादकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और यदि राजस्व विभाग आवश्यक समझेगा तो वर्तमान लागू नियमों के अनुसार अपेक्षित राजस्व अदायगी में कुछ रिआयत दी जा सकती है।

दिल्ली ग्राम्य क्षेत्रों की निष्क्रांत सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा

2502. **श्री दलीप सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य में गांव-वार ग्राम्य निष्क्रांत सम्पत्ति का कितना क्षेत्र अनधिकृत कब्जे में है;

(ख) ऐसी सम्पत्ति को अनधिकृत कब्जे से छुड़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) ऐसी निष्क्रांत सम्पत्ति किन कारणों से अब तक वापिस नहीं ली गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) अनधिकृत कब्जे वाले गाँवों तथा कृषि-भूमि के क्षेत्र की सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 446/71].

(ख) और (ग). 1963 में दिल्ली में स्थित न बेची गई ग्रामीण कृषि-भूमि दिल्ली प्रशासन को उनके मास्टर प्लान के कार्यान्वियन के लिये दी गई थी। परन्तु दिसम्बर 1969 में उन्होंने अन्तिम रूप से सूचित किया कि उन्हें इस भूमि की आवश्यकता नही है तदनुसार यह निर्णय किया गया कि इन्हें अब अनधिकृत कब्जेदारों को बाजार की दर पर खरीदने के लिए कहा जाय। ऐसा न करने पर उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया जाना चाहिए और भूमि को नीलाम द्वारा बेच दिया जाना चाहिये। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए गए जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों ने बाजार की दर से कीमत अदा करके अपने कब्जे को नियमित करा लिया तथा कुछ को बेदखल कर दिया गया और अन्य मामलों में नीलाम की कार्यवाही की गई।

बहुद्देशीय सहकारी समितियां

2503. **श्री अचल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुद्देशीय सहकारी समितियां बम्बई सहकारी समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1925 के अधीन पंजीकृत हैं ;

(ख) यदि हां, तो बहुद्देशीय सहकारी समितियों का सिद्धान्त और परिभाषा क्या है ;

(ग) क्या बहुद्देशीय सहकारी समितियों का क्षेत्र असीमित है ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

कृषि मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). बहुद्देशीय सहकारी समितियां बम्बई सहकारी समितियां अधिनियम, 1925 जो दिल्ली में भी लागू है, के अधीन पंजीकृत की जाती हैं। बहुद्देशीय सहकारी समिति ऋण तथा अन्य निवेशों की व्यवस्था करने, कृषि उपज का भण्डारण एवं विपणन करने, कृषि-उद्योगों की स्थापना करने और अपने सदस्यों के कल्याण के लिए अन्य गतिविधियां आरम्भ करने के उद्देश्य से गठित की जाती हैं।

(ग) और (घ). बहुद्देशीय सहकारी समितियों का क्षेत्र समिति विशेष की उप-विधियों द्वारा सीमित होता है।

राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारियों की शिकायतें

2504. **श्री शशिभूषण :**

श्री टी० सोहनलाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारी संघ ने आपको तथा मंत्री को, निगम में व्याप्त अनियमितताओं, कदाचार, पक्षपात, भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में अनेक ज्ञापन दिए हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय कर्मचारी संघ ने प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने अनिश्चित काल तक अनशन करने का निर्णय किया है ;

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारियों द्वारा दिये गये ज्ञापन में आरोप लगाये गये हैं, और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और क्या मामले की जांच की गई है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ) . राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारी संघ ने अपनी मांगे और निगम के प्रबन्धकों के विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री और प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रधान मंत्री को 30-1-71 को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन की एक प्रति अनुबन्ध में है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 447/71] उसमें उठाई गई बातों पर विचार किया गया और यह मालूम हुआ कि उनमें से अधिकांश में कोई आधार नहीं है। तथापि कुछ मामलों में उचित कार्यवाही भी की गई है। सरकार ने एक संसद् सदस्य की अध्यक्षता के अधीन (जो निगम के निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं) इन सब बातों पर नये सिरे से विचार करने के लिए एक समिति स्थापित की है।

राजस्थान में भूगर्भीय सर्वेक्षण

2505. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कोटा, बुंदी और झालावार जिलों में कोई भूगर्भीय सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). कोटा, बुन्दी और झालावाड़ के जिले के क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से मानचित्रित किए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप बुन्दी जिले में सीमेंट श्रेणी चूना पत्थर के 8500 लाख टन और कोटा तथा बुन्दी जिलों में 3.20 लाख टन सिलिका रेत की उपलब्ध राशियां प्राक्कलित की गई हैं। पामगंज और कोटा जिले के नजदीक आलंकारिक प्रस्तर (कोटा प्रस्तर) भी अवस्थापित किए गए हैं। झालवाड़ा जिले में ताम्र लौह अयस्क के लघु प्राप्ति-स्थलों की जानकारी मिली है।

बुन्दी और कोटा जिलों के भागों को अंतर्निहित करते हुए चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में भूतल-जल सर्वेक्षण भी किया गया है और जल वाले संरचनाओं की सीमांकित की गई है और उनकी सम्भाव्यता को निर्धारित किया गया है।

Funds to Madhya Pradesh for building up stock of Fertilizers

2506. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether about 7 lakh tonnes of fertilizers are likely to be consumed in Madhya Pradesh during the financial year 1971-72 ; as against above 4.11 lakh tonnes consumed in 1970-71;

(b) whether it appears to be necessary to build a reserve stock of fertilizers in the State ; and

(c) whether Government have provided adequate funds to the State Government for this purpose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) No, Sir. The State Government of Madhya Pradesh has estimated the consumption of fertilizers during the financial year 1971-72 to be of the order of about 4.10 lakh tonnes of material as against a reported total consumption of fertilizers of 2.24 lakh tonnes of material in 1970-71.

(b) It is necessary to build a reserve stock of fertilisers in the State. But it is primarily the responsibility of the State Government to ensure that sufficient stocks are available through different agencies in advance of each crop season. However, in order to supplement buffer stocking by the State agencies, the Central Fertiliser Pool would also keep about 40,000 tonnes of fertilisers in the State as a special case.

(c) The Government of India provide short-term loan assistance to the State Government for stocking and distribution of fertilisers. The Madhya Pradesh Government was sanctioned a loan of Rs. 146.16 lakhs for fertilizer marketing and Rs. 213.91 lakhs towards taccavi loan during the year 1970-71. No request for short-term loan from the State Government for this purpose during the current year has yet been received. Assistance on the lines indicated above would be made available to the State Government in the current year also.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ अधिकारियों द्वारा पचास लाख रुपये की राशि का गोलमाल किये जाने से सम्बन्धित आपराधिक षडयंत्र का समाचार

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : I call the attention of the hon. Minister of Petroleum and Chemicals to the following matter of Urgent Public Importance and request him that he may make a statement thereon :

"Reported criminal conspiracy by some officials of ONGC involving fifty lakhs of rupees and Government's reaction thereon."

नाजिरा सम्पदा (जागीर) की खरीद

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : अगस्त, 1965 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को, असम कम्पनी लि० कलकत्ता से नाजिरा में स्थित सम्पदा, जिसका बाजार मूल्य 28.56 लाख रुपए था, के विक्रय के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। सम्पदा में, भूमि, भवन, गोदाम तथा क्वार्टर आदि सम्मिलित थे। फरवरी, 1966 में आयोग ने 12.50 लाख रुपये का प्रति प्रस्ताव (काउन्टर आफर) प्रस्तुत किया, जिसे असम कम्पनी लिमिटेड ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनका प्रस्ताव ठीक एवं उचित था तथा वह मूल्यों की एक सम्पूर्णतया स्वतन्त्र एवं विख्यात फर्म द्वारा किये गये मूल्य निर्धारण पर आधारित था। जून, 1966 में आयोग ने नाजिरा को पूर्वी क्षेत्रों के प्रादेशिक मुख्यालय की स्थापना के लिए एक उपयुक्त स्थान समझा तथा उक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य (वित्त) को (सम्पदा) स्वामियों के साथ बातचीत करने के लिए प्राधिकृत किया। तदनुसार जून-जुलाई, 1966 में दोनों पार्टियों में बातचीत सम्पन्न हुई और असम कम्पनी लि० ने 24 लाख रुपये पर सम्पदा को बेचने का प्रस्ताव रखा। अगस्त, 1966 में आयोग ने 24 लाख रुपये के इस क्रय की स्वीकृति दी और नवम्बर, 1967 में इस सम्पदा पर अधिकार कर लिया। 9 मई, 1967 को कम्पनी के साथ हुए समझौते के अनुसार खरीद-मूल्य में निम्नलिखित मद सम्मिलित थे :—

(i) 183.23 एकड़ परिमाप की भूमि	16 लाख रुपये
(ii) भवन	8 लाख रुपये

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चाय के पौदों की झारियों के लिये लक्वा टी (चाय) एस्टेट (सम्पदा) को दी गई क्षतिपूर्ति

1967-68 वर्ष में कुओं के व्यधन हेतु, लक्वा क्षेत्र में 4 कुओं के लिये व्यधन स्थल प्राथमिकता के आधार पर आपेक्षित थे। ये स्थल लक्वा टी एस्टेट के अधिकार में थे। अगस्त, 1968 में, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने असम लैण्ड एण्ड रेवेन्यू रेग्यूलेशनज (असम भू तथा राजस्व विनियमन) के अन्तर्गत, उपखन्ड अधिकारी के (एस डी ओ) माध्यम से भूमि अर्जन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सितम्बर, 1966 में उपखण्ड अधिकारी ने प्राइवेट बातचीत की सिफारिश की। अतः प्रायोजना प्राधिकारियों ने, चाय सम्पदा के महा प्रबन्धक को अक्तूबर, 1966 में इन स्थलों की भूमि को बेचने का परामर्श दिया। क्योंकि चाय सम्पदा ने उपयुक्त प्रस्ताव को ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया ; आयोग ने दिसम्बर, 1966 में उप खण्ड अधिकारी (सिविल) सिबसागर को पुनः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने उक्त अधिकारी को असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (नियमावली) के नियम 189 को लागू करने तथा उन्हें भूमि में प्रवेशाधिकार की स्वीकृति देने की प्रार्थना की। चाय सम्पदा द्वारा की गई आपत्ति के कारण यह स्वीकार नहीं किया गया तथा जनवरी, 1967 में और बातचीत के

लिए परामर्श दिया गया। दीर्घकालीन पत्र-व्यवहार एवं बातचीत के पश्चात अगस्त, 1967 में चाय सम्पदा से स्थल नम्बर 54 पर कार्य करने की अनुमति प्राप्त की गई। किन्तु भूमि में चाय की भारियों के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रश्न अनिर्णीत रहा। इसी बीच में आयोग ने यह परामर्श लेने के लिए, कि इन चाय की भारियों के लिए कम्पनी को भुगतान किये जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि की गणना किस प्रकार की जाय ; विभिन्न एजेन्सियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया। मार्च, 1967 में कार्यकारी इन्जीनियर, प्रोजैक्ट रौल, एन० एफ० रेलवे, न्यू जलपईगुरी ने दरों को सूचित किया कि रेलवे के चाय संस्था की सारणी के अनुसार अदायगी की है। आयोग ने ये दरें उप-खण्ड अधिकारी सिबसागर को भेजीं, जिसने मई, 1967 में चाय संस्था द्वारा तैयार की गई सारणी में दर्शायी दरों का अनुमोदन किया। ये दरें लक्वा चाय सम्पदा के महा-प्रबन्धक को स्वीकार थीं। किन्तु उसने अन्तिम रूप में यह पुष्टि नहीं की कि आयोग ने उसे ऐसा करने के लिए कब निवेदन किया था। चाय-सम्पदा के साथ बातचीत जारी रही तथा जनवरी, 1968 में पूर्वी क्षेत्र के महा-प्रबन्धक और लक्वा-चाय-सम्पदा के महा-प्रबन्धक इस बात पर सहमत हुए कि सिबसागर के उप-खण्ड-अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले अन्तिम पंचाट के लम्बित रहने तक, आयोग एक अस्थाई दर अदा करेगा जिसका बाद में सामन्जन किया जायेगा। फरवरी, 1968 में आयोग ने क्षतिपूर्ति के उचित मूल्य निर्धारण के लिए सिबसागर के उप-खण्ड अधिकारी से प्रार्थना की। मार्च, 1968 में सिवसागर के उप-खण्ड-अधिकारी ने झाड़ी के आकार के अनुसार प्रति झाड़ी 2 रुपए, 3.96 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, एवं 6.90 रुपए की दर से भुगतान कर करने का परामर्श दिया। किन्तु मई, 1968 के बाद के पत्र में उप-खण्ड-अधिकारी ने दरों का संशोधन किया जो निम्न प्रकार है :—

झाड़ियों की आयु पर निर्भर करते हुये 0.25 रुपए, 3.00 रुपए, 10.00 रुपए, और 20.00 रुपए। इस मामले पर महाप्रबन्धक, पूर्वी क्षेत्र, द्वारा चाय सम्पदा के प्रबन्ध निदेशक के साथ 23 जुलाई, 1968 को अन्तिम रूप मे बातचीत की गई थी और अन्तिम रूप से 0.25 रुपए, 2.00 रुपए, 5 रुपए तथा 11 रुपए की दर से मुआवजा दिया गया था। इस बातचीत के आधार पर अन्तिम रूप मे दिया गया मूल्य झाड़ियों के लिए 22.67 लाख रुपए था, भूमि के लिए 4.83 लाख रुपए था।

इन दोनों मामलों की मंत्रालय में जांच-पड़ताल की गई थी और इन दोनों मामलों में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से विस्तृत जांच करने के लिए अनुरोध किए जाने की आवश्यकता समझी गई थी। यह 8 अप्रैल, 1970 को हुआ था।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इन दोनों मामलों की छान-बीन की जा रही है।

SHRI SHASHI BHUSHAN : It appears from the statement that both the cases have been referred to Central Bureau of Investigation. But no one from the C.B.I. has yet approached to Shri Johnson of this department.

It has appeared in the audit report of 1964 that drills costing Rs. 75 lakhs were purchased but 167 lakh rupees were paid as rent charges. These were purchased when their utility was over. This is how the bungling is going on in the O.N.G.C. They are trying to save Shri Naik. The department is not cooperating with Thakur Commission. C.B.I. should be asked to expedite the matter. More staff should be given to C.B.I. if they need it. I want an assurance from the hon. Minister that enquiry will be over very soon.

श्री पी० सी० सेठी : एक माननीय सदस्य द्वारा यह मामला सभा में उठाया गया था। तब मंत्रालय ने इस मामले की जांच की थी । सारी फाइलें देखने के पश्चात यह निर्णय किया गया था कि सचिवालय द्वारा जाँच पर्याप्त नहीं होगी अतः तत्पश्चात इस मामले को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने साक्ष्य आदि ले लिये हैं। हमने उनसे इसमें जल्दी करने का अनुरोध किया है।

जहां तक किसी अधिकारी विशेष अथवा अधिकारियों के ग्रुप के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न है हमने फाइलें देखने के पश्चात यह निर्णय किया था कि इस सौदे में जिन विभिन्न मूल्यों का उल्लेख किया गया है उनके लिए जिम्मेदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पूरी तरह से जाँच करनी होगी। इसलिए इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय किया गया ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हमें पता चल सकेगा कि कौन अधिकारी अथवा अधिकारियों का ग्रुप इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद दोषी अधिकारियों के विरुद्ध हम अवश्य ही कार्यवाही करेंगे।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : विवरण से यह पता लगता है कि नाजिरा सम्पदा को पूर्वी जोन का मुख्यालय बनाने के लिए खरीदा गया था और लक्वा चाय बागान को चाय के पौदों की झाड़ियों के लिए मुआवजा दिया गया था। मैं नहीं जानता कि भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं। रिपोर्ट से यह पता लगता है कि अगस्त 1966 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम भूमि तथा राजस्व विनियम के अन्तर्गत भूमि के अर्जन का एक प्रस्ताव पारित किया था। परन्तु एस०डी०ओ० ने इसको निजी बातचीत द्वारा तय करने की सिफारिश की थी इसी एस०डी०ओ० ने मार्च 1968 में चाय के पौधों की झाड़ियों के लिए विभिन्न दरों की सिफारिश की और कुछ समय के बाद और अधिक दर प्रस्तुत की। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हीं पार्टियों ने जोकि ऊंची दर स्वीकार करना चाहती थीं एस०डी०ओ० द्वारा प्रस्तुत की गई दर से कम दर लेने पर सहमति प्रकट की।

श्री जानसन का इस मामले में सीधा हाथ है और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की कई रिपोर्टें उनके विरुद्ध हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उनको श्री नायक की तरह सेवा से निलम्बित क्यों नहीं किया गया ।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर ढ़िलोन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। इसी व्यक्ति के माध्यम से वहां पर मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया था। और यही व्यक्ति पूर्वी क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी था। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। जब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन नहीं आ जाता सम्बन्धित अधिकारियों को निलम्बित रखा जाना चाहिए।

श्री पी० सी० सेठी : समूचे मामले की जांच की जा रही है। कुल 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। लगभग 183 एकड़ नाजिरा सम्पदा और एक अन्य चाय सम्पदा के लगभग 300 बीघा भूमि अर्जित की गई है। ऐसा बातचीत द्वारा किया गया था न कि कानूनी कार्यवाही द्वारा। इनके अतिरिक्त कुछ इमारतें भी ली गई हैं। प्रश्न यह है कि एस०डी०ओ० द्वारा तथा सिविल इन्जीनियर द्वारा जो दर प्रयुक्त की गई वे अलग-अलग है। मैसर्स तालबोट नामक एक निष्पक्ष कम्पनी ने 28.55 लाख रुपये बताये थे। इमारतों के लिए 9.69 लाख, इमारतों के लिए 15.86 लाख रुपये तथा सर्विस के लिए 3 लाख रुपये बताये थे। अन्ततः आयोग ने 24 लाख रुपये तय किये थे। अतः विभिन्न-विभिन्न दर बताई गई थी। इसी कारण पूरी तरह जांच के लिए मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है। चाय के पौधों की झाड़ियों के लिए भी अलग-अलग दर दी गई थी। कुछ अभिकरणों ने इनके लिए 8 लाख रुपये बताये तथा कुछ अभिकरणों ने 10.5 लाख रुपये बताये थे, परन्तु वास्तव में जो राशि दी गई वह 22.67 लाख रुपये है। इस बात का भी पता लागाया जायेगा कि इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है।

श्री ढिलौन एक अवकाश-प्राप्त सैनिक अधिकारी हैं। वह 5-9-67 से अप्रैल 1970 तक पूर्वी क्षेत्र के जनरल मैनेजर थे। अप्रैल 1970 में उन्होंने तेल तथा प्राकृति गैस आयोग की सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिया था।

श्री जानसन 1974 में किसी समय सेवानिवृत्त होंगे अतः उनके सेवानिवृत होने में अभी तीन वर्ष हैं। हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध कर रहे हैं कि वह इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सर्वप्रथम यह मामला हमारे दल के सदस्य श्री गणेश घोष द्वारा इस सभा में उठाया गया था। इससे पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र में किस प्रकार अपव्यय होता है और भृष्टाचार विद्यमान है।

किन अभिकरणों को चाय सम्पदा का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। क्या इस मामले में चाय बोर्ड से परामर्श किया गया था क्योंकि उन्होंने चाय सम्पदाओं को कुछ

अग्रिम धन देना होता है और सम्पदाओं के बारे में उन्हें कुछ मूल्यांकन भी करना होता है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पड़ोसी सम्पदाओं में, झाड़ियों का क्या मूल्य आंका गया है । मेरे विचार से यह बागान आसाम में सबसे पुराने हैं । केन्द्रीय जांच ब्यूरो से यह अनुरोध किया जाना चाहिए था कि वह अन्य क्रेताओं तथा विक्रेताओं से इस क्षेत्र में प्रति एकड़ पूंजीगत मूल्य का पता लगाते । मेरे विचार में यह इमारतें, झाड़ियों, फैक्टरी, अस्पताल आदि सहित 5000 रुपये प्रति एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए । लक्वा चाय सम्पदा टाँटिया परिवार की है । इस परिवार के सरकार से बहुत निकट के सम्बन्ध हैं । श्री टांटिया काँग्रेस संसदीय दल के खजांची रहे हैं । मेरा अनुरोध यह है कि यदि अधिकारीगण दोषी हैं तो उनको दण्ड दिया जाना चाहिए । परन्तु इस मामले में दोषी कोई अन्य व्यक्ति है । इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि श्री रामेश्वर टाँटिया का इस सम्पदा से क्या सम्बन्ध है । क्या उन्होंने मूल्य बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाया । 15 दिन में इस बात का पता लगाया जा सकता है ।

श्री पी० सी० सेठी : कानून की धारा 15 के अन्तर्गत आयोग सरकार की अनुमति के बिना 50 लाख रुपये व्यय कर सकता है ।

श्री अमृत नहाटा (बाडमेर) : इससे पता लगता है कि मूल्य 50 लाख रूपये क्यों निर्धारित किया गया ।

श्री पी० सी० सेठी : वास्तव में दो सौदे हुए हैं एक 28 लाख रुपये का तथा दूसरा 22.7 लाख रुपये का । इस बारे में मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि कुछ सवायतशासी निकायों को एक करोड़ रूपये खर्च करने की अनुमति है। इन सौदों के लिए आयोग ने सरकार की कोई अनुमति नहीं ली क्योंकि ऐसा करना उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत था । अतः यह कहना गलत है कि सरकार ने श्री टांटिया को जोकि कभी काँग्रेस संसदीय दल के खजान्ची भी थे खुश करने हेतू अपना प्रभाव प्रयोग किया है । अतः सरकार तथा कांग्रेस दल को बीच में लाना ठीक नहीं । जब यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया तो सरकार ने इसे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय किया ।

नाजिरा सम्पदा का मूल्यांकन मैसर्स तालबोट ने किया था और झाड़ियों का मूल्यांकन श्री आनन्द प्रकाश ने किया था । उन्होंने 5 रुपये प्रति झाड़ी देने की सिफारिश की थी जोकि कुल 10.88 लाख रुपये बनते हैं । परन्तु बातचीत करने के बाद वास्तव में 22.67 लाख रुपये दिये गये । इन्हीं बातों का पता लगने के पश्चात मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय किया गया ।

SHRI SAT PAL KAPUR (Patiala): This matter was raised by Shri Ghosh seven or eight months back. The Ministry took another eight months in passing orders for referring it to C.B.I. I could not understand why Government did all this to oblige Shri Tantia. There

is no justification in keeping the Members of the House in dark about the further action in the matter and not suspending Shri Johnson.

The Japanese firm has refused to instal the drilling machines purchased by the Commission. These are in such a worse condition. It is quite possible that the General Insurance Companies may insure them and thereby we may be put to loss of crores of rupees. I am very much sad over all these things. I want to know how long all these things will continue ? I want to know the immediate steps taken by Government in this matter ? May I know whether Government is going to place before the Parliament any report of the C.B.I. or not ? I would also like to know whether Shri Johnson will be suspended ? I want to know further whether Shri Tantia will be blacklisted ? I also want to know whether Government will agree to the formation of any Parliamentary Sub-Committee or not ?

SHRI P. C. SETHI : The ONGC has done a good job so far as drilling and also making efforts to make India self-sufficient in oil is concerned. First of all the information was given by Shri Ghosh. As soon as the then hon. Minister was convinced that the matter should be looked into thoroughly he referred the matter to C.B.I.

So far as the question of suspending the officers is concerned it cannot be done without fixing the responsibility. We are requesting the C.B.I. to expedite the enquiry. I have already repudiated the charge that Government have done anything to oblige any people. This deal was conducted by the officials of the O.N.G.C. I want to assure the hon. Member that we will try to expedite the matter and steps will be taken in accordance with the findings of the C.B.I.

SHRI G. P. YADAV (Katihar) : It is now proved that Shri Johnson is guilty in this case. Many charges were levelled against him when he finalized a deal for the purchase of pipelines from Czechoslovakia. At that time a commission was set up to enquire into the matter. No enquiry against Shri Johnson has yet been completed although there are many cases against him pending with the C.B.I. It appears that some other senior officers are also involved in this matter. These cases are pending with the C.B.I. for a very long time but no report has been submitted by C.B.I. No action has been taken against Shri Johnson in the earlier matter and even in this case he has not been suspended. No departmental proceedings have been started against him so far. Therefore I ask the hon. Minister to come forward with a statement telling about those persons who are shielding Shri Johnson.

SHRI P. C. SETHI : That case is regarding Haldia-Barauni pipeline. An enquiry is going in this matter. A case has been registered against a firm importing pipes from Czechoslovakia.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Action had been taken against whom ?

श्री पी० सी० सेठी : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद इस मामले का निबटारा किया जायेगा। 21 जनवरी को न केवल चेकोस्लोवाकिया से एक प्रकार की पाइपलाइन का आयात करने के बाद में मामला दर्ज किया गया है बल्कि सीमलेस पाइपलाइन का आयात करने के विरुद्ध भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस बारे में जांच कर रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने पहले बताया था कि इस सम्बन्ध में तब तक किसी पर जिम्मेवारी नियत नहीं की जा सकती जब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच न कर ले। अब आप कहते हैं कि जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

श्री पी० सी० सेठी : चेकोस्लोवाकिया से आयात की जाने वाली एक प्रकार की पाइप का बाद में आयात नहीं किया गया था और केवल आशय-पत्र ही जारी किया गया था। दूसरे मामले में केवल कुछ पाइपों का ही आयात किया गया था। इन मामलों को दर्ज कर लिया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस बारे में जांच कर रहा है कि इस सम्बन्ध में कौनसे अधिकारी जिम्मेवार हैं।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : I want to raise a point of order in this regard. The hon. Minister has not given full information in this matter. He should be compelled to do so.

MR. SPEAKER : How can I compel him to do so ?

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

नेवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के कार्य और वार्षिक प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा समीक्षा

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नेवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तैर उन पर नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 427/71]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) जी०एस०आर० 777 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 918 और जी० एस० आर० 919 को विखण्डित किया गया है।

(2) जी० एस० आर० 778 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 921 को विखण्डित किया गया है।

(3) जी० एस० आर० 779 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 1736 को विखण्डित किया गया है।

(4) जी० एस० आर० 780 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनाँक 18 अप्रैल, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 999, दिनांक 19 अप्रैल, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1000, दिनांक 29 जुलाई, 1969 की अधिसूचना संख्या 1835 दिनांक 20 फरवरी, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 265 तथा दिनांक 8 जनवरी, 1971 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 66 को विखण्डित किया गया है।

(5) जी० एस० आर० 781, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चीनी (लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1970 विखण्डित किया गया है, जो दिनांक 22 जुलाई, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1098 में प्रकाशित हुआ था।'

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 428/71]

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I want to raise a very important matter. The United Nation's Refugee Commissioner, Prince Sadrudeen Agha Khan is in Delhi now a days. He had a meeting with the Labour Minister Shri Khadilkar yesterday. Different reports have been published regarding that meeting in the newspapers. I want that Shri Khadilkar may make a statement in the House in this regard.

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : यदि अध्यक्ष महोदय मुझे निदेश देंगे तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : हां, बाद में ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प, और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी विधेयक

STATUTORY RESOLUTION *RE.* MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY ORDINANCE, AND MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY BILL

अध्यक्ष महोदय : सभा अब आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बन्धी विधेयक पर आगे चर्चा करेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक पर चर्चा के समय को बढ़ाया जाना चाहिए । विधेयक पर सामान्य चर्चा के लिए सात घन्टे और उसके शेष क्रमों पर चर्चा के लिए 2 घन्टे का समय दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उसका कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय किया था और बाद में सभा ने इसका अनुमोदन किया था । इस बारे में थोड़ा बहुत समायोजन किया जा सकता है लेकिन आप मुझे वचनबद्ध न करें ।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : Internal Security is very necessary in the country. In other countries if somebody talks of rebels he is not left alive. It is so in China. This Bill is necessary for the welfare of the country. The Bill has been brought at the proper time.

It has been said that great injustice is being done by introducing this Bill. This Bill is in the interest of the public and it should immediately be passed. If some delay is made in passing this Bill there can be danger to the country.

If the democracy is to be kept alive in the country the Bill must be passed. Only those people are raising voice against this Bill who have no faith in democracy. A complaint has been made that this law was used against the N.G.O. s of Andhra who had recently gone on strike. If the law was used against them it was because the people of the State did not approve their action. which was against the interest of the country. If the Central Government employees also want to do something against the general interest of the country, then this law will have to be used against them also. But those people who are loyal to the country and act for its interest should not fear of it.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित किया जाता है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याहन भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past fourteen of the Clock'

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : यह कहा गया है कि उक्त विधेयक श्रीमती इन्दिरा गाँधी के गिरते हुए शासन को सहारा देने के लिए लाया गया है । यह बहुत हास्यास्पद वक्तव्य है । मैं इस विधेयक का पूरा समर्थक नहीं हूँ ।

पुलिस प्रशासन में एक भी व्यक्ति अल्प समुदाय का नही है । राजस्थान में पहले ही निवारक नजरबन्दी कानून लागू है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासी अराजकता से बड़े परेशान हैं । यदि उक्त बिधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है तो लोगों की कठिनाइयां और बढ़ जायेंगी ।

मेरे राज्य के कानून के अनुसार धार्मिक इमारतों का निर्माण बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता । पुलिस ने शिकायत की थी कि अमुक मस्जिद अनुमति के बिना बनाई गई है और मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में 150 वर्ष पुरानी मस्जिद को गिराने का आदेश दे दिया । पुलिस के सिपाहियों, गुप्तचर विभाग के व्यक्तियों, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय गुप्तचर विभाग और यहां तक कि पटवारी को भी कानून का संरक्षक समझा जाता है । सूखे के समय यदि कोई व्यक्ति अपने ढोरों को चराने कहीं जाता था तो पटवारी उस व्यक्ति को धमकी देता था कि या तो वह

रिश्वत दे या उसे पाकिस्तानी करार दे दिया जायेगा । यति पुलिस को घूस दे दी जाती है तो उन लोगों को देश के प्रति वफादार समझा जाता है ।

यह सर्वविदित है कि बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों की तस्करों से सांठ-गांठ है । उनका राष्ट्रविरोधी तत्वों से सम्बन्ध है और सरकार उन लोगों को हथियार देकर देश की रक्षा का भार सौंपना चाहती है । प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देशद्रोही समझा जाता है । उनको परेशान किया जाता है और उनकी भूमि छीन ली जाती है । निर्वाचन सूची में नाम होने के बावजूद भी अनेक व्यक्तियों को पटवारी द्वारा पाकिस्तानी घोषित किए जाने के बाद मतदान के अधिकार से वंचित रख दिया गया था ।

पशुओं को एक दूसरे की सीमा में जाने पर उनके मालिकों से रुपये वसूल किए जाने पर ही पशुओं को छोड़ा जाता है ।

राजस्थान में उक्त कानून को लागू किए जाने से वहां की जनता को इस समय हो रही परेशानी से कहीं अधिक परेशानी होगी क्योंकि जिन लोगों को कानून का पालन करने के अधिकार दिए जायेंगे वे जनता को और अधिक परेशान करेंगे । यह सच है कि विधेयक में संरक्षण देने की व्यवस्था है लेकिन वह नहीं के बराबर है ।

उक्त विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 12 या 22 दिन के लिए नजरबण्द किया जा सकता है ।

पंचायत समिति के प्रधान को इसलिए नजरबन्द किया गया था क्योंकि वह उन मुसलमानों को भारत लाना चाहता था जो 1965 के संघर्ष में पाकिस्तान चले गए थे ।

देश की आन्तरिक सुरक्षा और शान्ति को आज भी खतरा है । यदि देश में वर्तमान स्थिति को जारी रखा गया तो भय है कि देश में शीघ्र सामप्रदायिक दंगे हो जायेंगे । मैं सरकार को अभी से चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह सब ऐहतियाती कार्यवाही करे और उन्हें हथियारों से सुसज्जित न करे नहीं तो इसके भयानक परिणाम होंगे ।

शरणार्थियों के प्रति समस्त राष्ट्र को पूरी सहानुभूति है । इतिहास हमें बताता है कि वह हमेशा अपने साथ जहर लाए हैं ।

शरणार्थियों के आने से न केवल हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भार पड़ेगा बल्कि इससे राजनीतिक पेचीदगियाँ उत्पन्न होंगी । यदि सरकार देश की आन्तरिक सुरक्षा चाहती है तो उसे राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ और अन्य सामप्रदायिक संगठनों पर तत्काल रोक लगानी चाहिए ।

सरकार को साम्प्रदायिक संगठनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और सरकार को वास्तविक खतरे से अवगत रहना चाहिये ।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : निवारक नजरबन्दी अधिनियम सर्वप्रथम सरदार पटेल ने वर्ष 1950 में प्रस्तुत किया था और जब उन्होंने इसे प्रस्तुत करने की बात सोची थी तो वे तीन दिन तक सो भी नही पाए थे । लेकिन इस बार उक्त विधेयक श्री पन्त ने प्रस्तुत किया है लेकिन विधेयक को प्रस्तुत करते समय उनके मुख पर कोई चिन्ता की झलक भी नहीं है । अब तो इसे प्रस्तुत करना बड़ा गर्व का कार्य समझा जा रहा है.।

देश में अखण्डता बनाए रखना कौन नहीं चाहता ? कौन यह कहता है कि प्रज तन्त्र और प्रजातान्त्रिक संस्थाओं का विकास न हो ? कौन यह नहीं चाहता कि प्रजातन्त्र और प्रजातान्त्रिक संस्थाओं का विनाश करने वाले व्यक्तियों को फांसी न दी जाए ? हमारे और सरकार के बीच संघर्ष तब ही होता है जब सरकार स्वंय इस बात का निर्णय करती है कि कौन देशद्रोही है और किससे देश की सुरक्षा को खतरा है । हमारी न्यायिक प्रणाली कुछ नैतिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित है । यदि आप किसी व्यक्ति को हत्या करते हुए भी देख लें तब भी उसे फांसी नहीं दी जा सकती । लेकिन इस मामले ने तो अपराध किया ही नहीं गया है । केवल मात्र उसके किए जाने की सम्भावना है । इस मूल अन्तर को समझना चाहिए । आज न्याय और देश की अखण्डता के नाम पर मनमानी कार्यवाही की जा रही है । आज हमारी स्वतन्त्रता को छीना जा रहा है ।

आज देश को उक्त विधेयक की आवश्यकता नहीं है । यदि देश में बिना निवारक नजर-बन्दी अधिनियम के एक वर्ष तक शान्तिपूर्ण शासन किया जा सकता है तो आज ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता । मंत्रणा बोर्ड प्रभावी नहीं होंगे क्योंकि सरकार ने उन्हें कानूनी प्रक्रिया से, जो हमारे न्यायिक प्रशासन का आधार है, वंचित रखा है ।

हमें इस बारे में अन्य देशों की ओर भी ध्यान देना चाहिए । ब्रिटेन को भी इसी स्थिति से गुजरना पड़ा था लेकिन क्या उसने निवारक निरोध अधिनियम या आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम का सहारा लिया था ?

इस बात का आश्वासन दिया गया है कि उक्त अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा । लेकिन हमेशा सभा आपके हाथ में नहीं रहेगी । अधिनियम का दुरुपयोग उन लोगों के साथ किया जा सकता है जो सरकार के विचारों से सहमत नहीं होंगे ।

सितम्बर, 1963 में बख्शी गुलाम मुहम्मद सबसे बड़े देश-भक्त थे । वे जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्य मंत्री थे । लेकिन सितम्बर, 1964 में इस सबसे बड़े देश-भक्त को

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर आरोप यह था कि वह अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे। अधिनियम द्वारा डिप्टी कमिश्नर और मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकार दिए गये हैं और वे सब श्री पन्त के समान पवित्र नहीं हैं। एक दिन आएगा जब आप सभा में नहीं होंगे और डिप्टी कमिश्नर द्वारा आप को गिरफ्तार किया जाएगा।

SHRI A. P. SHARMA (Buxar) : I have heard the speeches made by the hon. Members of the opposition parties with rapt attention. Shri Atal Bihari Vajpayee had said that even alien Government had not adopted such a legislation. I would like to say that this legtslation has not been introduced for the first time. In fact this legislation is necessary to deal with anti-national elements in the country. Shri Vajpayee had mentioned that there should be individual freedom. I want to know whether he demands individual freedom for the persons and parties who indulge in violent activities ? It has been stated that action can be taken against such people under the existing law. It may be pointed out that life has become insecure and it is very difficult to deal with these anti-national elements under the existing laws. I do not know since when Shri Atal Bihari Vajpayee has started hobnobbing with C. P. (M), C. P. (M. L.) and naxalites ? It would be wrong to suggest that individual liberty would come to an end if District-Magistrates detain innocent people. Shri Vajpayee should reconsider his views. The life has become insecure for the people of West Bengal. The democratic parties should support this measure. This Bill has been introduced not to punish any one but to deal with the people indulging in violent activities.

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत हूं कि स्वाधीनता की रक्षा और आदर किया जाना चाहिए। परन्तु इसके साथ लोकतंत्रात्मक समाज की भी हर प्रकार से रक्षा की जानी चाहिए भले ही इस प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति की स्वाधीनता समाप्त होती हो। स्वाधीनता और प्राधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और समाज के बीच सदा से संघर्ष चलता रहा है। संविधान का अनुच्छेद 22 इस प्रकार के संघर्ष में सहायक हो सकता है। मैं श्री शमीम को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बनाया जाता है। ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार के कानून बनाये जाते रहे हैं। मैं श्री वाजपेयी से पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में वह महसूस करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं है ? कुछ समय पूर्व भारत का एक मानचित्र प्रकाशित किया गया था जिसमें बताया गया था कि नक्सलबादी कहां-कहां पर सक्रिय हैं। इस कानून में संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद में लोगों को नजरबन्द करने से सम्बन्धित किसी कानून को बनाने के लिये तीन शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यह कि अनुज्ञात्मक सीमाएं होनी चाहियें। संविधान में व्यवस्था है कि लोकतंत्रात्मक संस्था की हर प्रकार से रक्षा की जानी चाहिए। उक्त अनुच्छेद में लिखा हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ निश्चित सीमा निर्धारित किये बिना नजरबन्द नहीं किया जायेगा। दूसरे इस प्रकार के कानून के लिये न्यूनतम प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसका पालन किया जाना चाहिये। इस अनुच्छेद में तीसरी शर्त यह है कि नजरबन्द किये जाने वाले व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि उसे किन कारणों से नजरबन्द किया गया है। प्रस्तुत विधेयक में अनुज्ञात्मक सीमायें

उल्लिखित हैं। खण्ड 3, उप-खण्ड (3) में लिखा है कि यदि कोई अधीनस्थ प्राधिकार किसी व्यक्ति को नज़रबन्द करते हैं तो उसकी सूचना 12 दिनों के अन्दर राज्य सरकार को दी जानी चाहिये। ऐसे मामले में राज्य सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है। फिर खण्ड 8, उप-खण्ड (1) में लिखा है कि नज़रबन्द करने वाले प्राधिकार को पांच दिनों के अन्दर नज़रबन्दी के कारण बताने चाहिए। खण्ड 10 के अधीन ऐसे प्रत्येक मामले को नज़रबन्दी की तारीख से 30 दिन के भीतर सलाहकार बोर्ड को भेजना पड़ेगा। सलाहकार बोर्ड के सदस्य जज या उच्च न्यायालय के जजों के स्तर के व्यक्ति होगें। वे पूरे रिकार्ड की जाँच करेंगे। इस विधेयक में इस बात की भी व्यवस्था है कि नज़रबन्द व्यक्ति की सुनवाई होनी चाहिए। मैं सरकार को यह भी सुझाव दूंगा कि जिरह करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। फिर नज़रबन्द व्यक्ति उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तीन परिस्थितियों में वह ऐसा कर सकता है। यदि नज़रबन्द व्यक्ति को नज़रबन्द करने के कारण न बताये गये हों अथवा वे अस्पष्ट या असम्बद्ध हों या यदि उस मामले की सूचना सरकार को न दी गई हो तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच न्यायालय में अपील कर सकता है। देश की वर्तमान स्थिति और नक्सलवादी ख़तरे को ध्यान में रखते हुये और देश की सुरक्षा के लिये उत्पन्न ख़तरे को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मैं निवारक निरोध अधिनियम के अधीन दो बार जेल में रह चुका हूं। यह ठीक है कि 5 दिन के भीतर नज़रबन्द करने वाले अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को उसे नज़रबन्द करने के कारण बता देते हैं और उसे कहते है कि वह सम्बन्धित प्राधिकार को अभ्यावेदन भेज सकता है। परन्तु इस व्यवस्था का क्या लाभ है ? जब हमने सम्बन्धित प्राधिकार को अभ्यावेदन भेजा था तो सलाहकार बोर्ड की दो महीने बाद बैठक हुई थी। यह आवश्यक नहीं कि उक्त बोर्ड में जज ही हो, वे व्यक्ति जज, भूतपूर्व जज या जज बनने के योग्य कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन पर सरकार का प्रभाव पड़ सकता है। जहां तक इस विधेयक के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु ये सब बातें व्यवहार में लानी कठिन होती हैं। जहां तक इस विधेयक के खण्डों का सम्बंध है, भारत सुरक्षा नियमों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है परन्तु भारत के अन्य देशों के साथ सम्बन्धों वाला खण्ड स्पष्ट नहीं है। क्या हम किसी विदेषी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते ? मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूँ। दूसरे समाज की पूर्ति और आवश्यक सेवाओं के बनाये रखने वाले खण्ड 3 के उप-खण्ड (iii) का उल्लेख किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में 4 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। वह अनुचित नहीं थी। परन्तु सरकार उनकी उचित मांगें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इस खण्ड के अधीन सरकार उन्हें गिरफ़तार कर सकती है क्योंकि उन्होंने हड़ताल की है। अतः इस प्रकार का खण्ड नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचना भेजे जाने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की ज़ानी चाहिये। अतः खण्ड 4 में से "यथाशीघ्र" शब्द हटाया जाना चाहिए। इसी प्रकार खण्ड 8 में 5 दिन की सीमा का पालन किया जाना चाहिए। यदि इसको बढ़ा कर 15 दिन किया गया तो इस उपबन्ध का अनुचित लाभ उठाया जा सकता है।

खण्ड दो में कहा गया है कि यदि प्राधिकार के विचार में किसी कारण को बताना जनहित में न हो तो उसका बताया जाना आवश्यक नहीं। परन्तु इसके बिना नज़रबन्द व्यक्ति उचित प्राधिकार को किस प्रकार अभ्यावेदन भेज सकता है ? एक खण्ड में कहा गया कि नज़रबन्द किये जाने के कारण बताये जायेंगे परन्तु दूसरे खण्ड में उसी व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है। दोनों खण्ड परस्पर विरोधी हैं।

खण्ड 9 के सम्बन्ध में मेरा अनुरोध यह है कि केवल कार्यरत न्यायाधीश ही सलाहकार बोर्ड के सदस्य नियुक्त किये जायें। खण्ड 16 में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जिला मजिस्ट्रेट अधीनस्थ और साधारण स्तर के अधिकारी होते हैं। वे इस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अतः इस सम्बन्ध में यदि कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाये तो वह किसी व्यक्ति को नज़रबन्द करने से पूर्व विचार करेगा कि क्या इस प्रकार की गिरफ़्तारी के उचित कारण हैं या नहीं। इन कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

SHRI NATHU RAM MIRDHA (Nagaur) : I have observed that most of the hon'ble Members have criticised this Bill although grounds of criticism were different. The leader of the Communist Party (Marxist) has criticised it in principle. Shri Piloo Mody has said that right of *Habeas corpus* is essential for security, liberty and safety. Shri Vajpayee also emphasised that individual freedom will be jeopardized. But they should realise that situation in Bengal and eastern parts of the country is fast deteriorating. In view of this I feel that this Bill is necessary. In case the provisions of this Bill are misused, there are certain provisions in the Bill itself under which persons concerned can get their grievances redressed. It will be observed that nexalite menace has spread its tentacles throughout the country and this Bill is necessary to meet their challenge. The influx of refugees from Bangla Desh has worsened the situation. This Bill contains certain provisions to deal with the undesirable elements coming alongwith refugees. In view of this this Bill is necessary for maintenance of internal security. Sometimes labour management disputes take ugly turn due to interference by certain political parties. Government should be empowered to deal with such situations. The details of the provisions of the Bill can further be looked into at the time of Clause by Clause consideration, but it should be realised that this Bill is very necessary in the present situation. Moreover it can be scrapped when no longer required. Even Government can be changed. I do not think that this Bill has been introduced for victimising the political opponents. In view of above the House should pass this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुरासोली मारन ने इस विधेयक पर पुनः विचार प्रकट करने के लिए अनुमति मांगी है क्योंकि वह केवल 1 मिनट तक बोल सके थे। अतः यदि सभा को कोई आपत्ति नहीं तो उन्हें पुनः बोलने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : श्री मारन ने अपना भाषण अभी आरम्भ ही किया था अतः मेरा अनुरोध है कि उन्हें अपने विचार प्रकट करने का पुनः अवसर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की अनुमति से मैं श्री मुरासोली मारन को पुनः बोलने का अवसर देता हूँ परन्तु इसे पूर्वोदाहरण न समझ लिय जाए ।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास-दक्षिण) : यह विधेयक 1950 के निवारक निरोध अधिनियम की लगभग प्रतिलिपि मात्र है । केवल विधेयक का नाम बदल दिया गया है और कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन अवश्य किए गए हैं । अतः यह निवारक निरोध अधिनियम, 1950 का नया संस्करण है । जब हम आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना विधेयक का विरोध करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि हम आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के विरुद्ध हैं । हम किसी भी राष्ट्र-विरोधी अथवा तोड़फोड़ की गतिविधि के सख्त खिलाफ हैं । हम चाहते हैं कि सरकार के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि इस प्रकार के राष्ट्रविरोधी तत्वों को पूरी तरह दबा सके । यदि देश पर कोई ऐसी विपत्ति आती है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो तो हम अपनी नागरिक स्वतन्त्रता का स्वेच्छा से त्याग करने के लिए तत्पर हैं । इस प्रकार की आपात स्थिति के साथ निपटने के लिए हमारे संविधान में प्रर्याप्त व्यवस्था है । चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के समय सारा राष्ट्र एक था । हम चाहते के इस विधेयक के उपबन्धों का उपयोग केवल आपात स्थिति में किया जाए । प्रश्न यह है कि क्या इस समय हमें किसी ऐसे संकट का सामना करना पड़ रहा है ?

कल ही मंत्री महोदय ने अध्यादेश और विधेयक के कारणों की व्याख्या की परन्तु हम उससे सन्तुष्ट नहीं हुए हैं । यह सच है कि बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों में कतिपय ऐसे लोग भी हैं जिनके इरादे खराब हैं परन्तु इसके लिये हमें अपनी आसूचना व्यवस्था तथा जांच की व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा । देश के पूर्वी भाग में गड़बड़ी होती है परन्तु इस अधिनियम को जम्मू और काश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया है । क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस अध्यादेश के अंतर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ।

निवारक निरोध अधिनियम 31 दिसम्बर, 1969 की मध्य रात्रि को समाप्त हुआ था । गत डेढ़ वर्षों से वे बिना इसके काम चला रहे हैं । वे यह बताएँ कि इस अंतराल में ऐसी कौन सी बातें हुई हैं जिनके कारण इस अधिनियम अथवा अध्यादेश को लाया गया है । हम मंत्री महोदय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं । इससे जनता सरकार के उद्देश्यों को शंका की दृष्टि से देखेगी ।

हमें श्री पंत और श्रीमती इन्दिरा गांधी पर विश्वास है परन्तु उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा । 1950 में इस विधेयक को लाने का कारण तेलंगाना संबंधी उत्पातों को दमन करने से था । 1951 में राजाजी ने गृहमंत्री बनने पर कहा था कि इसका प्रयोग साम्यवादियों को दबाने के लिए किया जाएगा । क्या उन्होंने इस के अन्तर्गत उन लोगों को गिरफ्तार किया जो केवल हिंसा में अन्तर्ग्रस्त रहे थे । सरदार हुकम सिंह ने 1951 में यहां सदस्य के रूप में बताया था कि किस प्रकार पंजाब में इस विधेयक का

दुरुपयोग किया गया था। 26 अगस्त 1949 को जब तत्कालीन रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह ने अंजुमन में जाकर एक सभा में भाषण किया तो वहां अकाली दल के कार्यकर्त्ताओं ने काले झण्डों के साथ प्रदर्शन किया, जोकि लोकतन्त्र की एक विशेषता है तो उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। हम जानते हैं कि किस प्रकार इस अधिनियम का उपयोग कार्मिक संघ के नेताओं को गिरफ्तार करने तथा कार्मिक संघ के आन्दोलन को दबाने के लिए किया गया था। इसके साथ-साथ आपस्त काल में भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मेरे राज्य के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि को 1965 में गिरफ्तार लिया गया था। यही बात मेरे साथ भी हुई ।

इस अधिनियम का इतिहास बड़ा दुःखान्त रहा है। इसके अन्तर्गत राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार किया जाता है। इस बात को कोई नहीं कह सकता कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इंगलैंड में इस विधेयक का प्रयोग केवल बहुत ही संकटकालीन अवसर पर किया जाता है।

श्री भंडारे अमरीका का दृष्टांत दे रहे थे, अमरीका में 1950 तक निवारक निरोध अधिनियम लागू करने की आवश्यकता नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1950 पारित किया परन्तु इसका प्रयोग वहां केवल युद्ध आदि के समय ही किया जा सकता है। शांतिकाल में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इंगलैंड में सीधे गृह मंत्री से आदेश लेकर इसको लागू किया जाता है। वहां इस कार्य के लिए कानूनी सलाह लेने, वकील रखने, गवाह बुलाने आदि की व्यवस्था है। इस अधिनियम के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इससे सबके मन में शंका उठ सकती है। अतएव मेरा यह कहना है कि इसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन भी चाहता हूँ कि इसका उपयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए नहीं किया जाएगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं अनिच्छा से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इसका कारण यह है कि जब राष्ट्रीय हितों अथवा समाज के व्यापक हितों को खतरा पहुंचता है तो उन्हें दबाने के लिए इसका उपयोग आन्तिक शास्त्र के रूप में किया जा सकता है। मेरे विचार में सभी इससे सहमत होंगे कि यह एक ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध जनता की अपेक्षा सरकार से अधिक है। यह कानून एक आवश्यक बुराई है और बुराई को समाप्त करने के पश्चात इसे भी समाप्त किया जा सकता है। इसलिए सरदार पटेल ने 1950 में कहा था कि इस अधिनियम को 1 वर्ष के पश्चात समाप्त कर दिया जाएगा।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

मेरे विचार में इस प्रकार की कार्यवाही केन्द्रीय स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर उस स्थिति में दूर की जा सकती थी जबकि बहुत-से राज्यों ने यह कानून पारित कर लिये थे और शेष राज्य भी इसका अनुसरण करते ।

दूसरा, हम यह देखते हैं कि इस समय सरकार के पास जो भी शक्तियां हैं उनका उपयोग सरकार, इस प्रकार की परिस्थितियां, जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है, से निबटने के लिए नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार इस अधिकार के होते हुए भी कोई भी कार्यवाही करने में असफल रही है और वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि में सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं। मेरे विचार में सरकार इस दायित्व से बच नहीं सकती कि उसने देश में होने वाली हत्याओं को सामाजिक-आर्थिक कारणों का रूप देकर उसे सम्मानित किया है। तीसरा, यह सरकार अभी भी कतिपय राज्यों में उन तत्वों के साथ मिल कर कार्य कर रही है जो कानून तथा व्यवस्था भंग करने में अग्रणी रहे हैं, इसके अतिरिक्त आकाश-वाणी अथवा टेलिविजन जैसे राजकीय उपकरणों के प्रयोग में सरकार ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। अतएव सम्भव है कि सरकार इस मामले में भी वही रवैया अपनाए। जब वित्त मंत्री ने यह कहा था कि वे अपने दल के सदस्यों केकहने के अनुसार कतिपय करों को वापिस ले रहे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कहां तक जा सकते हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों का प्रयोग पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जा रहा है।

इन सब आशंकाओं के बावजूद हमने इस विधेयक का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं और हमें अपने संसद पर विश्वास है। निःसंदेह हमारी सीमाओं पर खतरा है, वहां जासूसी कर्यों में वृद्धि हो सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिंसा, अव्यवस्थत, अराजकता अवसर पड़ने पर हमारे उन सभी आदर्शों को ढहा देगी, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। इन्हीं कारणों से हमने इस विधेयक का समर्थन किया है। यदि हमें इस विधेयक की आड़ में दुरूपयोग करने का पता चला तो हम इसका विरोध करेंगे।

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन महत्वपूर्ण लोगों ने, जिन्होंने देश का शासन संभाला था, इसको काला कानून की संज्ञा से विभूषित किया था। उस समय लोगों को न्यायालय जाने की अनुमति थी पर आज स्थिति उसके भिन्न है।

मेरा यह कहना है कि इस विधान को ऐसे प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इस पर खंडवार विचार-विमर्श करना चाहिए तथा इस पर जनमत जानना चाहिए। यह सरकार चाहती है कि वह तो कुछ भी करे, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए और न इसे न्यायालय के

समक्ष लाया जाये। वे समझते हैं कि उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण समाप्त कर दिया है। इस विधेयक का प्रारूप इस प्रकार बनाया गया है जिससे उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होता है और केवल न्यायाधीश ही इस बारे में एक तरफा निर्णय कर सकते हैं। मेरा यह कहना है कि कानून के आगे सभी व्यक्ति बराबर हैं और संविधान में सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है।

आज हमारे सामने जो यह विधेयक लाया गया है वह कानून की अवहेलना करता है। यह उस न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है जिसके अनुसार व्यक्ति को बताया जाता है कि उसे बंदी क्यों बनाया गया है तथा उसे कानूनी सहायता कहां से मिल सकती है। संविधान के 22वां अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि वह कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। आपको न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह निवारक नजरबंद के अन्तर्गत की गई कार्यवाही है।

यदि हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो यह पायेंगे कि अत्याचारपूर्ण कानून के अन्तर्गत भी व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए सरकार की ओर से सहायता मिलती थी, पर आज स्थिति क्या है? हमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश सलाहकार मंडल में बैठेंगे जो बन्द कमरे में न्यायालय की कार्यवाही चलायेंगे। न्याय देने का सार यह है कि दिये गये न्याय संदेहरहित हों, यदि उसमें कोई संदेह रहता है तो वह न्याय नहीं कहला सकता है।

यह संपूर्ण प्रक्रिया संतुष्टि पर आधारित है पर प्रश्न यह है कि किसकी संतुष्टि पर? यह संतुष्टित व्यक्तिगत होती है। सभ्य समाज में संतुष्टि का सार यह है कि इसकी परीक्षा की जानी चाहिए, यदि आप उसकी परीक्षा नहीं कर सकते हैं तो वह कानून नहीं है। मेरा यहां यह कहना है कि कार्यपालिका के पास संदेह करने का आधार होना चाहिए। केवल यह कहने से ही कार्य नहीं चलता है कि मुझे संदेह है। इसके लिए आधार भी होना चाहिए।

इस विधेयक में कहा गया है कि जब कार्यपालिका को यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को गलती से नजरबंद किया गया है तो उसको छोड़ दिया जाता है। यदि वह व्यक्ति इस मामले को लेकर न्यायालय जाये कि उसे गलती से नजरबंद किया गया था तो सरकार न्यायालय को उसे नजरबंद करने का कारण नहीं बताती है। यह किस प्रकार का कानून है? और ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस व्यक्ति को इसके लिए क्षतिपूर्ति दी जाये।

इस प्रकार हम अपने विधायी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में दो नए विचार ला रहे हैं, पहला कि कार्यपालिका अपने हाथ में विधायी, प्रशासनिक, दण्डात्मक और सभी अन्य शक्तियों को ले रही है। गृह मंत्री, अतिरिक्त जिलाधीश, उसके चपरासी आदि सब कार्यपालिका के डाक के रूप में कार्य करते हैं, यही कारण है कि हम न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने पर जोर देते आ रहे हैं।

आप बिना अंकुश लगाये कार्यपालिका को सभी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं जिसके कृत्य अर्द्ध-न्यायिक होते हैं। यह एक उद्देश्यहीन, असंयकित, अनियंत्रित और स्वेछाचारी अधिकार है। यह अधिकार उस दल को दिया जा रहा है जिसकी अपनी कोई नीति नहीं है और हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। यह फासिस्ट शासन की शुरुआत है। आप संविधान के आधारभूत सिद्धांत को समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से संविधान को उल्टी रीति से लिखा जा रहा है। मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इस विधेयक के केवल एक खण्ड 18 (1) का समर्थन करता हूँ।

मेरे विचार में हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आप सब यहाँ सबसे बड़े लोकतंत्र की बातें करते हैं परन्तु आप ही इसकी प्रतिष्ठा को गिरा देते हैं। आप नवयुवकों के मन में कानून के प्रति भ्रांति उत्पन्न कर रहे है। क्या ऐसा भी कोई दृष्टांत आया है जहां न्यायालय में सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है।

यह एक ऐसा विधेयक है जिसे प्रस्तुत नहीं किया जाना जाहिए था, विशेषकर ऐसे दल द्वारा जिसके पास पहले ही पर्याप्त अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए जनता से आदेश नहीं लिये हैं। क्या यह उनके निर्वाचन घोषणा-पत्र में था? यह संशोधन का संशोधन नही हैं। बलिक संविधान को मिटाने की कार्यवाही है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित–आंग्ल भारतीय) : मैं सैद्धान्तिक रूप से इस विधेयक का समर्थन बड़ी ही अनिच्छा से करता हूं। मैं अपने मित्र श्री श्यामनन्दन मिश्र से सहमत हूँ कि यह एक बुराई है। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह एक बुराई है, परन्तु दुर्भाग्यवश आज की वास्ताविकताओं के संदर्भ में यह एक अपेक्षित बुराई है।

कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले तौर पर सभी लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। कतिपय वर्ग खुले तौर पर जासूसी कार्य में संलग्न हैं यह एक ऐसी अपेक्षित बुराई है जो इस समस्या को सुलझाने में प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने कई मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया तथा उन लोगों को मुक्ति दिलाई जो बुरे मन्तक से नज़रबन्द कर दिये गये थे, इस प्रकार के विधेयक का समर्थन करना कठिन है। यही कारण है कि मैं इस विधेयक की कई बातों को कठोर मानता हूं और मैं अपने माननीय मित्र श्री के० सी० पन्त से कहूँगा कि वे उसे विधेयक में से हटा दें। यह यह न केवल हमारी लोकतंत्रीय परम्पराओं के विरुद्ध जाती हैं अपितु इस प्रकार का उपबन्ध हमारी संविधान पुस्तक में रखना भी नितांत असंगत है। इस प्रकार के उपबन्ध न केवल कानून को अस्वीकार करते हैं परन्तु यह पुलिस राज्य के संकेतक भी हैं। जब भी हम इस प्रकार के उपबन्धों को रखते हैं तो हम अपने आप को सर्वसत्तावादी राज्यों की श्रेणी में रखते हैं।

हेमारे संविधान में सबसे बड़ा धब्बा अनुच्छेद 22 के खण्ड 5 और 6 हैं। यह एक दुख की बात है कि हमने अपने मूलभूत अधिकारों के अध्याय में निवारक नजरबन्दी को पवित्रता का जामा पहनाया है। मेरा यह कहना है कि यदि आपको कानून तथा लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं पर कोई विश्वास है तो सबसे पहला कार्य यह करना है कि संविधान के अनुच्छेद 22 से खण्ड 5 और 6 को निकाल दिया जाये। खण्ड 5 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को नज़रबन्द करना है तो उसके लिए आधार दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद के खण्ड 6 में कहा गया है कि यदि आप को किसी को नज़रबन्द करना है और अपने विवेक से यह सोचना है कि नज़रबन्द करने के आधारों को न बताया जाये तो कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। यह विधेयक का सबसे कड़ा प्रावधान है और यह खण्ड 8 (2) में है। मैंने इसको हटाने के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है। भारतीय नागरिक की स्वाधीनता का मूल्य इतना भी नहीं है कि उसे लिखित आदेश का रूप दिया जाये। मैं जानता हूं कि जिला मजिस्ट्रेट किस प्रकार कार्य करते हैं। वह केवल इसी फार्म पर हस्ताक्षर करता है कि मेरे विचार में अमुक व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा के लिए नजरबन्द किया जाये। वह आगे यह भी कह सकता है कि लोकहित को देखते हुए कोई भी तथ्य न दिये जायें और इस प्रकार मामला समाप्त हो जाता है और न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रहता है।

हाल ही में यह समाचार प्राप्त हुआ है कि दिल्ली में मजिस्ट्रेटों का भ्रष्टाचारों के कारण तबादला किया जा रहा है। मैं जानता हूँ निचले स्तर पर न्यायालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं जानता हूँ कि यदि आप साधारण जिला मजिस्ट्रेट को यह क्राँतिकारी अधिकार देंगे तो उसके भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा मिलेगा।

हम इस प्रकार मजिस्ट्रेटों को किसी भी व्यक्ति को नज़रबन्द करने के लिए असीमित अधीकार दे रहे हैं। मेरा यह कहना है कि सभी तथ्य क्यों नहीं दिये जा सकते हैं। यदि आप तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं तो लोकहित को क्या हानि पहुंचती है। ऐसा कहने में क्या हानि है कि अमुक व्यक्ति को पाकिस्तान ने जासूसी करने के लिए धन दिया। लोकहित एक ऐसा आवरण बन जायेगा जिसमें घूस लेने वाले व्यक्ति किसी को भी जेल भेज सकते हैं।

आज हमारी राजनीति में क्या हो रहा है? आज के आया राम और गया राम के युग में सभी छोटे-मोटे व्यक्ति मंत्री बन रहे हैं। ये व्यक्ति अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल भेजेंगे, इनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है।

इसलिए मेरी यह अपील है कि इस विधेयक को चाहे यहाँ पारित किया जाये, परन्तु कम से कम खण्ड 8 (2) को हटा दिया जाये ताकि इसके आधार के साथ तथ्य भी दिये जा सकें। इससे न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। मैं इस परामर्शदाता मंडल से आश्वस्त नहीं हूँ। इसमें ऐसे वकील हैं जिनके पास मुकदमें बहुत ही कम संख्या में आए हैं। राजनीतिक प्रभाव के कारण ऐसे वकीलों को उच्च न्यायालय में न्यायपीठ का सदस्य बना दिया जाता है। यह मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है।

अब आप इन दो उपबन्धों को देखें, खण्ड 11 (1) के अंतर्गत परामर्शदाता मंडल अपनी रिपोर्ट देता है परन्तु वह नजरबन्द व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जाती है और खण्ड 11 (2) में वे अपनी राय देते हैं। केवल यही राय उनको उपलब्ध कराई जाती है और वे एक ही पंक्ति में लिखते हैं कि वे आदेश की पुष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में उस नजरबन्द व्यक्ति को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलती है। इसीलिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किए थे। आप चाहे किसी व्यक्ति को नजरबन्द करिये परन्तु खण्ड 8 (2) और खण्ड 11 (2) को न रहने दीजिए।

अन्त में, मेरा यह कहना है कि विदेशियों के प्रति मेरे में कोई मोह नहीं है। आपने खण्ड 17 (1) और 17 (2) द्वारा यह व्यवस्था की है कि किसी भी विदेशी को दो वर्षों तक नजरबन्द रखा जा सकता है। यह बहुत कठोर है और ऐसा करने से पूर्व इस मामले को परामर्शदाता मंडल के पास ले जाया जाना चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक विधान पुस्तक में स्थान ले रहा है। सरकार को उन तत्वों के विरुद्ध कार्यवाई करने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है जो देश के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं।

इस विधेयक का विरोध जनसंघ और मार्क्सवादी साम्यवादी दल कर रहे हैं जो स्वाभाविक है।

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए।**
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

इस बारे में एक बात यह उठायी गयी है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए भेजा जाना चाहिए था। दूसरे, श्री मेनन ने भी विरोध में कई बातें उठायी हैं। जहाँ तक पहली बात का संबंध है मैं याद दिला दूं कि हम 1950 से इस पर बार-बार जांच करते रहे हैं और अब यही कतिपय संशोधनों के उपरान्त लाया गया है। विधेयक पर जनमत जानने के लिए इसे जनता में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। श्री मेनन ने कारण संबंधी जो बातें कही हैं कोई नयी नहीं हैं। हमें एक प्रमुख बात नहीं भूलनी चाहिए कि शासक दल ने इस तथ्य को गुप्त नहीं रखा है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में निवारक नजरबन्दी कानून अपेक्षित है। स्वर्गीय सरदार पटेल भाई पटेल ने 1950 में इस विधेयक को प्रस्तुत किया था तथा सभा ने इसको पहली बार स्वीकार किया और उसके बाद कई बार इसको पुनः लाते रहे हैं। 1969 में भी हमने कहा था कि इस विधेयक को पुनः लाने की आवश्यकता है। श्री मेनन ने पूछा है कि क्या यह बात चुनाव घोषणा-पत्र में कही गई थी। हमने अप्रत्यक्ष रूप से यह बात चुनाव घोषणा-पत्र में कही थी। यह एक समवर्ती विषय

है और कई राज्यों ने इस विधेयक को पारित किया है। हमने जनता से न केवल समाजवादी कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए अपितु प्रतिक्रियावादी व वामपंथी शक्तियों से निबटने के लिए परमादेश मांगा था और जनता ने हमें यह दिया।

इसमें संविधान के विरुद्ध जाने का कोई प्रश्न नहीं है। यह एक बड़ा अद्भुत तर्क है। यदि संविधान में किसी कानून को उच्च स्थान दिया गया है तो वह निवारक नजरबन्दी कानून है। संविधान के निर्माताओं ने यह अनुमान किया था कि निवारक नज़रबन्दी को मूलभूत अधिकारों के अध्याय में जोड़ देना चाहिए। हम इस संसद से यही कह रहे हैं कि वे देश में व्याप्त स्थिति का अवलोकन करे और निवारक नजरबन्दी के लिए सरकार के हाथ सुदृढ़ करे।

इन वर्षों में क्या हुआ है ? कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया है ? आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं। श्री ज्योतिर्मय वसु बंगाल में थे, वहां निवारक निरोध अधिनियम लागू था। क्या श्री ज्योतिर्मय वसु को यह पता नहीं है कि निवारक निरोध के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया था। संयुक्त मोर्चा सरकार ने 777 व्यक्तियों को जेल में भेजा था। (व्यवधान) श्री ज्योतिर्मय वसु ने कहा है कि इस अधिनियम को काले बाजार वालों पर लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि इस अधिनियम से मुनाफाखोरों और साम्प्रदायिक तत्वों पर रोक लगती है और खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो वह इसका समर्थन करते हैं अन्यथा नहीं। उनकी इस प्रकार की धारणा का अर्थ समझ में नहीं आता कि यदि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत केवल उपरोक्त बातें हों तो वह अधिनियम का समथन करते हैं अन्यथा नहीं।

श्री मैनन ने इस अधिनियम को शिव-सेना पर लागू ने करने के कारण सरकार को दोषी ठहराया है। उनके अनुसार यदि शिव सेना पर रोक लगाने में इस अधिनियम का उपयोग होता तो यह ठीक था। इस प्रकार निवारक निरोध अधिनियम से एक प्रकार से वह भी सहमत हैं। श्री पीलू मोदी ने कहा है कि यदि इसे पश्चिम बंगाल में ही लागू किया जाय तो ठीक है। इस प्रकार उन्होंने भी एक तरह से अधिनियम से पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यह माना है कि यदि यह अधिनियम देश के हित में है तो ठीक है।

अब पश्न यह है कि निवारक निरोध अधिनियम को किन परिस्थितियों में लागू किया जाय। हमें पता है कि सरकार गत 20 वर्षों से इस अधिनियम का किस प्रकार से उपयोग करती रही है। प्रश्न यह उठता है कि क्या आज देश की परिस्थितियां 1950 की परिस्थितियों से भिन्न हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति पश्चिम बंगाल, केरल तथा देश के अन्य भागों की स्थिति से अवगत है। नक्सलवादी तथा दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी मिल रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिनमें जीना मुश्किल हो जाय। ऐसी स्थिति में राज्य के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में मैं श्री वाजपेयी जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब केरल में नक्सलवादियों की गतिविधियां आरम्भ हुईं तब जनसंघ, स्वतंत्र तथा मुस्लिम लीग जैसे दलों ने केरल में

निवारक निरोध अधिनियम की मांग की थी। यह देखना सरकार का कार्य है कि क्या देश में निवारक निरोध अधिनियम लागू करने की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। जनता ने यह दायित्व हमें दिया है। जनता की सुरक्षा का दायित्व हम पर है। हमें हत्यारों से जनता की रक्षा करनी है। अपनी सीमाओं पर विदेशी आक्रान्ताओं से हमें जनता की रक्षा करनी है। इसीलिये पूरी शक्तियों की आवश्यकता है।

श्री फ्रैंक एंथनी के अनुसार सलाहकार बोर्ड, मंत्री, राजनीतिज्ञ सभी भ्रष्ट हैं। मेरे विचार से केवल श्री एंथनी जी ही दूध के धुले हैं, शेष सभी भ्रष्ट हैं। आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि देश के न्यायालयों की तुलना में सलाहाकार बोर्ड ने अधिक व्यक्तियों को छोड़ने की सिफारिश की थी। 1969 में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत 2600 व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार के अदेशानुसार केवल 269 व्यक्तियों को जेल में रोका गया। इस मामले में अधिकांशतः कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए।

जब दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी और वामपंथी उग्रवादी चुनाव के दौरान आपस में मिल गये और आज भी सदन में उनकी यही स्थिति है तो जनता के परमादेश को क्रियान्वित करने के लिये, षडयंत्रों को कुचलने के लिये और इस गठबन्धन से बचने के लिये यह विधेयक नितांत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह विधेयक उस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये लाया गया है जो इस सदन का सत्र आरम्भ होने से केवल 17 दिन पहले जारी किया गया था। जब तक अध्यादेश जारी करने के लिये तुरन्त और वास्तविक कारण विद्यमान न हों तब तक कार्यपालिका द्वारा इस शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

वर्तमान विधेयक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैयक्तिक स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले किसी भी सभ्य समाज पर एक कलंक है। सत्तारूढ़ दल शक्ति प्राप्त करने के लालच में स्पष्ट रूप से तानाशाह बनता जा रहा है। वह इस काले कानून को, जो इस देश में एक व्यक्ति की सुरक्षा का अभास भी नहीं देता है, अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। शरणार्थियों के आगमन के नाम पर, राज्य की सुरक्षा के नाम पर, जिनकी परिभाषा अभी की जानी है, यह शक्ति, साधारण छोटे नौकरशाही लोगों को, जो सत्तारूढ़ दल के आदेश पर कार्य करने को विवश हैं, दी गयी है।

श्री मुंशी ने बर्दवान की कुछ घटनाओं के बारे में कहा है। मैं बर्दवान क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ और सदन को यह बात बताना चाहता हूं कि गत 10 महीनों में साम्यवादी मार्क्सवादी दल के 12 मुख्य सदस्यों की हत्या हुई है। उनकी हत्या किसने की ? बर्दवान में कोई नक्सलवादी खतरा नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने मंत्री महोदय को एक ज्ञापन भी दिया था परन्तु हमें अभी तक उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हमने उनसे अनुरोध किया था कि इन मामलों की जाँच करायी जाय और यह पता लगाया जाय कि ये हत्याएं किसने कीं परन्तु हमें अभी तक कोई उत्तर प्राप्त

नहीं हुआ है। छुरा घोंपने की अनेक घटनायें हुई हैं, परन्तु अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया, यद्यपि छुरा घोंपने वालों के नाम भी बताये गये थे।

क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार हुआ है ? नहीं, क्योंकि इसका वास्तविक कारण कुछ और है। 23 वर्ष के कुशासन के पश्चात युवकों का पूर्णतय अधःपतन हो गया। उज्जवल भविष्य की आशा न होने से युवक निराशावादी हो गया। राज्य के साथ भेद-भाव की नीति अपनायी गई। केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को उन सभी विशेषाधिकारों तथा लाभों से वंचित रखा है जो दूसरे राज्यों को दिये जाते हैं। समाज की वास्तविक समस्याओं, आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के स्थान पर केवल सरकार को, जिलाधीशों तथा अतिरिक्त जिलाधीशों को शक्ति-शाली बनाते रहने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

इस मामले में न्यायालयों के अधिकार बहुत सीमित हैं। न्यायालय इस बात के लिये सक्षम नहीं हैं कि वे उन कारणों की भी जाँच कर सकें जो व्यक्ति को उसकी नजरबन्दी के समय बताये गये थे। न्यायालय यह निर्णय भी नहीं कर सकता कि वे कारण ठीक हैं अथवा नहीं। न्यायालय ऐसा मूल्यांकन भी नहीं कर सकता कि जिन आधारों पर अधिकारियों के मस्तिष्क में ऐसे कारण आये हैं उनसे अधिकारी किस सीमा तक सन्तुष्ट हैं। अतः इस सम्बन्ध में न्यायालयों को बहुत ही सीमित अधिकार दिये गये है।

पुलिस अधिकारी, जिलाधीश तथा अतिरिक्त जिलाधीश किसी व्यक्ति के विरुद्ध दोष लगाकर निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत उसे नजरबन्द कर सकते हैं। इन अधिकारियों द्वारा लगाये गये आरोपों को गलत सिद्ध करना दुष्कर कार्य है।

अतः हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। हमें विश्वास है कि इस कानून का उपयोग राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध किया जायगा।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तरपूर्व) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। शान्ति की तरह सुरक्षा अभिवाज्य है। विरोधी पक्ष के सदस्य यह तो स्वीकार करते हैं कि देश की सीमाओं को खतरा है परन्तु वे यह स्वीकार नहीं करते कि ऐसा ही खतरा देश के भीतर भी है। देश की बाहरी तथा भीतरी स्थिति के सम्बन्ध को विरोधी दलों के सदस्य नहीं पहचानते। इन्हें आधुनिक युद्ध के बारे में जानकारी नहीं है। आधुनिक युद्ध में बाहरी तथा आन्तरिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं रहता। सीमाओं पर सुरक्षा सम्बन्धी उपाय करने के साथ-साथ देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए उपाय करना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है।

गरीबी समाप्त करने के लिए जनता ने सरकार को अपना समर्थन प्रदान किया है। आन्तरिक सुरक्षा का अर्थ देश में सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को युद्ध-स्तर पर समाप्त

करना है। आन्तरिक सुरक्षा का अर्थ इस व्यापक प्रसंग में समझना चाहिये। आज, जब देश गरीबी हटाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है तो हमें यह देखना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत अधिकार कितने लोगों को प्राप्त हैं। करोड़ों व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के निरोध तथा सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है। और उनके दुरुपयोग से बचने के लिए एक नियमित परम्परा की आवश्यकता है।

ऐसे समय जबकि हमारी सीमाओं पर खतरा है इस विधेयक का विरोध करना राष्ट्रहित में नहीं है। जो लोग देशभक्त हैं, जो बंगला देश की तथा अपने देश की सीमाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं उन्हें कानून तथा व्यवस्था बनाये रखनी चाहिये तथा आवश्यक सेवाओं के विघटन के लिये प्रयास नहीं करने चाहिए। हिंसात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सुरक्षा की बात करते हैं वे हिंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। हिंसा क्या है ? हिंसा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों पर एक प्रकार का आक्रमण है। यहां लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को शक्ति प्रदान की जा रही है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI RAMDEO SINGH (Maharajganj) : Mr. Chairman, while speaking on the Budget, I had congratulated Shri Chavan for exposing the real character of his Government, which is not a socialist one, by presenting such a Budget. Today, I congratulate Mr. Pant too, as he has made it clear by presenting this Internal Security Bill that they neither believe in socialism nor in democracy.

This Bill is a slur on the country as well as the Constitution. It would prove a black law and civil liberties would be crushed under it. The Ruling Party did not have patience to introduce the Bill in the House which was to sit a few days after the ordinance was got promulgated by the President. Now the Bill has been introduced to replace the ordinance.

What is the purpose behind this Bill ? The hon. Minister has referred to the situation in West Bengal. I would like to know, whether the Government would be able to stop bloodshed and murder there after this Bill becomes an act ? Government would have put an end to such an atmosphere had they mind to do so. The Ruling Party, on the eve of elections, promised a change in country's setup—a change for the establishment of a Socialistic Society and for making the country prosperous by banishing poverty. It would lead to revolution when people see that nothing has been done to fulfil the promises made or the assurances given to check such a revolution, to save their skin and to put opposition leaders under detention without trial, seems to be the objective of this Bill.

MR. CHAIRMAN : You should conclude now.

SHRI RAM DEO SINGH : Let me complete. Several members have been given even half an hour.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Mr. Chairman, I request you to let the member complete his speech. On the one hand there is a threat of detention and on the other hand there is no time even to speak. Spokesmen of many parties have to express their views as yet. Therefore the time should be extended for consideration of the Bill.

MR. CHAIRMAN : Four or five members from opposition have to express their views and thereafter Congress Members are to be given time (*Interruption*). I have no objection to the extension of time. House can decide about it.

SHRI K. C. PANT : House may sit up to 8 p.m. today and dispose it of.

MR. CHAIRMAN : The Bill has to go to Rajya Sabha. It is, therefore, necessary that it is passed to-day.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : It cannot be passed to-day.

SHRI K. C. PANT : If the House agrees to pass it up to 3 or 4 p.m. tomorrow, Government can agree to the extension up to that time. It has to be sent to Rajya Sabha.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : It can be passed tomorrow if we decide to forgo our lunch hours tomorrow and utilize the time for this purpose.

SHRI A. P. SHARMA (Buxar) : The House can finish it to-day.

MR. CHAIRMAN : We have to consult hon. Speaker about the lunch-hour.

SHRI RAM DEO SINGH (Maharajganj) : Those who voted the Ruling Party for the eradication of poverty and unemployment are completely disillusioned now. They now realize that they have been cheated. All those 'Taxi wallahs', 'Scooter wallahs' and hawkers who used to recite 'Long Live Indira' in Delhi are to-day swarming the city roads with black badges after the introduction of the budget. These trends have prompted the Ruling party to come forward with this Bill. There was a similar Act in force in the country earlier also. But we have to see who were arrested under that Act. These were workers of political parties only and not those who indulged in antinational activities or those who took bribe, etc. Similarly this Bill would also be misused. It would be used against those people who would organise rallies against the Government to seek explanation for its failures about the promises made so that people may not be to able to ask anything about the slogans of Socialism, eradication of poverty and unemployment.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Recent elections have given the Ruling party a majority which is unparalleled in the democratic world. But people did not expect such black acts from the Government, which will put them behind the bars. Public is not going to tolerate such a government.

Whenever any black measure is brought forward, West Bengal is invariably referred. But Government never went into the causes of such a situation. The problem is not going to be solved by this Bill. The Government should therefore withdraw it and fulfil its promises. Then there would not be any need for such laws.

अध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति ने इस विधेयक के लिए कुछ समय नियत किया था। उससे अधिक समय दिया जा चुका है। विपक्ष के अधिकतर वक्ताओं ने अपनी बात कह ली है। कांग्रेस पक्ष के लोगों का विचार है कि यदि इसे आज पास करना है तो वह कोई समय नहीं चाहते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसे आज कैसे पास किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको आप फैसले पर दृढ़ रहना चाहिये। आपने दो घंटे का अतिरिक्त समय मांगा वह आपको दे दिया गया है।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We did not agree to sit after 6 p. m. We have public engagements.

MR. SPEAKER : Before fixing these public engagements you should have thought that we are discussing such a Bill.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आज इसे पास नहीं किया जा सकता। अभी तो धारावार विचार तथा तीसरा वाचन रहता है।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को आज ही पारित किया जाना है।

श्री कल्याणसुन्द्रम् (तिरुचिरापल्ली) : मंत्री महोदय, श्री वाजपेयी को आज समय दिया जाये तथा धारा-वार विचार करके कल हम 3.30 बजे दोपहर बाद तक पास करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरी कठिनाई यह है कि मुझे नहीं पता था कि इस विधेयक को आज ही पारित किया जायेगा। उसी के आधार पर मैंने कहीं समय दे रखा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसी प्रकार हमारे दल के कई सदस्यों की भी कठिनाइयां हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा की अनुमति हो तो मैं कल दोपहर 2.30 बजे तक समय बढ़ाने को सहमत हूँ। यदि सदन इससे सहमत नहीं तो हम इसे आज ही लेंगे।

संसदीय-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : यदि कल 3 बजे दोपहर तक इसे पास करने का आश्वासन दिया जाये तो सरकार समय बढ़ाने को सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय : कल मध्याह्न भोजन का समय नहीं दिया जायेगा । मुझे आशा है कि अब कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री के० बालकृष्णन (अम्बलपुजा) : मैं आन्तरिक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरे लिए इस विधेयक में कोई नयी बात नहीं है । इस कानून के अन्तर्गत मैं एक से अधिक बार जेल जा चुका हूँ । एक बार तो मेरे पिता ने ही इस कानून का मेरे विरुद्ध प्रयोग किया था ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके क्षेत्र में भ्रष्ट दण्डाधिकारी तथा अन्य अधिकारी लोगों को परेशान करते हैं, डराते धमकाते हैं और जो कुछ वह चाहते हैं लोगों से वसूल कर लेते हैं । मेरा निवेदन है कि यदि विधेयक के पास होने से पहले ही यह स्थिति है तो विधेयक के पास होने के पश्चात् क्या होगा । यह एक ऐसा मामला है जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है । मेरा अपना अनुभव भी यह है कि ऐसा कानून यदि पास हो जाता है तो बेईमान लोगों के हाथों में एक हथियार आ जाता है जिससे जनता का जीवन खतरे में पड़ सकता है । ऐसी बातों के निवारण के लिए क्या उपाय किये गये हैं, इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ।

हम सीमावर्ती क्षेत्रों और जासूसी की बातें करते हैं । इससे ऐसा लगता है कि विश्व के किसी देश में जासूसी कानूनी तौर पर वैध है । जो व्यक्ति जासूसी का कार्य करता है वह अपने कार्य से भली-भाँति परिचित होता है । उसको पता होता है कि जासूसी किस प्रकार करनी है । आप चाहें जितने भी कानून बना लें वह अपना काम करता ही रहेगा । अतः जब आप कानून बनाते हैं और अधिकारियों को अत्यधिक शक्तियां देते हैं तो बेचारे गरीब लोग ही इसका निशाना बनते हैं । मैं जानता हूँ कि सरकार इसकी रोकथाम नहीं कर सकती । अतः मैं पूरे जोर से इस विधेयक का विरोध करता हूँ ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हूँ क्योंकि यह हमारी लोकतंत्रात्मक राजनीति के विरुद्ध है । पहले ही सरकार के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं । मैं एक शक्तिशाली सरकार को और अधिक शक्तिसंपन्न सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हूँ ।

इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री ने पूर्वी भारत की स्थिति तथा पश्चिम बंगाल में गत 2½ वर्षों से चल रही स्थिति का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हुं कि क्या सरकार ने वे सभी कदम उठाये हैं जोकि उसको उठाने चाहिएं थे। क्या उन्होंने पाकिस्तान के संकट को अपने राष्ट्रीय संकट में नहीं बदल लिया ? क्या सरकार हमसे यह आशा करती है कि हम सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए इसका समर्थन करें जिससे कि सरकार देश के लिए और तबाही ला सके।

1962 में जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था और 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो दो विधेयक पास किये गये थे। उनके लिए मंत्री महोदय को कोई भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। दोनों विधेयक कुछ ही मिनटों में पास हो गये थे।

यह सभा बंगला देश को स्वतंत्रता दिलाने और उनके स्वतंत्रता संग्राम में पूरा समर्थन देने के लिए वचनबद्ध है। यदि सरकार इन बातों के लिए कोई ठोस कार्यवाही करती है और उस कार्यवाही के फलस्वरूप यदि पूर्वी क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति अथवा संकट उत्पन्न होता है तो मुझे विश्वास है कि सरकार को इस प्रकार का विधेयक पास कराने में कुछ मिनट भी नहीं लगेंगे। परन्तु सरकार हमसे यह चाहती है कि बंगला देश के प्रति हम उसकी असफलताओं का समर्थन करें।

पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां पर एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। वहाँ पर प्रतिदिन लगभग आधे दर्जन लोग मारे जा रहे हैं। इस हिंसा के वातावरण के लिए सभी दल जिम्मेदार हैं।

पश्चिम बंगाल में समाज-विरोधी तत्व तथा अपराधी प्रत्येक दल में घुस गये हैं। इसका एक कारण यह है कि प्रत्येक दल दूसरे दल से अपनी रक्षा करने के लिए इन तत्वों को अपने हाथ में ले रहा है। पिछले 2½ वर्षों में कम-से-कम 3000 लोग मारे गये हैं। इसके बावजूद आधे दर्जन हत्यारों को भी दण्ड नहीं दिया गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस प्रशासन का पुनर्गठन किया जाये। किसी भी अपराधी के विरुद्ध सरकार गवाह पेश करने में असफल रही है। पश्चिम बंगाल की समस्या को हमें एक पृथक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हिंसा के इस वातावरण को समाप्त करने के लिए सभी दलों को आपस में मिल बैठकर कोई निर्णय करना चाहिए। इस वातावरण के विरुद्ध जनमत को भी उभारा जाना चाहिए।

सरकार के पास पहले ही निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियाँ हैं। हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है परन्तु हिंसात्मक गतिविधियों को रोका नहीं जा सकता है। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक के पास होने पर भी पश्चिम बंगाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें इस समस्या को हल करने के लिए एक पृथक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। परन्तु हम सरकार के इस विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे। यदि सरकार कोई ठोस कार्यवाही करती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा पाकिस्तान के तथा तोड़-फोड़ करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए कोई कानून पास करने में कुछ मिनट भी नहीं लगेंगे।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर किये गये भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में अन्तिम फैसले के लिए हमें समूची तस्वीर को सामने रखना होगा। इस विषय पर वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं।

मुझे सब से अधिक आश्चर्य श्री कृष्ण मेनन के भाषण से हुआ है। उन्होंने कहा है कि यह देश में फासिस्ट शासन का आरम्भ है और इससे देश के सम्मान को धक्का लगा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब निवारक निरोध अधिनियम पास किया गया था तो वह स्वयं मंत्रीपद पर आसीन थे। डा० सेन ने अपने भाषण में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी शक्ति के साथ अपने देश के हितों के विरुद्ध गतिविधियों में लगा हुआ है तो उसको नजरबन्द करने की शक्ति मजिस्ट्रेटों को नहीं दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं विधेयक के खण्ड 3 (2) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को नजरबन्द करने की शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार को अथवा राज्य सरकार को प्राप्त होगी। शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। यह भी उपबन्ध है कि कोई कार्यवाही करने से पूर्व राज्य सरकार को सारे तथ्य केन्द्रीय सरकार को बताने होंगे और उसका अनुमोदन प्राप्त करना होगा। केन्द्रीय सरकार भी इस बारे में पूरी सतर्कता बरतेगी कि इस उपबन्ध का दुरुपयोग न हो।

इस बात को सभी जानते हैं कि चोर बाजारी करने वालों तथा जमाखोरों की अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए अनेक राज्य सरकारों ने इस उपबन्ध का आश्रय लिया था। केरल सरकार ने भी इस उपबन्ध को जारी रखने का अनुरोध किया है।

अनेक सदस्यों ने और विशेषकर श्री दास मुन्शी ने इस बात पर जोर दिया है कि इन शक्तियों का पूरी सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले पास किये गये निवारक निरोध अधिनियम के बारे में आँकड़े पुस्तकालय में रखे गये हैं। यदि इन आंकड़ों को देखा जाये तो पता लगेगा कि किसी भी व्यक्ति को उसके राजनैतिक गठबन्धन के कारण नजरबन्द नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। राज्य सरकारों द्वारा जिन व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया उनको केवल हिंसात्मक, आपराधिक तथा गुन्डा-गर्दी की गतिविधियों के कारण ही नजरबन्द किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उन लोगों को भारत की रक्षा तथा सुरक्षा की दृष्टि से नजरबन्द किया गया है।

1 अक्तूबर 1968 से 30 सितम्बर 1969 तक नजरबन्द किये गये 3600 व्यक्तियों में से 142 व्यक्तियों को परामर्शदात्री बोर्ड के कहने पर छोड़ दिया गया था और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के कहने पर क्रमशः 221 और 153 व्यक्तियों को रिहा किया गया था। जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इस मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते उनको इन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक गतिविधियों की रोकथाम सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये 2933 व्यक्तियों में से राज्य सरकार ने 109 व्यक्तियों को रिहा किर दया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने यह शिकायत की है कि कैन्सर रिसर्च सैन्टर, चन्द्रनगोर के तीन कर्मचारियों को बिना किसी औचित्य के नजरबन्द किया गया था। माननीय सदस्य ने इस बारे में उस समय भी मेरे साथ सम्पर्क स्थापित किया था। इनके नजरबन्दी सम्बन्धी आदेशों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी। श्री ज्योतिबसु से मिले तार के आधार पर निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत ही इन तीनों व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सम्बन्ध में हम मुख्यमंत्री से मिले थे और उनको बताया था कि अस्पताल बन्द हो गया है और यदि इन व्यक्तियों को नहीं छोड़ा गया तो हम हड़ताल करेंगे और इसके परिणामस्वरूप कैंसर के अन्य अस्पतालों तथा अनुसंधान केन्द्रों में भी हड़ताल हो जायेगी। काफी दबाव डाले जाने पर ही उनको रिहा कराया जा सका था। निदेशक ने लिखित रूप में यह कहा था कि उनकी नजरबन्दी पूर्णतया गैर-कानूनी है और बिना किसी आधार के है। माननीय मंत्री अब जो कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने केवल इतना कहा है कि राज्य सरकार ने नजरबन्दी की स्वीकृति नहीं दी थी। राज्य सरकार को जैसे ही अपनी गलती का पता लगा उनको रिहा कर दिया गया। गलती हरेक से हो सकती है। गलतियों को रोकने के लिए उपबन्ध हैं। मैं श्री मारन तथा श्री मिश्रा को विशेषकर यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम गलतियों को रोकने का भरसक प्रयत्न करेंगे। अब प्रश्न यह है कि खतरा गलतियां होने की सम्भावनाओं से है अथवा इस विधेयक के न होने से है।

मूल अधिकारों की उलंघनीयता का तथा नागरिकों द्वारा न्यायालय में जाने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं संविधान के अनुच्छेद 22 की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह विधेयक इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुकूल है।

मैंने विधेयक प्रस्तुत करते समय पहले भी कहा था कि ये उपबन्ध न्यायालयों में पूरे उतरे हैं। परन्तु यदि किसी व्यक्ति को वर्तमान विधेयक के किसी उपबन्ध के बारे में कोई सन्देह है तो वह बन्दी प्रत्यक्षीकरण प्राप्त करने के लिए देश के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इस विधेयक से अनुच्छेद 226 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

हमने इस बात के लिए पूरी सावधानी बरती है कि कानून में कोई त्रुटि न रहे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री बदरुद्दुजा को उनके वकील से मिलने नहीं दिया गया था। य सरकार यहां पर कहती कुछ है और करती कुछ है।

श्री आर० वी बड़े (खागोन) : माननीय मंत्री जो कुछ कह रहे हैं वह गलत है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या नजरबन्द किये गये व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने की अनुमति होगी अथवा नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री ज्योतिर्मय बसु तथा उनका दल केन्द्रीय सरकार अथवा अपने शान्तिप्रिय राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध कोई न कोई षडयंत्र रचते रहते हैं। उनको पता है कि उनका दल उन लोगों की देशभक्ति को खत्म करने से भी नहीं हिचकिचाता जिनको सरकारी राज़ सौंपे जाते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनको इसका प्रमाण देना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं यह सभी बातें पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सरकारी रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने हेतु वे सरकारी कर्मचारियों को उकसाते हैं। रहस्य बताने वाला तथा रहस्य मालूम करने वाला दोनों दोषी होते हैं। परन्तु वह तथा उनका दल जानबूझकर ऐसी तोड़फोड़ की गतिविधियां करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे हमारे कानूनों तथा लोकतंत्रात्मक प्रथाओं का लाभ उठा सकते हैं। परन्तु हर बात की कोई सीमा होती है। लोकतंत्रात्मक समाज में भी अधिकारियों के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री वाजपेयी ने अपने इस आरोप को दोहराया है कि इस समूचे मामले में एक कांग्रेस के मंत्री का भी हाथ था। हमें जो दस्तावेज मिले हैं उनमें कांग्रेस के किसी मंत्री का हाथ इस मामले में दिखाई नहीं देता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या श्री बदरुद्दुजा के विरुद्ध उनके पास कोई पर्याप्त सबूत है और क्या उनको सभा के समक्ष रखा जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने केवल इतना कहा है कि इस मामले में कांग्रेस के किसी मंत्री का हाथ नहीं है। नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मामला परामर्शदात्री बोर्ड के समक्ष है। हमें यह जानकारी मिली थी कि कुछ लोग पाकिस्तान से धन प्राप्त कर रहे हैं तो यह निष्कर्ष निकालना उचित ही है कि वे देश-विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। अतः इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ने से रोकने तथा और आगे सम्पर्क बनने से रोकने के लिए ही इस अधिनियम का आश्रय लिया गया है। मेरे विचार में माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और इस मामले में आगे और कुछ नहीं कहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री बदरुद्दुजा को बिना किसी कारण गिरफ्तार किया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं यह जानकारी नहीं देना चाहता था परन्तु मुझे बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा है।

अप्रैल 1970 से मई 1971 के बीच हिंसा की लगभग 4500 घटनाएं घटी हैं। बिहार में इनकी संख्या 250 है और इसमें 50 हत्याएं भी शामिल है। पंजाब में लगभग ऐसी 50 घटनाएं घटी जिनमें 28 हत्याएं भी शामिल हैं। इन राज्यों में निवारक निरोध अधिनियम लागू नहीं है। ऐसी गतिविधियां उन लोगों द्वारा की जा रही हैं जोकि लोकतंत्र के प्रिय सिद्धान्तों को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी घटनायें भी सामने आयीं हैं कि आपराधिक कार्यों के लिये हथियार तथा गोला बारूद छीनने के प्रयास किये गये हैं। कलकत्ता के युवासदस्यों ने बताया है कि लोग स्वतंत्रता सैनानियों के मनोबल को ऊंचा करने तथा भारतीय सुरक्षा बनाये रखने के लिये सीमाओं पर नहीं जाते हैं बल्कि अपने आपराधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हथियार तथा गोला-बारूद प्राप्त करने के लिये वहाँ जाते हैं।

सभा में इस बात पर भी चिन्ता व्यक्त की गयी है कि रेलवे में हिंसा की घटनायें बढ़ती जा रही हैं तथा अराजकता फैलती जा रही है। क्या सदस्यों को कोयला क्षेत्र में उत्पन्न हुये गम्भीर संकट का पता है। यह संकट कोयला जमा हो जाने के कारण पैदा हुआ है और कोयला इसलिये जमा हो गया है कि रेलें उतनी तीव्र गति से कोयला नहीं ले जा रही हैं जिस गति से कोयला खानों से निकाला जा रहा है। तारों, फाल्तू पुर्जों तथा इंजनों के पुर्जों की चोरियां हो रही हैं। रेलों को बीच में रोककर लूटने की भी घटनायें हुई हैं। ऐसी स्थिति में जबकि अनेकों शरणार्थी भारत में आ रहे हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि रेलें चलती रहें।

इस समय मैं यह तो नहीं कह सकता कि इस विशेष स्थिति का सुधार करने के लिये इस विधेयक का उपयोग किस प्रकार से किया जायेगा। फिर भी हम इस बारे में विचार कर रहे हैं। सभा में तो सब बातें नहीं बतायी जा सकतीं परन्तु इतना अवश्य है कि इससे स्थिति में सुधार होगा।

कुछ लोगों ने पूछा है कि हिंसात्मक गतिविधियां निवारण अधिनियम लागू करने पर भी बंगाल की स्थिति नियंत्र में क्यों नहीं आयी। इसका कारण यह है कि नक्सलवादी अभियान 1970 में प्रारम्भ हुआ और वर्ष 1970 में सरकार के पास निवारक निरोध जैसी शक्तियां नहीं थीं। मैं उन माननीय सदस्यों से भी सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि निवारक नजरबन्दी सभी बुराइयों का इलाज नहीं है। यह विधेयक सामाजिक तथा आर्थिक मोर्चे पर हमारे प्रयासों का स्थान नहीं ले सकता है और न ही इससे चिर-स्थायी शान्ति तथा व्यवस्था कायम की जा सकती है जब तक कि जनता हिंसा की राजनीति का विरोध नहीं करती। श्री ज्योतिर्मय बसु ने

कहा है कि केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल में विस्फोटों के विरुद्ध कोई कानून लागू करना चाहिये। उन्हें इस प्रकार के प्रतिवेदन से बड़ी निराशा हुई होगी कि मार्च और अप्रैल में साम्यवादी मार्क्सवादी दल के कार्यालयों से अवैध हथियार तथा गोला-बारूद बरामद हुआ था।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह मनगढ़न्त कहानी है। हथियार तथा गोला-बारूद कांग्रेस दल के व्यक्तियों के यहां से बरामद हुआ था। हमारे दल के किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई बात प्रमाणित हुई है तो सरकार उस पर कार्यवाही करे। हमें इसका कोई भय नहीं है ... (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री वाजपेयी ने अपने भाषण के दौरान इस विषय में आवश्यक कानून विद्यमान होने तथा देशद्रोह के लिये कानून बनाने की बातें कही हैं। देशद्रोह तथा जासूसी के विरुद्ध कानून बनाने का कार्य हमने विधि आयोग को सौंप दिया है। परन्तु विशिष्ट प्रश्न यह है कि वे सब विधेयक अचानक होने वाली किसी अवांच्छनीय घटना को रोकने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

यह नक्सलवादियों की गतिविधियों की बात रही। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी गतिविधियों से धर्म निरपेक्षता, साम्प्रदायिक एकता तथा शान्तिपूर्ण सम्बन्धों का विघटन होता है। हमारी राजनीति में कुछ ऐसे तत्व हैं जो विदेशों से प्रेरणा लेते हैं। पाकिस्तानी ऐजन्ट साम्प्रदायिक शान्ति को भंग करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करना इस समय पाकिस्तान के सबसे अधिक हित में है। यह कहना गलत है कि बंगला देश की समस्या इस सरकार द्वारा पैदा की गई है तथा हम शरणार्थियों को यहां लाये हैं। ऐसा कहना पाकिस्तानी प्रचार को प्रोत्साहन देना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान जी, मन्त्री महोदय कितना और समय लेंगे ? बहुत से सदस्य चले गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वह अपना भाषण पूरा करने ही वाले हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कहना ठीक नहीं है कि हम शरणार्थियों को यहां लाये हैं। यह कहना पाकिस्तानी प्रचार के समान है। मुझे विश्वास है कि वह वास्तव में ऐसा नहीं कहना चाहते हैं।

श्री कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : उनका कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार शरणार्थियों को अपने देश में रहने देने के लिये उनकी कोई सहायता नहीं कर रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आप रिकार्ड देखिये। समय-समय पर साम्प्रदायिक दंगों की घटनायें होती रही हैं। इसलिये हमें इस पर समग्ररूप से विचार करना चाहिये। हमें अपनी

सीमाओं की स्थिति देखनी है। 55 लाख शरणार्थी देश में आ गये हैं। उनके साथ बहुत से पाकिस्तानी ऐजन्ट भी हैं। हमें इस स्थिति पर नियंत्रण पाना है। जानबूझ कर बंगाली गैर-बंगाली तथा बंगाली और आसामी, आदीवासी तथा बंगाली जैसे मामले उठाकर शरणार्थियों के बीच तथा भारतीयों और शरणार्थियों के बीच झगड़ा कराने के बीज बोये जा रहे हैं। ऐसे कार्य नहीं किये जाने चाहियें।

मैं इस बात से सहमत हूं कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है तथा लोक-तंत्रात्मक समाज का विकास इस पर निर्भर है। परन्तु भारत को आज जिस विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है उस सन्दर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता कि हम उदार नीतियों में विश्वास रखते हैं अथवा नहीं। प्रश्न यह उठता है कि क्या हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो जायेगी। हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत प्रिय है तथा संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रताओं को बनाये रखना हमारा परम कर्त्तव्य है। यह सुनिश्चित करना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है कि देश में जनता को जिन्होंने इतने अधिक भारी बहुमत से हमें यहां चुनकर भेजा है, वे स्वतंत्रतायें सदा प्राप्त रहें, जिनका संविधान में उपबन्ध किया गया है। परन्तु इसके लिये हमें उन शक्तियों के लिये कुछ उपाय करने होंगे जो स्वतंत्रता नष्ट करने के प्रयासों में लगी हुई हैं।

सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त करने के लिये प्रतिदिन ही आतंक, लूट-पाट, हत्याओं की सूचना मिलती हैं। प्रतिदिन तो हिंसात्मक कार्यवाहियों, अन्तर्दलीय विवादों, घोर अनुशासन-हीनता, घेराव तथा सुव्यवस्थित ढंग से हथियार और गोला-बारूद छीनने की घटनायें होती हैं। फिर भी हम मानवीय अधिकारों तथा नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने जानबूझकर, शिक्षा संस्थाओं को नष्ट करते देखा है, राष्ट्रीय वीरों तथा नेताओं का अपमान करते देखा है, गरीब पुलिस कर्मचारियों को मारे जाते देखा है, राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों को नष्ट किये जाते देखा है। फिर भी कुछ मित्र निवारक निरोध अधिनियम की आवश्यकता को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कहते हैं। कलकत्ता जाकर देखिये, दिन में खुले आम हत्या कर दी जाती है और कोई भी व्यक्ति साक्षय देने का साहस तक नहीं करता · · · (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : बंगाल में 1½ वर्ष से निवारक निरोध अधिनियम लागू है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। जब वहाँ साक्षय तक उपलब्ध नहीं होते तब हत्याओं के मामलों में दंड देने में किस प्रकार सफलता मिल सकती है। मैं बन्दी प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त से सहमत हूँ परन्तु स्थिति की वास्तविकता देखकर हमें उसके महत्व को आँकना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय वसु : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 6 बज चुके है और अभी तक सभा स्थगित नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक को स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष को है। मेरा यह निर्णय है कि आज सभा मंत्री के भाषण समाप्त होने पर स्थगित होगी।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जो स्थिति मंत्री महोदय ने बतायी है उसमें तथा उन्होंने जिन शक्तियों की मांग की है उनमें, क्या सम्बन्ध है ? वह इन शक्तियों से उस स्थिति का निवारण कैसे करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमारी लोकतंत्रात्मक प्रणाली का आधार चुनाव है। क्या सदन इस बात से अनभिज्ञ है कि कुछ दल डराने धमकाने तथा भयभीत करने का अधिक सहारा ले रहे हैं जिससे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का आधार नष्ट होता है ? क्या हमें पता नहीं है कि नक्सलवादियों तथा उग्रवादियों ने पश्चिम बंगाल के चुनावों में गड़बड़ी करने के सभी प्रयास किये ? अनेकों उपद्रवियों, उग्रवादियों तथा समाज विरोधी तत्वों को हिरासत में लेने तथा सिविल अधिकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाये रखने में सहायता देने के लिये लड़ाई झगड़े वाले क्षेत्रों में सशस्त्र सेना तैनात करने के पश्चात् ही मध्यावधि चुनाव सफलतापूर्वक कराये जा सके। जब हम लोकतांत्रिक मान्यताओं को बनाये रखने की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इसके लिये खतरा मौजूद है और सरकार इस विधेयक के द्वारा ही खतरे का सामना कर सकती है।

मैं सभा को पुनः आश्वासन दिलाता हूँ कि इस विधेयक द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों का सावधानी से प्रयोग किया जायगा। निस्सन्देह हमारी यह नीति नहीं होगी कि राजनैतिक मतभेदों के कारण सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों की उपेक्षा की जाय। लोकतंत्र के नाम से लोकतंत्र को नष्ट करने वाली शक्तियों के उद्देश्यों का समर्थन करना निकृष्टतम कार्य होगा।

मुझे आशा है कि सदन के सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 18 जून, 1971/28 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, the 18th June, 1971/ Jyaistha 28, 1893 (Saka).